



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2201]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2014/आश्विन 30, 1936

No. 2201]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2014/ASVINA 30, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2752(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड-(ii) में दिनांक 31 जुलाई, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ.732 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा,-

(क) यह निदेश देता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची-I के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, सभी आयों अथवा उनसे संबंधित आय के वर्गों के संबंध में उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (6) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्गों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार भारत के निवासी अथवा भारत में सामान्य रूप से निवासी न होने के नाते ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में तथा उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (5) में तदनुसूची प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे;

(ख) निदेश देता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची-II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची-II के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों में हैं, उक्त अनुसूची-II के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में किसी मामले अथवा मामलों के वर्गों, सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे;

(ग) उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों को उसके सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (5) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की उक्त अनुसूची-I के स्तम्भ (6) में तदनुसूची प्रविष्टियों में

विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्य निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है;

(घ) उक्त अनुसूची- II के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों को उक्त अनुसूची- II के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में किसी मामले अथवा मामलों के वर्गों, सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्य निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है;

(ङ) इस अधिसूचना के खण्ड (ग) और (घ) में उल्लिखित अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को इस अधिसूचना के खण्ड (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रमुख आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों द्वारा प्राधिकृत ऐसे संयुक्त आयकर आयुक्तों के संबंध में ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों अथवा आय अथवा सभी आय के वर्गों अथवा मामलों अथवा मामलों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्य निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है।

स्पष्टीकरण:-

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,-

(i) "निवास" का आशय,-

(क) किसी व्यक्ति के मामले में, निवास का स्थान, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा न दिया गया हो;

(ख) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, कर्ता के निवास का स्थान; और,

(ग) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा व्यष्टियों के निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण तथा कंपनियों से भिन्न सभी अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के मामले में, वह स्थान जहां मुख्यालय स्थित है।

(ii) उन कंपनियों के मामले में जिनका नाम किसी संख्यावाचक (इसके बाद "अंकीय कंपनियों") से शुरू होता है, प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त जो ऐसी कंपनियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य निष्पादन करते हैं जिनके नाम ऐसे अक्षर से शुरू होते हैं जो अंकीय कंपनी के शब्दों में नाम के प्रथम अक्षर के समान है, उन अंकीय कंपनियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य निष्पादन करेंगे।

(iii) अनुसूची का स्तंभ (2) आयकर प्राधिकारियों के पदनाम को "प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त" के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। पदनाम को प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त के रूप में समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए "प्रधान आयकर/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1" से तात्पर्य ऐसे आयकर प्राधिकारी से होता है जो प्रधान आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 या आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है।

नोट:- इस अधिसूचना के साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित आयकर प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कार्यों का निष्पादन नहीं करेंगे जिन्हें नीचे स्तंभ (2) में उल्लिखित पदनामों वाले आयकर प्राधिकारियों के अलावा किसी अन्य आयकर प्राधिकारी को पृथक अधिसूचना (अधिसूचनाएं) द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपा गया है।

2. यह 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

अनुसूची					
क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
1	2	3	4	5	6
1.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1।	अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) अहमदाबाद का जिला	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित की गई कंपनियों के सभी मामले; जिनके नाम वर्णमाला "क" अथवा "ख"

				<p>मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति;</p>	<p>अथवा "ग" अथवा "घ" से प्रारंभ होते हैं;</p> <p>(ख) इस स्तंभ (6) की मद (क) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p> <p>(ग) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, काउंटर एक्सचेंज आफ इंडिया तथा जो प्रतिभूतियों और जिन्सों का कारबार करने वाले किसी अन्य एक्सचेंज के साथ सदस्य के रूप में पंजीकृत है;</p> <p>(घ) उपर्युक्त मद (ग) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से सम्बद्ध उप ब्रोकर होने के कारण स्तम्भ 5 की मद (क),(ख) एवं (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
			<p>(ख) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्ड:</p> <p>(i) कालुपुर</p> <p>(ii) दरियापुर</p> <p>(iii) मथुरापुर</p> <p>(iv) दुधेश्वर</p> <p>(v) रायखड</p> <p>(vi) शाहपुर</p> <p>(vii) खडिया</p> <p>(viii) जमालपुर</p> <p>(ix) उस्मानपुरा (एस पी स्टेडियम)</p>	<p>(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p> <p>(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।</p>	<p>(ड.) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है अथवा उपर्युक्त मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित मामलों से भिन्न अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-4 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ड.) और (च) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
2	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-II	अहमदाबाद गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) अहमदाबाद का जिला	<p>(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले; जिनके नाम वर्णमाला "ई." अथवा "एफ" अथवा "जी" अथवा "एच" अथवा "आई" अथवा "जे" अथवा "के" अथवा "एल" अथवा "एम" शुरु होते हैं;</p>

				(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
		(ख) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्ड: (i) नारायनपुरा (ii) जूना वदाज (iii) नवा वदाज (iv) रानिप (v) साबरमती (vi) चन्दखेडा मोटेरा (vii) काली		(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है अथवा उपर्युक्त मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित मामलों से भिन्न अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-4 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनु रूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;
		(ग) साबरकांठा एवं अरावली के जिले		(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर आता है; (छ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ज) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) और (च) और (छ) में की गई तदनु रूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ड.) स्तंभ (5) के मद (छ) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
3	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-III	अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) अहमदाबाद का जिला:-	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) आयकर आयुक्त (ड्यूटी) के क्षेत्राधिकार में आनेवाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनु रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले; जिनके नाम वर्णमाला "एन" अथवा "ओ" अथवा "पी" अथवा "क्यू" अथवा "आर" से प्रारंभ होते हैं। (ख) स्तर (5) की मद (क) में तदनु रूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

			<p>(ख) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्ड:</p> <p>(i) ओधाव (ii) अरबुद्ध नगर (iii) महावीर नगर (iv) निकोल (v) वस्त्राल (vi) विरांतनगर (vii) वेजलपुर (viii) जोधपुर (ix) बोदकदेव (x) तलतेज (xi) सरखेज (xii) रामोल-हाथीजन (xiii) वतवा (xiv) इसानपुर (xv) लाम्भा (xvi) गोधासर</p> <p>(ग) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्डों के अंतर्गत आने वाले ऐसे तालुकों के क्षेत्रों को छोड़कर अहमदाबाद के निम्नलिखित तालुक:-</p> <p>(i) वीरमगाम (ii) मंडल (iii) डेतरोज (iv) सानंद (v) बावला (vi) ढोलका (vii) धांडूका (viii) दसकरोई</p>	<p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जो स्तम्भ (4) की मद (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हैं।</p>	<p>(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है अथवा उपर्युक्त मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित मामलों से भिन्न अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-4 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
4	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त अहमदाबाद- IV	अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) अहमदाबाद का जिला;	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले; जिनके नाम वर्णमाला "एस" अथवा "टी" अथवा "यू" अथवा "वी" अथवा "डब्ल्यू" अथवा "एक्स" अथवा "वाई" अथवा "जेड" से प्रारंभ होते हैं।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के</p>

				कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	सभी मामले। (ग) स्तम्भ 5 की मद (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रधान का स्रोत विधिक, चिकित्सा, अभियांत्रिकी अथवा वास्तु शिल्प व्यवसाय अथवा लेखा व्यवसाय अथवा तकनीकी परामर्श अथवा आंतरिक साज-सजा अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित अन्य व्यवसाय से है।
			(ख) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्ड: (i) गहतलोडिया (ii) चंदलोडिया (iii) गोटा	(घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;	(घ) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है अथवा उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित मामलों से भिन्न है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 के अंतर्गत आते हैं, स्तंभ (5) की मद (घ) तथा (ड.) में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;
			गुजरात राज्य में:- (ग) बनसकांठा का जिला	(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (i) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ड.) स्तंभ (5) की मद (च), (छ) तथा (ज) में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (च) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
5	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त अहमदाबाद-v	अहमदाबाद, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) अहमदाबाद का जिला	(क) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है जो निम्नलिखित के कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी है:-

					<p>(i) टीडीओ और डीडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर अहमदाबाद शहर और एयूडीए की नगर निगम सीमाओं के भीतर आने वाले सभी स्कूल।</p> <p>(ii) लिमिटेड कंपनियां (प्रा.लि. कंपनियों सहित)।</p> <p>(iii) गुजरात विश्वविद्यालय और अहमदाबाद जिले में सभी कालेज (स्कूलों से भिन्न),</p> <p>(iv) वी एस, एलजी, शारदाबाई तथा नदारी अस्पतालों के कर्मचारियों सहित अहमदाबाद नगर निगम;</p> <p>(v) टीडीओ और डीडीओ द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूल।</p>
			<p>(ख) अहमदाबाद शहर के निम्नलिखित नगर निगम वार्ड:-</p> <p>(i) वासना</p> <p>(ii) अम्बावाडी</p> <p>(iii) नवरंगपुरा</p> <p>(iv) पालडी</p> <p>(v) बापूनगर</p> <p>(vi) कंकरिया</p> <p>(vii) गोमतीपुर</p> <p>(viii) इंडिया कालोनी</p>	<p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर।</p>	<p>(ख) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-4 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
6.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-VI	अहमदाबाद, गुजरात	<p>गुजरात राज्य में:</p> <p>(क) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्ड</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रखयाल 2. बेहरामपुरा 3. डानिलिमदा 4. सरसपुर 5. इन्द्रापुरी 6. (बाग-ए-फिरदौस) 7. मनिनगर 8. मेघनीनगर 9. अमरायवाडी 10. खोखारा 11. राजपुर 12. भायपुरा 13. हतकेश्वर 14. असारवा 15. गिरधरनगर 	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p>	<p>(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-4 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
			<p>(ख) भावनगर और वोटाड जिले</p>	<p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो</p>	<p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग), (घ) और (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा</p>

				<p>कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ड.) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(च) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यक्तिओं के सभी मामले।</p>
7	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-VII	अहमदाबाद, गुजरात	<p>गुजरात राज्य में:- (क) अहमदाबाद जिला</p>	<p>(क) व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है और जो निम्नलिखित के कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं:-</p> <p>(i) केन्द्र सरकार (ii) राज्य सरकार (iii) सरकारी उपक्रम (iv) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी निगम, (v) टी डी ओ और डी डी ओ द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों के अन्यथा अहमदाबाद शहर के और ए यू डी ए की नगर निगम की सीमाओं से बाहर स्थित स्कूल (vi) बैंकिंग कंपनियों सहित कोई भी बैंक और (vii) कोई भी अन्य नियोक्ता जिसका इस आदेश में किसी भी अन्य स्थान पर विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।</p>
			<p>(ख) अहमदाबाद शहर के नगर निगम वार्ड i. सरदार नगर ii. कुबेर नगर iii. कृष्णा नगर iv. ठक्कर बापानगर v. सेजपुर बोधा vi. नरोदा vii. नरोदा रोड viii. नाँबल नगर</p>	<p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।</p>	<p>(ख) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-4 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
			(ग) सुरेन्द्रनगर जिला	<p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त</p>	<p>(ग) स्तम्भ (5) की मद (घ), (ड.) और (च) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(घ) स्तम्भ (5) की मद (च) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा</p>

				कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (च) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (छ) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यक्तिओं के सभी मामले।
8.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गांधी नगर	गांधी नगर, गुजरात	गुजरात राज्य में:- गांधी नगर, मेहसाना और पाटन जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यक्तिओं के सभी मामले।
9.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत-।	सूरत, गुजरात	गुजरात राज्य में - (क) सूरत और तापी जिले; (ख) सूरत नगर निगम के पुराने नगर निगम वार्ड 2ए, 2बी, 2सी, 2डी, 3ए, 3बी, 3सी, 3डी, 13ए, 13बी, 13सी, 14क, 14बी, 14सी, 16क, 16बी, 16सी, 16डी, 17ए, 17बी, 25 और 27 रिंग रोड, सूरत पर कृष्णा मार्केट और रेशमवाला मार्केट, को छोड़कर। (ग) पुराने चौरायसी तालुक में आने वाले सचिन औद्योगिक क्षेत्र सहित सचिन का क्षेत्र।	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) तथा (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) तथा (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के मामले जिनके नाम वर्णमाला 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या एफ या 'जी' या 'एच' या आई या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' से शुरू होते हैं। (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यक्तिओं के सभी मामले। (ग) उन व्यक्तियों से भिन्न आय स्रोत वेतन से है, स्तम्भ (5) की मद (ख), और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;
10.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत-।।	सूरत, गुजरात	गुजरात राज्य में- (क) सूरत जिला (ख) सूरत नगर निगम	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित उन कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'ओ'

			के पुराने नगर निगम वार्ड; 1ए, 1बी, 1सी, 4ए, 4बी, 4सी, 4डी, 5क, 5बी, 6ए, 6बी, 8ए, 8बी, 9ए, 9बी, 10ए, 10बी, 12ए, 12बी, 22, 26, 28 से 39 तक (ग) सूरत जिले के तालुक; (i) अलपाड (ii) कामरेज (iii) पुराना चोयासी तालुक (इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सचिन तथा सचिन औद्योगिक क्षेत्र पुराने निगम वार्ड को छोड़कर) (iv) उमरपाडा (v) मंगरोल (vi) मान्डवी (vii) महुवा (viii) बारडोली (ix) पलसाना	पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तंभ 6 की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	या 'पी' या 'क्यू', या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं। (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) उन मामलों से भिन्न जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;
			(घ) तापी जिला। (ड.) सूरत जिले के तालुक; (i) उमरपाडा (ii) मंगरोल (iii) मान्डवी (iv) महुवा (v) बारडोली (vi) पलसाना	(ड.) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ज) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति। (झ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ड.) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(घ) स्तम्भ 5 की मद (ड.) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम 'ओ' या 'पी' या 'क्यू', या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं। (ड.) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले। (च) स्तंभ के मद (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (छ) स्तंभ 5 की मद (झ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है।
11.	प्रधान आयकर, आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत-3	सूरत, गुजरात	गुजरात राज्य में – (क) सूरत जिला निम्नलिखित के तालुकों को छोड़कर सूरत जिला: (i) उमरपाडा (ii) मंगरोल (iii) मान्डवी	(क) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ 4 की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है। (ख) उन मामलों को छोड़कर जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन है, स्तम्भ (5) की मद (ख) और (ग) में तदनुसूची टिप्पणी में

			(iv) महुवा (v) बारडोली (vi) पलसाना (ख) सूरत नगर निगम के पुराने नगर निगम वार्ड: 1डी, 7ए, 7बी, 7डी, 11ए, 11बी, 15ए, 15बी, 15सी, 15डी, 15ई, 15एफ, 18ए, 18बी, 18सी, 19ए, 19बी, 19सी, 19डी, 19ई, 20, 21, 23, 24 (ग) रिंग रोड, सूरत पर कृष्णा मार्केट और रेशमवाला मार्केट।	कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
12	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वलसाड़	वलसाड़, गुजरात	(क) गुजरात राज्य में:- वलसाड़ नवसारी और डांग जिले (ख) दादरा एवं नगर हवेली (सिलवासा) के संघ राज्य क्षेत्र; (ग) दमन संघ राज्य क्षेत्र का दमन जिला;	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (च) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदुत्तरुपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदुत्तरुप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
13.	प्रधान आयकर आयुक्त, वडोदरा-।	वडोदरा, गुजरात	गुजरात राज्य में – (क) वडोदरा, और छोटा उदपुर के जिले (ख) वडोदरा शहर में ये स्थान (i) डेयरी रोड (ii) दाँतेश्वर रोड (iii) जीआईडीसी मकरपुरा/ मकरपुरा (iv) लाल बाग (v) मंजलपुर (vi) तारसली (vii) अटलादरा	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के वे सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्ण माला "ए" या "बी" अथवा "सी" या "डी" अथवा "ई" या "एफ" या "जी" या "एच" या "आई" या "जे" या "के" या "एल" से शुरू होते हैं। (ख) स्तम्भ (5) के मद (क) में तदुत्तरुप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) उन मामलों से भिन्न

		<p>(viii) ओल्ड पडरा रोड़ (ix) गाडापुरा, दीवालीपुरा, (x) तंदालजा (xi) वसना रोड़ (xii) कालली (xiii) गोत्री रोड़ (xiv) मुजमाहुदा (xv) सेवासी (xvi) टी बी हस्पताल</p> <p>(xvii) छनी जकात नाका, छनी रोड़ (xviii) फतेहगंज (xix) गोर्वा रिफाइनरी रोड़/ पंचवटी (xx) कदक बाजार (xxi) नवायार्ड (xxii) प्रताप गंज (xxiii) एस टी डिपो (xxiv) सयाजीगंज (xxv) ऐलोरा पार्क (xxvi) सुभानपुरा (xxvii) समा (xxviii) समा सावली रोड़ (xxix) निज़ामपुर (xxx) पेंशनपुरा</p> <p>(ग) बड़ोदरा जिले के तालुका: (i) पाडरा (ii) सिनोर (iii) डभोई (iv) सावली (v) बड़ोदरा (बड़ोदरा शहर को हटाकर) (घ) बड़ोदरा-मुम्बई की मुख्य रेलवे लाइन की पश्चिमी तरफ बड़ोदरा शहर की निगम सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित ये शामिल हैं:- (i) बड़ोदरा रेलवे स्टेशन</p>	<p>कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) मद (ख), (ग) और (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है, स्तंभ (5) की मद (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>
--	--	--	---	---

			(ii) अल्कापुरी (iii) अरुणोदय सोसायटी (iv) कुंज सोसायटी (v) जेतलपुर रोड (vi) रेस कोर्स सर्किल (vii) अकोता (viii) वसना (ix) आर.सी. दत्त रोड		
			(ड.) आनन्द जिले के तालुका :- (i) पेटलद (ii) खम्भात (iii) बोरसाड (iv) तारापुर (v) सोजित्र (vi) अंकलाव	(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ड.) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ड.) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ज) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति	(घ) स्तंभ (5) की मद (ड.),(च) एवं (छ) में तदनु रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तंभ (5) के मद (छ) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
14.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वडोदरा-II	वडोदरा, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) वडोदरा और छोटा उदपुर के जिले	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह	(क) स्तंभ (5) के मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "एम्" या "एन" या "ओ" या "पी" या "क्यू" या "आर" या "एस" या "टी" या "यू" या "वी" या "डब्ल्यू" या "एक्स" या "वाई" या "जेड" से शुरू होता है। (ख) स्तंभ (5) के मद (क) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा

				<p>रहे हैं।</p> <p>(घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ड.) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) और (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(च) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ग), (घ) एवं (ड.) में तदनुरूप प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(घ) स्तंभ (5) के मद (ड.) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
15	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वडोदरा -III	वडोदरा, गुजरात	<p>गुजरात राज्य में:-</p> <p>(क) वडोदरा शहर के क्षेत्र में:-</p> <p>(i) अजवा रोड</p> <p>(ii) आयुर्वेदिक कालेज</p> <p>(iii) चोखंडी</p> <p>(iv) डभी फलिया</p> <p>(v) डाभोई रोड</p> <p>(vi) गजरावाडी</p> <p>(vii) हेरन खाना</p> <p>(viii) जहांगीरपुरा</p> <p>(ix) जवाहर सोसायटी</p> <p>(x) मोगलवाड़ा</p> <p>(xi) नानी शक मार्केट</p> <p>(xii) पानीगेट</p> <p>(xiii) प्रतापनगर</p> <p>(xiv) रणमुक्तेश्वर</p> <p>(xv) सरदार एस्टेट</p> <p>(xvi) विजय सोसायटी</p> <p>(xvii) वाडी</p> <p>(xviii) वाघोडिया रोड</p> <p>(xix) यमुना मिल रोड</p> <p>(xx) अमदावाडी पोल</p> <p>(xxi) जीपीओ</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।</p>	<p>(क) उन मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है, स्तंभ (5) की मद (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>

			<p>(xxii) गान्धी नगरगृह (xxiii) हजरतपगा (xxiv) कलामंदिर (xxv) करेली बाग (xxvi) कीर्तिटावर (xxvii) कोठी (xxviii) मंगल बाजार (xxix) नगरवाडा (xxx) पदमावती सेंटर (xxxi) राओपुरा (xxxii) सलतवाडा (xxxiii) सरदार भवन (xxxiv) सुरसागर (xxxv) विनोबा भावे रोड (xxxvi) वीआईपी रोड (xxxvii) भूतदी जम्पा (xxxviii) बागीखाना (xxxix) बजवाडा (xL) बकरावाडी (xLi) वारनपुरा (xLii) छिपवाड (xLiii) सिटी पुलिस (xLiv) डांडिया बाजार (xLv) गेंडीगेट (xLvi)घाडियाली पोल (xLvii)जयरतन भवन (xLviii) खांडेराव मार्केट (xLix) खारवा वाड (L) लाहेरीपुरा (Li) एमजी रोड (Lii) मदनजम्पा (Liii) मांडवी (Liv) मेहता पोल (Lv) नरसिंहजी पोल (Lvi) नवापुरा (Lvii) नजरबाग (Lviii) पत्थर गेट (Lix) पीजी टेक्सटाइल मिल (Lx) पोला ग्राउंड (Lxi) आर बी देसाई रोड (Lxii) राजमहल रोड (Lxiii) संतकबीर रोड</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(Lxiv) शियामपुरा (Lxv) सिद्धनाथ रोड (Lxvi) अदानियापोल (Lxvii) बदरपुर (Lxviii) बापोड (Lxix) नवा बाजार (Lxx) फतेहपुरा (Lxxi)हरनी/हरनी गांव (Lxxii) हरनी रोड (Lxxiii) हाथी खाना (Lxxiv) कालूपुरा (Lxxv) लाल अखाड़ा (Lxxvi) वारसिया (Lxxvii) याकुतपुरा (Lxxviii) बड़ोदरा-1, जिले के वे क्षेत्र जो प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बड़ोदरा-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं:- (ख) बड़ोदरा जिले के तालुका:- (i) वाकोडिया (ii) कार्जन (ग) छोटा उदेयपुर जिला के तालुका (i) छोटा उदेयपुर (ii) पावीजेतपुर (iii) बडेली (iv) सनखेड़ी (v) कावांत (vi) नसवाड़ी</p>		
			<p>(घ) भरूच और नर्मदा जिले</p>	<p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या करोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके करोबार का मूल स्थान</p>	<p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग), (घ) तथा (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

				स्तम्भ (4) के (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है। (च) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति	
16.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वड़ोदरा -IV	वड़ोदरा, गुजरात	गुजरात राज्य में:- (क) वड़ोदरा और छोटा उदेपुर के जिले	(क) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वैतन' है।
			(ख) पंचमहल, दाहोड और महिसागर के जिले	(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है। (घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ङ.) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(ख) स्तंभ (5) की मद (ख), (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तंभ (5) के मद (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कम्पनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
17	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट-1	राजकोट	गुजरात राज्य में:- (क) राजकोट जिले में 2005 की आरएमसी की अधिसूचना के अनुसार राजकोट शहर नगर निगम वार्ड सं. 1,3,4,5,9,11,12,13, और 14 (ख) राजकोट जिले को तालुक (i) कोटाडा संघानी (ii) लोढिका (iii) राजकोट (iv) गोंडल (v) जैतपुर (vi) उपलेता (ग) गांधी धाम और अंजेर सहित कच्छ जिला	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;	(क) उन मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वैतन' है, स्तंभ (5) की मद (क),(ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कम्पनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) स्तंभ (5) की मद (ङ.), (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तंभ (5) के मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कम्पनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

				<p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p>	
18	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट-II	राजकोट	<p>गुजरात राज्य में:-</p> <p>(क) राजकोट जिले में 2005 की आर एम सी अधिसूचना के अनुसार राजकोट शहर के निगम वार्ड सं. 2,6,7,8,10,15,16 एवं 17</p> <p>(ख) राजकोट जिले की तालुक</p> <p>(i) जसदान</p> <p>(ii) धोराजी</p> <p>(iii) जमकंदोरना</p> <p>(ग) राजकोट जिला</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क),(ख) तथा (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कम्पनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
19.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट-III	राजकोट	<p>गुजरात राज्य में</p> <p>(क) राजकोट जिले में – 2005 की आर एम सी अधिसूचना के अनुसार निगम वार्ड सं. 8,19,20,21,22 और 23</p> <p>(ख) अमरेली, मोरवी,</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), में</p>	<p>(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित</p>

			<p>जुनागढ़ गिर सोमनाथ जिला तथा दामन तथा दीव संघ क्षेत्र में दीव जिला।</p>	<p>उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।</p> <p>(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।</p>	<p>कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(घ) स्तंभ (5) के मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
20.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जामनगर	जामनगर	<p>गुजरात राज्य में:-</p> <p>(क) जामनगर जिला</p> <p>(ख) देव भूमि द्वारका जिला</p> <p>(ग) पोरबन्दर जिला</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क),(ख) तथा (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 कानून के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त बंगलौर-1	बंगलौर, कर्नाटक	<p>कर्नाटक राज्य में, (क) बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिले (ख) निम्नलिखित पिन कोडों वाले प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560001, 2. 560005, 3. 560008, 4. 560033, 5. 560038, 6. 560042, 7. 560043, 8. 560045, 9. 560046, 10. 560051, 11. 560052, 12. 560071 और 13. 560084 	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां है और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(ङ.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम ए अथवा बी से शुरू होते हैं;</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले;</p> <p>(घ) प्रधान आयकर आयुक्त बंगलौर-1 से 7 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ङ.) में उल्लिखित व्यष्टियों जो वेतन से आय प्राप्त करते हैं (पेंशनधारियों को छोड़कर), तथा जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के सभी न्यायिक पदधारियों सहित) अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा निगमों अथवा कमीशनों के कर्मचारी हैं, के सभी मामले।</p>
22.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2	बंगलौर, कर्नाटक	<p>कर्नाटक राज्य में,- (क) बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिले (ख) निम्नलिखित पिन कोडों वाले प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560003, 2. 560010, 3. 560020, 4. 560021, 5. 560053 और 6. 560055 	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां है और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'सी' या 'डी' या 'ई' अक्षर से शुरू होते हैं;</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत विधिक, चिकित्सा, इंजिनियरिंग अथवा वास्तु शिल्क व्यवसाय लेखाकरण के व्यवसाय से है अथवा तकनीकी परामर्श अथवा आंतरिक साज-सज्जा अथवा किसी अन्य व्यवसाय से है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44</p>

				<p>(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p>	<p>कक की उपधारा (ii) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख), (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनकी आय का मूल स्रोत चलचित्रों, सभी प्रकार की फिल्मों, टेलिविजन मीडिया, ड्रामा, कलाओं के प्रदर्शन, मनोरंजन तथा सम्बद्ध उद्योग (दृश्य एवं श्रव्य विनिर्माण, वितरण, प्रदर्शन, उद्योग को सॉफ्टवेयर सहायता संरचनात्मक सहायता, तकनीकी सहायता सहित) रंगमंच नाट्यकला केवल संचालन तथा रेडियो नेटवर्क से जुड़े कार्यकलाप से है अथवा चलचित्र स्टूडियो, सिनेमा हॉलो तथा थियेटरो के स्वामित्व और/अथवा संचालन से है, के सभी मामले तथा विडियो, रेडियो तथा डिस्क जोकी के क्रियाकलापों से है।</p> <p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (ख),(ड.) एवं (च) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
23	प्रधान आयुक्त/आयुक्त/आयुक्त बंगलौर-3	बंगलौर, कर्नाटक	<p>कर्नाटक राज्य में,-</p> <p>(क) बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण के जिले</p> <p>(ख) निम्नलिखित पोस्टल पिन कोडों वाले प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560023, 2. 560039, 3. 560040, 4. 560044, 5. 560056, 6. 560059, 7. 560060 8. 560061, 9. 560062, 10. 560062, 11. 560072, 12. 560098, और 13. 560104, 	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p>	<p>(क) प्रधान आयुक्त आयुक्त/आयुक्त, बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों जिनके नाम वर्णमाला 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' से शुरू होते हैं;</p> <p>(ख) प्रधान आयुक्त आयुक्त/आयुक्त, बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ग) प्रधान आयुक्त/आयुक्त आयुक्त, बंगलौर-1 से साथ 7 तक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ 5 की मद (ज) में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है तथा जो हैं:</p> <p>(i) सभी बैंकों (सहकारी बैंकों सहित), बैंक की सहायक</p>

				<p>(ड.) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(च) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p> <p>(छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ज) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p>	<p>कंपनियों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों सहित), शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों (स्वायत्त निकायों सहित) के कर्मचारी (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्र अथवा राज्य सरकार में पेंशनभोगी।</p> <p>(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-1, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-3 तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-5 के प्रभार में करनिर्धारण अधिकारियों के किसी करनिर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल नहीं है;</p> <p>(घ) स्तंभ (5) की मद (घ), (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ड.) उपर्युक्त मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
24	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-4	बंगलौर, कर्नाटक	<p>कर्नाटक राज्य में :-</p> <p>(क) बंगलौर शहरी एवं बंगलौर ग्रामीण जिले</p> <p>(ख) निम्नलिखित पोस्टल पिन कोडो वाले प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560007, 2. 560016, 3. 560017, 4. 560035, 5. 560036, 6. 560037, 7. 560048, 8. 560049, 9. 560066, 10. 560067, 11. 560075, 12. 560077, 13. 560087, 14. 560093, 	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्तियों जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) एवं (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) एवं (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों के नाम वर्णमाला 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' से शुरु होता है के सभी मामले।</p> <p>(ख) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) के मद (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(घ) उपर्युक्त मद (क) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में</p>

			<p>15. 560100, 16. 560103, 17. 562114 और 18. 562122. (ग) कोलार जिले के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र (बंगलौर शहरी एवं ग्रामीण जिलों के एओ को अधिसूचित पिन कोडों के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर) (घ) निम्नलिखित पोस्टल पिन कोडों के प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:- 1. 560034, 2. 560068, 3. 560076, 4. 560078, 5. 560083, 6. 560095, 7. 560099, 8. 560102, 9. 560105, 10. 562107 और 11. 562125</p>	<p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति। (ड.) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्तियों जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p>	<p>उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
25	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-5	बंगलौर, कर्नाटक	<p>कर्नाटक राज्य में, (क) बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण के जिले (ख) निम्नलिखित पोस्टल पिन कोडों वाले प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:- 1. 560002, 2. 560004, 3. 560009, 4. 560018, 5. 560019, 6. 560026, 7. 560028, और 8. 560050</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्तियों जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) एवं (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (ड.) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति। (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्तियों जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों जिनके नाम वर्णमाला 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' से शुरू होते हैं, के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (ख) और (ग) में दी गई तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) प्रधान आयकर आयुक्त बंगलौर 1 से 7 के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) के मद (क) में तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है और जो निजी कंपनियों के</p>

				(क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	कर्मचारी हैं ;
26.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-6	बंगलौर, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में,- (क) बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिले (ख) निम्नलिखित पोस्टल पिन कोडों के प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरीय या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:- 1. 560006, 2. 560012, 3. 560013, 4. 560014, 5. 560015, 6. 560022, 7. 560031, 8. 560057, 9. 560058, 10. 560073, 11. 560079, 12. 560086, 13. 560088, 14. 560089, 15. 560090, 16. 560091, 17. 560096, 18. 561101, 19. 562127, 20. 562111, 21. 562131, 22. 562132, और 23. 562162, और 1. 560024, 2. 560032, 3. 560054, 4. 560063, 5. 560064, 6. 560065, 7. 560080, 8. 560092, 9. 560094, 10. 560097, 11. 560101, 12. 560106, 13. 560300, 14. 561203, 15. 561204, 16. 561205, 17. 562110, 18. 562129, 19. 562130, 20. 562135, 21. 562149, 22. 562157, और	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ङ.) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति। (च) कंपनियों से भिन्न जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों जिनके नाम वर्णमाला 'एस' से शुरू होते हैं; (ख) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (ख) एवं (ग) में तदरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ (5) की मद (घ), (च) एवं (छ) में तदरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) उपर्युक्त मद (क) एवं (ग) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

			23. 562163, (ग) चिक्काबल्लापुर जिले के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र		
27	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त बंगलौर-7	बंगलौर, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में,- (क) बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण के जिले (ख) निम्नलिखित पोस्टल पिन कोडों के प्रादेशिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बंगलौर शहरी और बंगलौर ग्रामीण जिलों के नगरी या शहरी वस्तियों वाले क्षेत्र:- 1. 560011, 2. 560025, 3. 560027, 4. 560029, 5. 560030, 6. 560041, 7. 560047, 8. 560069, 9. 560070, 10. 560081, 11. 560082, और 12. 560085 (ग) तुमपुर जिले के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र;	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ङ.) स्तम्भ (6) के मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कंपनियों जिनके नाम वर्णमाला 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं; (ख) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त बंगलौर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (ख) और (ग) में दी गई तदरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ (5) के मद (घ),(च) एवं (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) उपर्युक्त मद (क) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधन या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
28	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त मैसूर	मैसूर, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में- मैसूर, चामाराजा नगर, माडेंया, हसन, चिक्कमगलूर, कोडगु जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(क) स्तम्भ (5) के मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;

			के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र	(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।	(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
29.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त देवानगोरे	देवानगोरे, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में- देवानगोरे, शिमोगा, हवेरी एवं चित्रदुर्गा जिलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
30	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त गुलबर्गा	गुलबर्गा, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में- गुलबर्गा बिदर, रायचुर, यादगिर, बल्लेरी एवं कोप्पल जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त करते हैं तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम,	(क) स्तम्भ (5) के मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामलों; (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।

				2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) के मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	
31.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हुबली	हुबली, कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में- (क) धरवाड़ एवं गडग जिलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र (ख) उत्तरी कन्नड (करवाड़) जिले के सिरसी, हलियाल, येलापुर, सिद्धापुर एवं मुंडगोड तालुक के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
32.	प्रधान आयकर, आयुक्त, मंगलौर	मंगलौर कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में:- दक्षिण कन्नड, ऊडूपी एवं अट्टरा कन्नड (सिरसी, हलियाल, येलापुर, सिद्धापुरा एवं मुंडगोड तालुक को छोड़कर) जिलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र।	(क) कंपनियों से भिन्न जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
33	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पणजी	पणजी, गोवा	गोवा राज्य में आने वाले सभी प्रादेशिक क्षेत्र।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में

				<p>(ख) कंपनियों से भिन्न जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
34	प्रधान आयकर आयुक्त, बेलगांव	बेलगांव कर्नाटक	कर्नाटक राज्य में:- बेलगांव, बिजापुर एवं बगलकोट जिलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र।	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य के भीतर आता है।</p> <p>(घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क) (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

1	2	3	4	5	6
35.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त भोपाल-1	भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में- (क) भोपाल जिला	<p>(क) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ग) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क) तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रधान स्रोत वेतन होता है तथा जो राज्य सरकार, बीएचईएल (भेल) भोपाल के कर्मचारी या पेंशनभोगी है अथवा जिनका वेतन मध्य प्रदेश सरकार से आहरित की जाती है जिसमें राज्यपाल सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ख) में उल्लिखित उन कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम</p>

				अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' से शुरु होते हैं। (ग) स्तंभ (5) के मद (ख) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;
		(ख) भोपाल जिलों में- (i) भोपाल नगर निगम के निम्नलिखित नगर वार्ड- वार्ड सं.22 से 33 और 42 से 52 (ii) और कोलार नगर निगम, भोपाल (ग) भोपाल जिला- भोपाल जिले का हुजुर तहसील का शेष बचा क्षेत्र (अर्थात् भोपाल नगर निगम और कोलार नगर निगम के क्षेत्र को छोड़कर) तथा प्रधान आ.आ/ आयकर आयुक्त, भोपाल-1 अथवा प्रधान आ.आ./ आ.आ, भोपाल-2 के क्षेत्राधिकार में विशिष्ट रूप से न आने वाले क्षेत्र	(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' है को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (घ) और (ड.) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
		(घ) रायसेन जिले का मांडीदीप औद्योगिक क्षेत्र	(च) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (छ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ड.) स्तंभ (5) की मद (च) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (च) स्तंभ (5) के मद (च) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;
		(ड.) होशंगाबाद, हरदा और बेतुल जिला	(ज) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (झ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ञ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका	(छ) स्तंभ (5) की मद (ज), (झ) और (ञ) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले। (ज) स्तंभ (5) के मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;

				पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ट) स्तम्भ (6) की मद (ज) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	
36.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भोपाल-2	भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में- (क) भोपाल जिला	(क) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ग) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है तथा जो- (i) केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें बैंक और वीमा कंपनियां शामिल हैं के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं; (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, भोपाल-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आने वाले व्यक्ति। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ख) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं; (ग) स्तम्भ (5) के मद (ख) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) भोपाल जिले में- (i) भोपाल नगर निगम के निम्नलिखित नगर वार्ड- वार्ड सं. 1 से 21, 34 से 41 और 53 से 70 (ii) बेरसिया तहसील (ग) मध्य प्रदेश राज्य में: सेहौर, विदिशा और रायसेन	(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित	(घ) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (घ) और (ड.) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तम्भ (5) की मद (च) और (छ) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

			(घ) मांडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, मांडीदीप को छोड़कर सेहौर, विदिशा और रायसेन जिले।	प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ज) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (झ) स्तम्भ (6) की मद (छ) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(च) स्तंभ (5) की मद (ज) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले। (छ) स्तंभ (5) के मद (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;
37.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, ग्वालियर	ग्वालियर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में- ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, गुना, अशोक नगर शियोपुर, छतरपुर और टीकमगढ़	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;
38	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जबलपुर-1	जबलपुर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में (क) बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा, दामोह, मांडला, सागर और नरसिंहपुर जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) जबलपुर जिला	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके वेतन का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है तथा जो केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और भारत सरकार के अन्य

			<p>(ग) जबलपुर नगर निगम, जबलपुर के नगर वार्ड-वार्ड सं. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56 और 57</p> <p>(i) चेरीताल (ii) कोतवाली (iii) हनुमानताल (iv) नॉर्थ मिलनगंज (v) साउथ मिलनगंज (vi) सराफा बाजार (vii) उपरेनगंज (viii) निवारगंज (ix) गोहालपुर (x) ठक्कर ग्राम (xi) गोकलपुर (xii) अमडेडकर (xiii) रांझी (xiv) पूर्वी बेलवाग (xv) पश्चिमी बेलवाग (xvi) भानतलैया (xvii) नॉर्थ मोतीनाला (xviii) साउथ मोतीनाला (xix) विवेकानंद (xx) राइट टाउन (xxi) गरहा (xxii) हवावाग (xxiii) गोरखपुर (xxiv) गोलबाजार (xxv) आधारताल (xxvi) शास्त्री नगर</p> <p>(घ) जबलपुर जिले में- जबलपुर, कुंदम, मञ्जोली, पाटन, शाहपुरा, सिहोरा और पानागढ़ की तहसीलें</p>	<p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ज) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(झ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।</p>	<p>उपक्रमों के कर्मचारी अथवा पेंशन भोगी हैं।</p> <p>(घ) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले।</p> <p>(ड.) स्तम्भ (5) के मद (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;</p>
39.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जबलपुर-2	जबलपुर, मध्य प्रदेश	<p>मध्य प्रदेश राज्य में</p> <p>(क) पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, शाहदोल, कटनी, उमरिया, सिंगरोल अनूपपुर और दिनदोरी</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;</p>

				क्षेत्र के भीतर स्थित है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टियां होने के नाते व्यक्ति	
		(ख) जबलपुर जिला	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर स्थित है; (ज) स्तंभ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टियां होने पर	(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जबलपुर-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायरे में न आने वाले स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) और (छ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तम्भ (5) के मद (छ) में तदनुरूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;	
		(ग) जबलपुर जिले में- जबलपुर नगर निगम, जबलपुर के नगर वार्ड- वार्ड सं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 (i) रानी दुर्गावती (ii) डॉ. राम मनोहर लोहिया (iii) गरहाफाटक (iv) कमला नेहक नगर (v) नेपियर टाउन (vi) त्रिपुरी वार्ड (vii) लालमती (viii) सिधवावा (ix) घामापुर (x) करीपथर (xi) नेहरू वार्ड (xii) डॉ. शामा प्रसाद (xiii) कांच घर (xiv) द्वारका नगर (xv) शीतला माई (xvi) शंकरशाह नगर (xvii) गुप्तेश्वर (xviii) मदन महल (xix) नरसिंह वार्ड (xx) मरहाताल (xxi) तिलक वार्ड (xxii) भारतीपुर (xxiii) ओमती (xxiv) जीसीएफ (xxv) खमरिया (xxvi) खांडरी (xxvii) सी ई ओ	(झ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ञ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ट) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ठ) स्तंभ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।	(ड.) स्तंभ (5) की मद (झ), (ञ) और (ट) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (च) स्तम्भ (5) की मद (ट) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;	

			केन्टोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्र (xxviii) सिविल लाईन्स (xxix) ग्वारीघाट		
40	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रायपुर-1	रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य में:- (क) जिले:- 1. सुकमा 2. बीजापुर 3. दंतेवाड़ा 4. बस्तर 5. नारायणपुर 6. कोंडागांव 7. कांकेर 8. धमतरी 9. गरीयाबंद 10. महासमुंद 11. बलोदावाजार (ख) रायपुर जिला (प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, रायपुर-2 को सौंपे गए रायपुर नगर निगम के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अलावा)	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति। (ङ.) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(क) स्तम्भ (5) की मद (ङ.) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है तथा जो केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अथवा राज्य सरकार के पूर्णतः अथवा आंशिक स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के कर्मचारी या पेंशनभोगी है; (ख) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
41	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रायपुर-2	रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य में:- (क) जिले 1. दुर्ग 2. बालोद 3. बेमेतारा 4. कवर्धा 5. राजनदगांव (ख) रायपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-6 (जी ई रोड) की दायी ओर की तरफ रायपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र) तातीबंध चौक, जैस्तांभ चौक, शास्त्री चौक, से होते हुए खारुन नदी के पुल से रायपुर नगर निगम (कुम्हारी की तरफ से) क्षेत्र से शुरु अम्बेडकर चौक तक (कलेक्टर ऑफिस के सामने) राजभवन, एलआईसी कार्यालय, आयकर कार्यालय से होते हुए आकाशवाणी चौक की तरफ जाने वाली सड़क की दायी ओर से काली मंदिर तक। आकाशवाणी	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति। (ङ.) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(क) स्तम्भ (5) की मद (ङ.) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है तथा जो- (i) बैंक, बीमा कंपनियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी है; (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त रायपुर-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। (ख) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;

			चौक (काली मंदिर के पास से सड़क की दायी तरफ से महिला पुलिस याने होते हुए कालीबाड़ी तक कालीबाड़ी चौक से सड़क की दायी ओर से शुरू होकर सिद्धार्थ चौक पछेड़ी नाका, एमएमआई लालपुर से गुजरते हुए अभानपुर रोड की तरफ रायपुर नगर निगम की समाप्ति बिन्दु तक।		
42	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बिलासपुर	बिलासपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य में- (क) जिले:- 1. बिलासपुर 2. कोरबा 3. रायगढ़ 4. सरगुजा 5. कोरिया 6. जैनीगीर-चंपा 7. जशपुर 8. सुरजपुर 9. बलरामपुर 10. मुगेली	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
43	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, इंदौर-1	इंदौर, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में:- (क) धार जिला	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) और (ख) की तदनुसूची प्रविष्टियों में व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) इंदौर जिला (ग) मध्य प्रदेश सरकार की दिनांक 04/07/2014 को राजपत्रित अधिसूचित सं. 180 के अनुसार इंदौर के नगर वार्ड- (i) 19 विश्वकर्मा (ii) 20 गौरी नगर (iii) 21 श्याम नगर	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग),(घ),(ड.) और (च) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान	(ग) स्तंभ (5) की मद (ड.) और (च) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले। (घ) स्तंभ (5) की मद (छ) में उल्लिखित कंपनियों के मामले जिनके नाम वर्णमाला 'ए' या

		<p>(iv) 22 पं.दीनदयाल उपाध्याय (v) 23 ले. राजेश जोशी (vi) 24 संत बालीजी नाथ महाराज (vii) 25 नंदा नगर (viii) 26 जीन माता (ix) 27 पशुपतिनाथ (x) 28 मा तुलजा भवानी (xi) 29 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (xii) 30 संत रविदास (xiii) 31 महाराजा छत्रसाल (xiv) 32 अटल बिहारी वाजपेयी (xv) 33 सुखालिया (xvi) 34 शहीद भगत सिंह (xvii) 35 लासुदिया मोरी (xviii) 36 निपनिया (xix) 41 कैलाशपुरी (xx) 42 स्वामी विवेकानंद (xxi) 43 श्री नगर (xxii) 44 एच आई जी (xxiii) 45 डॉ. भीमराव अम्बेडकर (xxiv) 46 सोमनाथ (xxv) 48 गीता भवन (xxvi) 49 तिलक नगर (xxvii) 50 बृजेश्वरी (xxviii) 55 का भाग-दक्षिणी दुकोगंज (मधुमिलन स्कायर और दवा बाजार से होते हुए शिवाजी वाटिका स्कायर से रीगल स्कायर को जाने वाली सड़क की दायीं ओर पड़ने वाले क्षेत्र वाला वार्ड का भाग) (xxix) 58 इमली बाजार (xxx) 59 हर सिद्धी (xxxi) 66 शहीद हेमू कलानी (xxxii) 67 महाराजा होल्कर (xxxiii) 68 बंबई बाजार (xxxiv) 69 जवाहर नगर (xxxv) 71 द्राविड नगर (xxxvi) 72 लोकमान्य नगर (xxxvii) 77 बिलावाली (xxxviii) 78 चौथाराम (xxxix) 79 सुखनिवास (xL) 80 डॉ. राजेन्द्र</p>	<p>स्तम्भ (4) की मद (ग),(घ),(ङ.) और (च) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) स्तंभ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।</p>	<p>'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' से शुरु होते हैं। (ड.) स्तम्भ (5) के मद (छ) में तदनुरूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
--	--	---	--	--

			<p>प्रसाद (xLi) 81 अन्नपूर्णा (xLii) 82 सुदामा नगर (xLiii) 83 गुमाशता नगर (xLiv) 84 दारकापुरी (xLv) 85 प्रजापत नगर इंदौर जिले की निम्नलिखित तहसील:- (घ) साँवर तहसील (ड.) हथौड़ तहसील (च) नगर वार्डों को छोड़कर इंदौर की तहसीलें</p>		
44	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, इंदौर-2	इंदौर, मध्य प्रदेश	<p>मध्य प्रदेश राज्य में- (क) इंदौर जिला (ख) खांडवा, खारगांव, बुरहानपुर, बरवानी जिले (ग) मध्य प्रदेश सरकार की दिनांक 04.7.14 की राजपत्र अधिसूचना सं. 820 के अनुसार इंदौर के नगर वार्ड (i) 1 सिरपुर (ii) 2 चंदन नगर (iii) 3 कलानी नगर (iv) 4 सुखदेव नगर (v) 5 राजनगर (vi) 6 मल्हारगंज (vii) 7 जनता कॉलोनी (viii) 8 जुनरीसला (ix) 9 वृंदावन (x) 10 बाणगंगा (xi) 11 भगीरथपुरा (xii) 12 गोविंद कॉलोनी (xiii) 13 संगम नगर (xiv) 14 अशोक नगर (xv) 15 बिजासन (xvi) 16 नंदबाग (xvii) 17 कुशवाहा नगर (xviii) 18 संत कबीर (xix) 37 साई कृपा (xx) 38 हाजी कॉलोनी (xxi) 39 नाहरशाह बली (xxii) 40 खजराना गणेश (xxiii) 47 सरदार बल्लभ भाई (xxiv) 51 भगवती नगर (xxv) 52 मुशा खेड़ी (xxvi) 53 डॉ. मौलाना आजाद नगर (xxvii) 54 रेजीडेंसी (xxviii) 56 स्नेहलता गंज (xxix) 57 देवी अहिल्याबाई (xxx) 60 रानीपुरा (xxxi) 61 तात्या सर्वते (xxxii) 62 रावाजी बाजार (xxxiii) 63 नवलखा (xxxiv) 64 चितावड़</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख),(ग),(घ) और (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख),(ग),(घ) और (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ड.) स्तंभ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क),(ख) और (घ) की तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं। (ग) उपर्युक्त मद (क) तथा (ख) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

			(xxxv) 65 संत कंवर राम (xxxvi) 70 लोकनायक नगर (xxxvii) 73 लक्ष्मण सिंह चौहान (xxxviii) 74 त्रिष्णपुरी (xxxix) 75 पाल्दा (xL) 76 मुडला नायता (xLi) 55 का भाग दक्षिणी टुकोगंज (दवा बाजार को छोड़कर मधुमिलन स्कैयर से होते हुए शिवाजी वाटिका स्कैयर से रीगल स्कैयर तक जानेवाड़ी सड़क के बायी ओर के क्षेत्रवाले वार्ड का भाग) इंदौर जिले की निम्नलिखित तहसीले (घ) देपालपुर तहसील (ड.) महु तहसील		
45	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, उज्जैन	उज्जैन, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में (i) उज्जैन जिला (ii) देवास जिला (iii) रतलाम जिला (iv) शाहजहांपुर जिला (v) मंदसौर जिला (vi) नीमच जिला (vii) अगर मालवा जिला (viii) राजगढ़ जिला (ix) झबुआ जिला (x) अलीराजपुर जिला	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

1	2	3	4	5	6
46.	प्रधान आयुक्त / आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर-1	भुवनेश्वर ओडिशा	ओडिशा राज्य में:- (क) अंगुल, बौद्ध, धंकानल, गाजापटी, गंजम, कोरपुट, मल्कानगिरि, नवरंगपुर, नयागढ़ फुलवणी, पुरी, रेगादा एवं खुर्दा के जिले। (ख) ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर बौद्ध, गाजापटी	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का प्रथम स्रोत वेतन से है, स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।

		<p>गजम, कोरापुट, मलकानगिरि, नवारंगपुर, नयागढ, फुलबंणी, रेगादा एवं खुर्दा के राज्य।</p> <p>(ग) भुवनेश्वर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित क्षेत्र:-</p> <p>(i) पुराना कस्बा, कपिल प्रसाद, सुंदरपाड़ा, नुआगांव, लिंगिपुर, शिशुपाल, सामंत्रपुर, बिन्दुसागर, केदारगौरी एवं नागेश्वरतांगी सहित पोस्टल पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(ii) एअरोड्रम एरिया, पोखरीपुट, पलासपल्ली, भीमांरांगी, भीमपुर जादूपुर, वेगुनियां सहित पोस्टल पिन कोड 751002 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(iii) बुद्धेश्वरी कॉलोनी, कल्पना चौराहा, झारपाड़ा एवं लक्ष्मी सागर सहित पोस्टल पिन कोड 751006 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(iv) वारगढ वी आर आई टी कॉलोनी सहित पोस्टल पिन कोड 751018 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(v) बीजेवी नगर, गौतम नगर, भुवनेश्वर न्यायालय लेविस रोड, पाठाननिवास के पास हाउसिंग कॉलोनी सहित पोस्टल पिन कोड 751014 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(vi) सिरिपुर, सूर्यानगर, कृषि विश्वविद्यालय एवं यूनिट-7 सहित पोस्टल पिन कोड 751003 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(vii) बरमुंडा, खंडगिरि सहित पोस्टल पिन कोड 751031 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(viii) दमदम एवं जगामारा सहित पोस्टल पिन कोड 751019 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(ix) उपयुक्त से भिन्न भुवनेश्वर नगर निगम प्रादेशिक सीमाओं तथा प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त भुवनेश्वर-2 को निर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र।</p>	<p>आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(ड.) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p>	<p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ड.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है।</p>	
47.	प्रधान आयुक्त/ आयकर	भुवनेश्वर ओडिशा	<p>(क) ओडिशा राज्य में:-</p> <p>(क) अनुगुल, घेंकानाल, पुरी एवं भुवनेश्वर के निम्नलिखित</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल</p>	<p>(क) उन व्यक्ति से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तंभ (5) की मद (क), (ख) में की गई तदनुसूची</p>

आयुक्त, भुवनेश्वर-2		<p>क्षेत्र:-</p> <p>(i) राजभवन एवं इससे लगे हुए क्षेत्रों सहित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(ii) अशोक नगर, फोरेस्ट पार्क, बापूजी नगर एवं यूनिट-1 सहित डाक पिन कोड 757009 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(iii) भोई नगर सहित डाक पिन कोड 7510022 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(iv) वाणी विहार एवं वीएसएस नगर सहित डाक पिन कोड 751004 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(v) शहीद नगर एवं सत्य नगर सहित डाक पिन कोड 751007 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(vi) जीपीओ एकक-3, एकक-5, एकक-6 मास्टर कैटीन एवं शास्त्री नगर सहित डाक पिन कोड 751001 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(vii) चंद्रशेखरपुर सहित डाक पिन कोड 751016 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(viii) सैलाश्री विहार सहित डाक पिन कोड 751021 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(ix) न्यापाल्लि सहित डाक पिन कोड 751021 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(x) आई आर सी गांव सहित डाक पिन कोड 751015 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(xi) सीआरपी चौराहा सहित डाक पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(xii) मानचेस्टर रेलवे कॉलोनी सहित डाक पिन कोड 751017 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(xiii) ईस्ट कोस्ट रेलवे कॉलोनी सहित डाक पिन कोड 751023 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(xiv) सैनिक स्कूल एवं सरकारी मुद्रणालय सहित डाक पिन कोड 751013 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p> <p>(xv) आईएमएमटी एवं भौतिक संस्थापन सहित डाक पिन कोड 751013 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।</p>	<p>स्थान स्तम्भ (4) के मद (क), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p>	<p>प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन है।</p>
------------------------	--	--	---	---

			(xvi) के आईआईटी सहित डाक पिन कोड 751024 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। (xvii) पटिया एवं कानन विहार सहित डाक पिन कोड 751030 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। (ख) अनुगल धेनकानल, पुरी तथा भुवनेश्वर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।		
48.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त/ आयुक्त, कटक	कटक, ओडिशा	ओडिशा राज्य में:- बालासोर, भदराक, कटक, जगतसिंहपुर, जयपुर, केन्द्रपाडा, कियोझर, मयूरभंज के जिले।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है। (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में की गई तदनुरूप प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;
49.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त/ आयुक्त, संभलपुर	संभलपुर, ओडिशा	ओडिशा राज्य में:- बरगढ़, बोलांजिर, देवोगढ़, झारसुगुडा, कालाहोडी, नूकापाडा, संभलपुर, सोनीपुर, सुन्देहगढ़	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है। (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) के मद (ग) में की गई तदनुरूप प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले;

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी	मामले अथवा मामलों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चण्डीगढ़-।	चण्डीगढ़	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के सेक्टर 1 से 25 औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1 और 2 चण्डीगढ़, मनिमाजरा, रोपड़ जिले के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र तथा जिला एएस नगर मोहाली में डेरावस्सी तहसील में आने वाले सभी क्षेत्र जिसमें डेरावस्सी का कानूनगो मंडल, सम्मोली, लालरू, बनूर तथा जांसोला शामिल है।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
51	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चण्डीगढ़-।।	चण्डीगढ़	सेक्टर 26 से सेक्टर 61, संघ प्रादेशिक क्षेत्र, चण्डीगढ़ के गांव की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और डेरा वस्सी, सम्मोली, लालरू, बनूर और जांसला के कानूनगो सर्कल सहित एसएस नगर (मोहाली) जिले में डेरावस्सी के राजस्व उप-प्रभाग तहसील में आने वाले सभी क्षेत्रों को छोड़कर एसएस नगर (मोहाली) पंजाब के राजस्व जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
52	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पंचकुला	पंचकुला, हरियाणा	हरियाणा प्रादेशिक में- पंचकुला, अम्बाला और यमुना नगर के राजस्व जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।

				(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	
53	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, करनाल	करनाल, हरियाणा	हरियाणा प्रादेशिक में – करनाल, कैथल, पानीपत और कुरुक्षेत्र के राजस्व जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
54.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, फरीदाबाद	फरीदाबाद, हरियाणा	हरियाणा राज्य में- फरीदाबाद और पलवल के राजस्व जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
55	प्रधान आयकर, आयुक्त/ आयकर आयुक्त, गुडगांव	गुडगांव, हरियाणा	हरियाणा राज्य में – गुडगांव और मेवात के राजस्व जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।

56	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रोहतक	रोहतक, हरियाणा	हरियाणा राज्य में – रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर और मोहिन्दरगढ़ के राजस्व जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
57	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हिसार	हिसार, हरियाणा	हरियाणा राज्य में – हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और भिवानी के राजस्व जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
58	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लुधियाना-1	लुधियाना, पंजाब	पंजाब राज्य में- (क) लुधियाना जिले में- (i) लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र 'क' को छोड़कर लुधियाना की निगम सीमाओं के अंदर अमृतसर से अंबाला तक जाने वाली रेलवे लाईन की बायीं ओर पड़ने वाला क्षेत्र (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लुधियाना-II और लुधियाना-III के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र को छोड़कर लुधियाना जिले के अन्य सभी क्षेत्र।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।

59	प्रधान आयकर आयुक्त, लुधियाना-II	लुधियाना, पंजाब	<p>पंजाब राज्य में-</p> <p>(क) लुधियाना जिले में:- लुधियाना की नगर निगम सीमाओं के अंदर आने वाले क्षेत्र जो जागरांव पुल से शुरू होकर अमृतसर-अम्बाला रेलवे लाईन के दायीं ओर और मालेरकोटला की ओर जानेवाली धुरी रेलवे लाईन की बायीं ओर के बीच पड़ता है।</p> <p>(ii) लुधियाना की निगम सीमाओं के अंदर का क्षेत्र जो अमृतसर-धुरी रेलवे लाइन और जगरांव पुल से शुरू होकर भारत नगर चौक तक की फिरोजपुर रोड का बायीं ओर के बीच पड़ता है तथा बस स्टैंड की तरफ के भारत नगर चौक से लेकर डुगरी रोड तक को लिंक रोड के बायीं ओर और डुगरी की तरफ 200 फीट रोड तक डुगरी रोड की बायीं ओर, धान्द्रा रोड की तरफ 200 फीट रोड की बायीं ओर तथा धान्द्रा रोड की बायीं ओर पड़ने वाले क्षेत्र।</p> <p>(iii) खन्ना, पायल और समराला की तहसीलें तथा साहनेवाल की निगम परिषद।</p> <p>(ख) संगरूर जिले में-धुरी और मालेरकोटला की तहसीलें।</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
60	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लुधियाना-III	लुधियाना, पंजाब	<p>पंजाब राज्य में:-</p> <p>(क) लुधियाना जिले में:-</p> <p>(i) लुधियाना की नगर निगम की सीमाओं के भीतर अम्बाला - अमृतसर रेलवे लाइन के बायीं ओर जगराओं त्रिज से शुरू होकर अमृतसर की ओर और फिरोजपुर रोड के दायीं ओर जगराओं त्रिज से शुरू होकर भारत नगर चौक तक लिंक रोड के दायीं ओर भारत नगर चौक से लेकर दुगरी तक, दुगरी रोड के दायीं ओर दुगड़ी की ओर 200 फुट सड़क तक, 200 फुट सड़क के दायीं ओर धन्द्रा रोड तक और धन्द्रा रोड की दायीं ओर के बीच पड़ने वाला क्षेत्र</p> <p>(ii) लुधियाना का औद्योगिक क्षेत्र 'क'</p> <p>(iii) जिला लुधियाना की रायकोट और जगराओं तहसील</p> <p>(ख) मोगा का जिला</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तर (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
61	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जालंधर-1	जालंधर, पंजाब	<p>पंजाब राज्य में:-</p> <p>(क) जालंधर नगर निगम के भीतर आने वाले क्षेत्र जो निम्नलिखित से आवद्ध हों-</p> <p>(i) दिल्ली जालंधर-कपूरथला रेलवे लाइन के उत्तर में टांडा रोड फाटक (रेलवे क्रॉसिंग) से शुरू होकर विधिपुर फाटक तक।</p> <p>(ii) नकोदर रोड और जी टी रोड से</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न हैं जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक</p>	<p>(क) स्तर (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित</p>

			<p>आबद्ध बाल्मीकि चौक से पटेल चौक होते हुए उत्तर पश्चिम में जालंधर-कपूरथला रेलवे लाइन पर समाप्त।</p> <p>(iii) टांडा रोड से घिरा टांडा रोड फाटक से शुरू होकर नगर निगम सीमा तक टांडा रोड पर समाप्त तथा जालंधर - दिल्ली रेलवे लाइन से उत्तर में टांडा रोड फाटक से शुरू होकर जालंधर - दिल्ली रेलवे लाइन के पूर्व में नगर निगम सीमा तक।</p> <p>(iv) जीटी रोड के दोनों ओर के क्षेत्र बाल्मीकि चौक से पटेल चौक होते हुए जालंधर-कपूरथला रेलवे लाइन तक तथा इस लाइन के पार जालंधर-दिल्ली रेलवे लाइन (विधिपुर फाटक) इसमें नयी सब्जी मंडी और पुरानी सब्जी मंडी भी शामिल है।</p> <p>(v) नकोदर रोड के दोनों ओर के क्षेत्र (पूर्वी और पश्चिमी) बाल्मीकि चौक से आरंभ होकर जालंधर नगर निगम की सीमाओं तक और बस्ती रोड के दोनों ओर के क्षेत्र बस्ती अड्डा चौक से आरंभ होकर भगवान महावीर मार्ग पर एफसी सौंधी चौक तक और भगवान महावीर मार्ग पर एफसी सिंधी चौक से लेकर डॉ.बी.आर अम्बेडकर चौक तक सड़क के दोनों ओर के उनके कारोबार परिसर तथा पश्चिम में बस्ती रोड, पूर्व में नकोदर रोड, दक्षिण में भगवान महावीर मार्ग और उत्तर में जीटी रोड द्वारा आवद्ध क्षेत्र।</p> <p>(ख) होशियारपुर और नवांशहर जिले</p>	<p>क्षेत्र के अंदर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
62	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जालंधर	जालंधर, पंजाब	<p>पंजाब राज्य में:-</p> <p>(क) जालंधर जिले में-</p> <p>(i) आयकर आयुक्त, जालंधर-1 को सौंपे गए क्षेत्र को छोड़कर जालंधर के छावनी बोर्ड और जालंधर नगर निगम के भीतर का क्षेत्र।</p> <p>(ii) जालंधर तहसील जो जालंधर नगर निगम और जालंधर छावनी बोर्ड की सीमा से बाहर पड़ने वाला क्षेत्र।</p> <p>(iii) फिल्लौर, नकोदर और शहकोट की तहसीलें।</p> <p>(iv) कपूरथला जिला।</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न हैं जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में दी गई तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

63	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटियाला	पटियाला, पंजाब	पंजाब राज्य में:- पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, बरनाला और संगरूर (मलेरकोटला और धुरी तहसीलों को छोड़कर) के जिले।	(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
64	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अमृतसर-1	अमृतसर, पंजाब	पंजाब राज्य में:- (क) अमृतसर के जिले में:- अमृतसर की नगर निगम की सीमा के भीतर जालंधर से पहुंचते समय जीटी रोड के बायीं ओर पड़ने वाले क्षेत्र। (ख) जिला-तरनतारन (ग) गुरदासपुर जिले में - (i) तहसील बटाला	(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
65	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अमृतसर-2	अमृतसर, पंजाब	पंजाब राज्य में:- (क) अमृतसर जिले में- (i) जालंधर से आते समय अमृतसर की नगरीय सीमाओं में जीटी रोड की दाईं ओर पड़ने वाले क्षेत्र (ii) आयकर, आयुक्त अमृतसर-1 को सौंपी न गई तहसीलों। (ख) बटाला की तहसील को छोड़कर गुरदासपुर का जिला। (ग) पठानकोट का जिला।	(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
66	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,	भठिंडा, पंजाब	पंजाब राज्य में- भठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर, मानसा एवं फजिल्का	(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची

	भठिंडा		के जिले।	<p>और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न हैं जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
67	प्रधान आयकर, आयुक्त/आयकर आयुक्त, जम्मू	जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर प्रादेशिक के सभी जिले।	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न हैं जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
68	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, शिमला	शिमला, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी जिले।	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न है जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) व्यक्ति जो कंपनियों से भिन्न हैं जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर आता है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त चेन्नै-1	चेन्नै, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) चेन्नै, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त चेन्नै-10 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कॉलम (5) की मद (क) में तदनु रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर "ए" अथवा "बी" अथवा "सी" अथवा "डी" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) चेन्नै नगर के भीतर आने वाले क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं:- 600 004 माइलापुर एच ओ; 600 017 टी नगर; 600 028 आर ए पुरम; 600 035 नंदानाम; और 600 085 कोट्टूरपुरम	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनु रूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
70.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त चेन्नै-2	चेन्नै, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) चेन्नै, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त चेन्नै-10 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर "ई" या "एफ" या "जी" या "एच" या "आई" या "जे" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;

			(ख) चेन्नै नगर के भीतर आने वाले क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं:- 600 037 – मोगप्पैर 600 040 – अन्ना नगर; 600 050 – पदी; 600 053 – अम्बत्तूर एच ओ; 600 054 – अवदी कैम्प एच ओ; 600 055 – अवदी आई ए एफ; 600 058 – अम्बूत्तूर औद्योगिक सम्पदा; 600 062 – तिरुमुल्लईवोयाल 600 065 – सीआरपी कैम्प अवदी; 600 071 – कामराज नगर; 600 072 – पट्टाबीराम; 600 076 – कोरत्तूर आरएस; 600 080 – कोरत्तूर; 600 098 – सिडको संपदा; 600 101 – अन्ना नगर पश्चिम विस्तार 600 102 – अन्ना नगर पूर्व; 600 109 – अवदी आरसीएस कॉम्प्लेक्स	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त, चेन्नै-3 से 10 को सौंपे गए क्षेत्रों को छोड़कर कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जिनकी आय का स्रोत कारोबार या व्यवसाय से भिन्न है तथा जो स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है।
71.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त चेन्नै-3	चेन्नै, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) चेन्नै, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त चेन्नै-10 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर "टी" या "यू" या "वी" या "डब्ल्यू" या "एक्स" या "वाई" या "जेड" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;

			(ख) चेन्नै नगर के भीतर आने वाले क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं- 600 010- किलपुक 600 011- परम्बूर 600 012- पेम्बूर बैरक 600 023- अयानावरम 600 029- आमनीजीकराई 600 030- शिनाय नगर 600 038- आईसीएफ कॉलोनी 600 049- विलीवक्कम 600 052- रेड हिल्स 600 066- पुज्हुल 600 067- शोलावरम 600 082- जवाहर नगर 600 084- फ्लावर रोड 600 099- कोलाथुर 600 110- पोन्नियामनमेडु	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) चेन्नै नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा चेन्नै नगर निगम के बाहर आने वाले निम्नलिखित पिन कोड वाले क्षेत्र:- 600 052- रेड हिल्स 600 054- अवदी कैम्प एच ओ; 600 055- अवदी आईएएफ; 600 056- पूनमल्ली; 600 062- तिरुमल्लई वीयाल 600 065- सीआरपी कैम्प अवदी 600 067- शोलावरम 600 069- कुनराथुर 600 071- कामराज नगर 600 072- पट्टाबीराम 600 077- तिरुवरकादु 600 103- मनाली न्यू टाऊन 600 109- अवादी आरसीएस काम्प्लेक्स 600 120- उत्तरी चेन्नै थर्मल पावर स्टेशन	(ड.) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जिनकी आय का स्रोत कारोबार या व्यवसाय से भिन्न है तथा जो स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;	(घ) स्तम्भ (5) के मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित भारत सरकार/ राज्य सरकार, रेलवे, आंतरिक कोच फैक्टरी, स्थानीय निकाय के कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनका आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' होता है तथा जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं।
72.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नै-4	चेन्नै, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में - (क) चेन्नै, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त चेन्नै-10 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर "के" या "एल" या "एम" या "एन" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;

			(ख) चेन्नै नगर के भीतर आने वाले क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं:- 600 056- पूनामल्ली 600 069- कुनराथुर 600 077- तिकवरकेदु 600 087- अलवरथिरुनगर 600 089- नंदमबकम 600 092- विरुगमबकम 600 093- सालीग्रामम 600 095- मदुरावोयाल 600 106- अरुमबकम 600 107- कोयामबेदु 600 116- पोरुर	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है;	(ग) ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) चेन्नै नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा चेन्नै नगर निगम के बाहर अवस्थित क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं:- 600 052- रेड हिल्स 600 054- अवदी कैम्प एच ओ 600 055- अवदी आईएफ 600 056- पूनामल्ली 600 062- तिरुमुल्लई वोयाल 600 065- सीआरपी कैम्प अवदी 600 067- शोलावरम 600 069- कुनराथुर 600 071- कामराज नगर 600 072- पट्टावीराम 600 077- तिरुवरकेदु 600 109- अवदी आरसी एस कॉम्प्लेक्स 600 103- मनाली न्यू टाऊन 600 120- उत्तरी चेन्नै थर्मल पावर स्टेशन	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, वीएसएनएल के कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है।
73.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, चेन्नै-5	चेन्नै, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में:- (क) चेन्नै, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिला	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त चेन्नै-10 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर "ओ" या "पी" या "क्यू" या "आर" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) चेन्नै नगर के भीतर आने वाले क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं:-	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है के

			600 006- ग्रीम्स रोड 600 018- टेयनामपेट 600 031- चेटेपेट 600 034- नुंगम्बकम 600 086- गोपालापुरम	आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) चेन्नै नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा चेन्नै नगर निगम के बाहर अवस्थित निम्नलिखित पिन कोड वाले क्षेत्र: 600 052- रेड हिल्स 600 054- अवदी कैम्प, एच ओ 600 055- अवदी आई ए एफ 600 056- पूनमल्ली 600 062- तिरुमुल्लई वीयाल 600 065- सीआरपी कैम्प अवदी; 600 067- शोलावरम; 600 069- कुनराथुर; 600 071- कामराज नगर 600 072- पट्टाबीराम 600 077- तिरुवरकेदु 600 109- अवदी आरसीएस कॉम्प्लेक्स 600 103- मनाली न्यू टाऊन 600 120- उत्तरी चेन्नै थर्मल पावर स्टेशन	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्तियों को कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' से शुरू होते हैं तथा जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है।
74	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, चेन्नै-6	चेन्नै, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) चेन्नै, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त चेन्नै-10 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर "एस" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) चेन्नै नगर के भीतर आने वाले क्षेत्र जिनके पिन कोड निम्नलिखित हैं:- 600 020- अद्यार	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में की गई तदनुसूची

			600 041- तिरुवनमियूर 600 090- बेंसंट नगर 600 096- पेरुनगुदी 600 097- उगीमथोराई पक्कम 600 115- इनजमवक्कम 600 119- शोलिंगनालूर	स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हैं;	प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) चेन्नई नगर-निगम के भीतर और चेन्नई नगर निगम से बाहर स्थित निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 600 052 रेड हिल्स; 600 054 अवादी कैम्प, मुख्यालय; 600 055 अवादी आई ए एफ; 600 056 पूनामैल्ली 600 062 तिरुमुलायवोयाल 600 065 सी आर पी कैम्प, अवादी; 600 067 शोलावरम; 600 069 कुनराथुर 600 071 कामराज नगर 600 072 पट्टाविराम 600 077 तिरुवेरकाडु 600 109 अवादी आर सी एस काम्पलेक्स 600 103 मनाली न्यू टाऊन 600 120 उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जो निजी क्षेत्र में नियोजित हैं, और जिनके नाम अक्षर 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जैड' से शुरू होते हैं और जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, के सभी मामले।
75	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-7	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में,- (क) निम्नलिखित पिन कोड वाले चेन्नई शहर के भीतर के क्षेत्र:- 600 043 पालावरम 600 044 चरोमेपेट 600 045 तम्बरम पश्चिम 600 046 तम्बरम आई ए एफ 600 047 तम्बरम सन्टोरियम 600 048 वन्डालूर 600 059 तम्बरम पूर्व 600 063 पुराना पेरुगुलाथुर 600 064 चितलापक्कम 600 070 अन्का पुथुर 600 073 सेलाययुर 600 074 पो जीह चालुर 600 075 पम्माल 600 100 मेडावाक्कम 600 117 पुराना पालावरम 600 122 मंगादु 600 126 मदमवाक्कम 600 129 कोविलम्बाक्कम 600 130 थालाम्बुर और निम्नलिखित तालुकों के क्षेत्र चेंगलापेट मदुरुताकम चेय्युर तिरुकालुकुन्दरम और तम्बरम।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।	(क) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) में तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, के सभी मामले।

			(ख) निम्नलिखित पिन कोड वाले चेन्नई शहर के भीतर के क्षेत्र 600 002 माऊंट रोड 600 005 ट्रिपलीकेन 600 007 वेपेरी 600 008 इगमोर 600 112 चूलैड	(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;	(क) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (घ) और (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
76	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-8	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) वेलोर और तिरुवन्नामलैडु जिले (ख) निम्नलिखित पिन कोड वाले चेन्नई शहर के भीतर के क्षेत्र- 600 001 चेन्नई जीपीओ; 600 009 फोर्ट सेंट जॉर्ज 600 014 रोयापेट्टाह; 600 104 चेन्नई उच्च न्यायालय	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति। (ग) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) के मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, के सभी मामले। (घ) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (घ) और (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
77.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, चेन्नई-9	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) निम्नलिखित पिन कोड वाले चेन्नई शहर के भीतर के क्षेत्र 600 003- पार्क टाऊन	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और	(क) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) में

			600 013- रोयापुपराम 600 019- थिरुवोटरीयुर 600 021- वाशरमेनपेट 600 039- व्यासरपाडी 600 051- माधवरम मिल्क कालोनी 600 057- इन्नोर थर्मल स्टेशन 600 060- माधवरम 600 068- मनाली 600 079- सोकारपेट 600 081- टोन्डियारपेट 600 103- मानाली न्यू टाऊन 600 118- कोडनौयुर 600 120- उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन	स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;	तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ख) चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले और चेन्नई नगर निगम से बाहर स्थित निम्नलिखित पिन कोड वाले क्षेत्र। 600 052- रेड हिल्स 600 054- अवादी कैम्प मुख्यालय 600 055- अवादी आई ए एफ 600 056- पूनामेल्ली 600 062- तिरुमुल्लायवोयाल 600 067- शोलावरम 600 065- सीआरपी कैम्प अवादी 600 067- शोलावरम 600 069- कुनराथुर 600 071- कामराज नगर 600 072- पट्टाविराम 600 077- तिरुवेरकाडु 600 109- अवादी आर सी एस काम्पलेक्स 600 103- मनाली न्यू टाऊन 600 120- उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन	(ग) व्यष्टि होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;	(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जो निजी क्षेत्र में नियोजित हैं और जिनका नाम अक्षर 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' से शुरू होता है और जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, के सभी मामले।
78	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, चेन्नई-10	चेन्नई, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले और निम्नलिखित पिन कोड वाले चेन्नई नगर निगम से बाहर स्थित क्षेत्र 600 052- रेड हिल्स 600 054- अवादी कैम्प मुख्यालय 600 055- अवादी आई ए एफ 600 056- पूनामेल्ली 600 062- तिरुमुल्लायवोयाल 600 065- सीआरपी कैम्प अवादी; 600 067- शोलावरम 600 069- कुनराथुर 600 071- कामराज नगर 600 072- पट्टाविराम 600 077- तिरुवेरकाडु 600 109- अवादी आर सी एस काम्पलेक्स 600 103- मनाली न्यू टाऊन 600 120- उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति। (ग) कंपनियों से भिन्न स्तम्भ (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनकी आय का मूल स्रोत चल चित्रों, सभी प्रकार की फिल्मों, टेलिविजन मीडिया, ड्रामा, कलाओं के प्रदर्शन, मनोरंजन उद्योग (दृश्य एवं श्रव्य विनिर्माण, वितरण प्रदर्शन, उद्योग को सॉफ्टवेयर सहायता, संरचनात्मक सहायता या तकनीकी सहायता सहित), रंगमंच प्रदर्शन, केबल तथा रेडियो नेटवर्क के संचालन से जुड़े कार्यकलापों से है अथवा चलचित्र) स्टूडियो, सिनेमा हॉलों तथा थियेटर्स के स्वामित्व और/अथवा संचालन से है, तथा इनके अलावा विडियो, रेडियो तथा डिस्क जाँकियों सहित उपर्युक्त क्षेत्रों से जुड़े

				भीतर आता हैं। (घ) व्यक्ति होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	कलाकारों के भी सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) उन व्यक्तियों के मामले से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) भारत सरकार/राज्य सरकारों, रेलवे, इन्टीग्रेल कोच फैक्ट्री, स्थायी निकायों के कर्मचारी या पेंशनभोगी होने पर स्तम्भ (5) की मद (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जिनके नाम अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' से शुरू होते हैं, के सभी मामले।
			(ख) निम्नलिखित पिन कोड वाले चेन्नई शहर के भीतर के क्षेत्र- 600 015- सैदापेट 600 016- सेंटर थोमस ऑन्ट 600 022- राज भवन 600 024- कोदमवक्कम 600 025- गुन्दी इंजीनियरिंग कॉलेज 600 026- वडापलानी 600 027- मीनमवक्कम 600 032- गुन्दी 600 033- पश्चिम मामबलम 600 036- आई आई टी 600 042- वेलाचेरी 600 061- नन्गानाल्लुर 600 078- के के नगर 600 083- अशोक नगर 600 088- आदमवक्कम 600 091- मादीपक्कम 600 094- चुलैयीमेदु 600 113- तारामणी 600 114- पाञ्जावनथन्गल 600 125- मुगालिवक्कम	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(ड.) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ड.) और (च) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;
79.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुदुचेरी	पुदुचेरी	तमिलनाडु राज्य में- (क) कुड्डालोर और विल्लुपुरम जिले (ख) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पांडिचेरी का जिला	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में

				<p>क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p>	<p>उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, के सभी मामले।</p>
80.	प्रधान आयकर, आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोयम्बतूर-1	कोयम्बतूर	तमिलनाडु राज्य में:- (क) कोयम्बतूर जिला	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सेक्रेटरी होने के व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
			<p>(ख) कोयम्बतूर जिले के क्षेत्र-निम्नलिखित तालुकों को छोड़कर-</p> <p>(i) अन्नुर मेट्टुप्पालयाम पोलाची वालपराय किनाथुकदावु मादुक्कराय पेरुर सुलुर और निम्नलिखित को छोड़कर</p> <p>(ii) कोयम्बतूर जिले के निम्नलिखित पिन वाले क्षेत्र 641017, 641019, 641020, 641022, 641029, 641031, 641034 और 641047</p>	<p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(ग) ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है, के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>

81	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, कोयम्बतूर-2	कोयम्बतूर	तमिलनाडु राज्य में- (क) इरोड और नीलगिरी जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ख) तमिलनाडु राज्य में:- कोयम्बतूर के जिले, अन्नूर के तालूकों, मेट्टूपपलयम, पोल्लाची, वलपराई, किन्टुकाडवु, मडुक्करई, सुलूर एवं पेरुर के जिले के भीतर आने वाले क्षेत्र और कोयम्बतूर जिले में स्थित निम्नलिखित पिन कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:- 641017, 641019, 641020, 641022, 641029, 641031, 641034 और 641047	(ग) कंपनी से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनी से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;	(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) कोयम्बतूर जिले के पोल्लाची किनाटुक्काडवु और वलपराई के तालुका के भीतर आने वाले क्षेत्र।	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) एवं (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	(घ) व्यक्तियों के मामलों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
82	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोयम्बतूर-3	कोयम्बतूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) तिरुपुर जिला	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
				(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;	(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

				(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	
			(ख) पोल्लची, किनाठुक्कडवु और वलपराई के तालुक को छोड़कर कायेम्बतूर जिले के भीतर क्षेत्र	(ड.) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।	(घ) उन व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों के सभी मामले।
83	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मदुरै	मदुरै तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य में- (क) मदुरै, विरुद्वनगर, डिंडीगुल, थेनी और तुतीकोरिन	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ख) मदुरै जिला	(ग) व्यष्टि जो कंपनी से भिन्न हैं, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का कुल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।	(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का प्रधान स्रोत वेतन से है, स्तम्भ (5) की मद (ग) एवं (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनका नाम वर्णमाला 'ए' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' से शुरू होते हैं।
			(ग) डिंडीगुल, थेनी और तुतीकोरिन	(ड.) व्यक्ति, जो कंपनी से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में रह रहे हैं। (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का कुल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।	(घ) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ड.) और (च) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

			(घ) मदुरै, डिंडीगुल, थेनी और तुतीकोरिन	(छ) व्यष्टि होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।	(ड.) स्तम्भ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है।
84	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मदुरै-2	मदुरै, तमिलनाडू	तमिलनाडू राज्य में:- (क) शिवगंगा, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ख) मदुरै जिला	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (घ) व्यक्ति, जो कंपनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मुख्य स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में आता है।	(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) एवं (च) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनका नाम 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं, स्तम्भ (5) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामलों से भिन्न उन व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है।
			(ख) शिवगंगा, रामनाथपुरम विरुद्धनगर, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी के जिले	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।	(घ) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ड.) और (च) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
				(छ) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।	(ड.) स्तम्भ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है;
85	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर	त्रिची तमिलनाडू	तमिलनाडू राज्य में	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में दी गई तदनुसूची प्रविष्टियों में

	आयुक्त, त्रिची-1		(क) निम्नलिखित तालूकों के क्षेत्रों:- मनचनलूर तालूक थुरईयूर तालूक मनाप्पराई तालूक श्रीरंगम तालूक लालगुडी तालूक थोट्टियम तालूक मुसीरी तालूक; और तिरुचिरापल्ली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, जिनके निम्नलिखित पिन कोड हैं:- 620001 से 620007 और पेराम्बलूर अरीयालूर और करुर के जिले	अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
				(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।	(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ग) एवं (घ) में तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ख) तिरुचिरापल्ली, पेराम्बलूर, अरियालूर और करुर जिले	(ड.) व्यष्टि होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है;
86	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, त्रिची-2	त्रिची तमिलनाडू	(क) निम्नलिखित पिन कोड वाले तिरुचिरापल्ली शहर के अंतर्गत क्षेत्र (ख) पुडुकोट्टई, थनजावुर, तिरुवरुर और नागपट्टीनाम	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर आता है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में दी गई तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ग) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में- कराईकल जिला	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या	(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ग) एवं (घ) में तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।

				व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।	
				(ड.) व्यक्ति होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदरूपी प्रविष्टि के सभी मामले उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है;
87	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सलेम	सलेम, तमिलनाडू	तमिलनाडू राज्य में:- सलेम, नामक्कल, कृष्णागिरि और धर्मपुरी	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर आता है; (ख) स्तम्भ (6) की मद में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में दी गई तदरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) उपर्युक्त मद (क) की तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
				(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।	(ग) उन व्यक्तियों के मामलों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (ग) एवं (घ) में तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
				(ड.) व्यक्ति होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, के सभी मामले;

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
88.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली -1	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसारी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "ए" से शुरू होते

				कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	हैं ; (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
89.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,दिल्ली-2	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "बी" अथवा "सी" से शुरू होते हैं ; (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
90.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,दिल्ली-3	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "डी" अथवा "ई" अथवा "एफ" से शुरू होते हैं ; (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
91.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,दिल्ली-4	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थल स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "जी" अथवा "एच" अथवा "आई" से शुरू होते हैं ; (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।

				का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है;	"डब्ल्यू" अथवा "एक्स" अथवा "वाई" अथवा "जेड" से शुरू होते हैं;
				(ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित मामलों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यक्तियों के सभी मामले।
97.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली -10	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः तुगलकाबाद 185 एक्सटेंशन संगम विहार (पश्चिम) 186 संगम विहार (मध्य) 187 संगम विहार (पूर्व) 188 चिराग दिल्ली 189 चितरंजन पार्क 190 शाहपुर जट 191 ग्रेटर कैलाश 192 श्रीनिवास पुरी 193 ईस्ट ऑफ 194 कैलाश गोविंद पुरी 195 कालका जी 196 तुगलकाबाद 197 पुल पहाड़ पुर 198 तेखंड 199 हरकेश नगर 200 जैतपुर 201 मीठा पुर 202 बदरपुर 203 मोलडुबंद 204 जाकिर नगर 205 ओखला 206 मदनपुर खादर 207 सरिता विहार 208	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र से भीतर निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति
98.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली -11	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः महिपाल पुर 144 मालवीय नगर 161 विलेज हाँज 162 रानी 163 सफदरजंग 163 इन्कलेव 164 हौजखास 164	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र से भीतर निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

			वसंत विहार 165 मुनिरका 166 आर के पुरम 167 नानक पुरा 168 लाडो सराय 169 महारौली 170 वसंत कुंज 171 कृष्ण गढ़ 172 शहदूल 173 अजायब छत्तर पुर 174 आया नगर 175 भाटी 176 संगम विहार 177 देवली 178 टिगरी 179 दक्षिण पुरी 180 एक्स खानपुर 181 अंबेडकर नगर 182 मदनगीर 183 पुष्प विहार 184	स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	
99.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-12	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः वार्ड नाम वार्ड सं. मलका गंज 9 तिमार पुर 10 मुकर्जी नगर 11 जीटीबी नगर 12 धीरपुर 13 आदर्श नगर 14 सराय पीपल 15 थाला जहांगीर पुरी-1 16 शालीमार बाग 56 दक्षिण निमडी 65 कालोनी सावन पार्क 66 वजीर पुर 67 अशोक विहार 68 कमला नगर 69 राणा प्रताप बाग 70 संगम पार्क 71 मॉडल टाउन 72 शास्त्री नगर 73 किशन गंज 75 कश्मीरी गेट 77 मजनू का टीला 78	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति
100.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :

	दिल्ली-13		<p>नरेला 1</p> <p>बांकनेर 2</p> <p>अलीपुर 3</p> <p>बख्तावर 4</p> <p>भलस्वा जहांगीर पुरी 5</p> <p>मुकुंद 6</p> <p>बुराड़ी 7</p> <p>झड़ौदा 8</p> <p>समय पुर बादली 17</p> <p>लिबास पुर 18</p> <p>भलस्वा 19</p> <p>जहांगीर पुरी-II 20</p> <p>रोहिणी 21</p> <p>रिठाला 22</p> <p>बुद्ध विहार 23</p> <p>विजय विहार 24</p> <p>पूठ कलां 25</p> <p>साहिबाबाद 26</p> <p>दौलतपुर 27</p> <p>बेगमपुर 27</p> <p>बवाना 28</p> <p>कराला 29</p> <p>प्रताप विहार 33</p> <p>निठारी 34</p> <p>किराडी सुलेमान नगर 35</p> <p>सुल्तान पुरी पूर्व 37</p> <p>मंगोल पुरी (उत्तर) 38</p> <p>सुल्तान पुर 39</p> <p>माजरा 40</p> <p>सुल्तान पुरी (दक्षिण) 40</p> <p>रोहिणी (दक्षिण) 45</p> <p>मंगोल पुरी (पूर्व) 46</p> <p>मंगोलपुरी 47</p> <p>मंगोलपुरी 48</p> <p>पश्चिम 49</p> <p>रोहिणी उत्तर 49</p> <p>रोहिणी मध्य 50</p> <p>रोहिणी पूर्व 51</p> <p>नाहर पुर 52</p> <p>प्रीतमपुरा उत्तर 54</p>	<p>उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है।</p> <p>(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति</p>
101.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-14	दिल्ली	<p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्ड:</p> <p>मुंडका 30</p> <p>नागलोई जाट पश्चिम 31</p> <p>निलोठी 32</p> <p>प्रेम नगर 36</p> <p>गुरु हरकिशन नगर 41</p> <p>पीरागढ़ी 42</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जो स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित</p>	<p>(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसारी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :</p> <p>(i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है।</p> <p>(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति</p>

			नागलोई (पूर्व) 43 कौमुदीन नगर 44 प्रीतम पुरा 53 दक्षिण शालीमार बाग 55 उत्तर पश्चिम विहार 57 दक्षिण पश्चिम विहार 58 उत्तर रानी बाग 59 सरस्वती 60 विहार त्री नगर 61 रामपुरा 62 कोहाट इन्कलेव 63 शकूर पुर 64 मोती नगर 99 कर्म पुरा 100 पंजाबी बाग 103 मादी पुर 104 कुंवर सिंह 121 नगर हस्ताल 122 मोहन गार्डन 125 नवादा 126	प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	
102.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-15	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः राजा गार्डन 101 रघुवीर नगर 102 राजौरी गार्डन 105 टैगोर गार्डन 106 विष्णु गार्डन 107 ख्याला 108 सुभाष नगर 112 महावीर नगर 113 तिलक नगर 114 मेजर भूपिन्द्र सिंह नगर 115 विकास पुरी 116 पूर्व मिलाप नगर 119 सीता पुरी 120 विकास पुरी 123 विकास नगर 124 उत्तम नगर 127 बिंदा पुर 128 डावडी 129 मंगला पुरी 130 सागर पुर 131 सागर पुर 132 पश्चिम छावला 133 नगली 134 सकरावती	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

			ककरौला 135 मटियाला 136 रोशन पुरा 137 नजफगढ़ 138 ढिचाऊं कला 139 खैरा 140 बूजवासन 141 राज नगर 142 कापस हेड़ा 143 पालम 145 साध नगर 146 महावीर 147 इन्कलेव मधु विहार 148		
103.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-16	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः जामा मजिस्द 79 चाँदनी चौक 80 मिंटो रोड 81 कूचा पंडित 82 बाजार सीता राम 83 तुर्कमान गेट 84 बल्लीमारन 86	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति
104.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-17	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्डः इंद्रलोक 74 करोल बाग 91 देव नगर 92 बलजीत नगर 93 वेस्ट पटेल नगर 94 ईस्ट पटेल नगर 95 न्यू रंजीत नगर 96 कीर्ति नगर 97 मान सरोवर 98 गार्डन जनक पुरी नार्थ 109 नागल राय 110 हरी नगर 111 जनक पुरी पश्चिम 117 जनक पुरी दक्षिण 118 राजेन्द्र नगर 149 पूसा 150 इंद्र पुरी 151 नारायणा 152 छावनी परिषद् के अंतर्गत क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

105.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-18	दिल्ली	<p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्ड:</p> <p>लाजपत नगर 155 दरिया गंज 153 निजामुद्दीन 154 भोगल 156 कस्तूरबा नगर 157 कोटला मुबारक पुर 158 एंड्रयूज गंज 159 अमर कालोनी 160</p> <p>एनडीएमसी के अंतर्गत क्षेत्र</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :</p> <p>(i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है।</p> <p>(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति</p>
106.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-19	दिल्ली	<p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्ड:</p> <p>आनंद विहार 225 विश्वास नगर 226 धर्मपुरा 233 गांधी नगर 234 आजाद नगर 235 रघुबर पुरा 236 शाहदरा 237 झिलमिल 238 विवेक विहार 239 दिलशाद 240 कॉलोनी दिलशाद गार्डन 241 न्यू सीमा पुरी 242 नंद नगरी 243 सुंदर नगरी 244 दुर्गापुरी 245 अशोक विहार 246 राम नगर 247 बेलकम 248 कालोनी चौहान बंगर 249 जाफराबाद 250 न्यू उस्मान पुर 251 मौज पुर 252 भजन पुरा 253 बहूपुरी 254 घोंडा 255 यमुना विहार 256 सुभाष मोहल्ला 257 कर्दम पुर 258 जनता कॉलोनी 259 बाबर पुर 260 जीवन पुर 261 गोकल पुर 262 सबोली 263 हर्ष विहार 264 शिव विहार 265</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :</p> <p>(i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है।</p> <p>(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति</p>

			करावल नगर 266 पूर्व नेहरू नगर 267 मुस्तफाबाद 268 खजूरी खास 269 तुकमीर पुर 270 करावल नगर 271 पश्चिम सोनिया विहार 272		
107.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-20	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्ड: मयूर विहार फेस-1 209 दल्लू पुरा 210 त्रिलोक पुरी 211 न्यू अशोक नगर 212 कल्याण पुरी 213 खिचड़ी पुर 214 कोंडली 215 घरोली 216 विनोद नगर 217 मंडावली 218 मयूर विहार फेस-II 219 पटपड़गंज 220 किशन गंज 221 लक्ष्मी नगर 222 शकर पुर 223 पांडव नगर 224 आई पी 227 एक्सटेंशन प्रीत विहार 228 कृष्णा नगर 229 गीता कॉलोनी 230 घोंडली 231 अनारकली 232	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले : (i) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति
108.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-21	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में, - दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल वार्ड: डिप्टी गंज 76 ईदगाह 85 राम नगर 87 कसाव पुरा 88 पहाड़ गंज 89 मॉडल बस्ती 90	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी वर्ग जिनकी आय का प्रमुख स्रोत विधिक, चिकित्सा इंजीनियरी अथवा वास्तु शिल्प व्यवसाय अथवा लेखा अथवा तकनीकी परामर्शदात्री अथवा इंटीरियर डेकोरेशन व्यवसाय अथवा किसी अन्य व्यवसाय जैसा कि बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 कक की उपधारा (1) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, से है ; (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में

				(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत ठेकेदारी व्यवसाय जिसमें कोई कार्य करने के लिए श्रमिकों की पूति शामिल है, से है। (ग) उन व्यक्तियों से भिन्न आय का स्रोत वेतन से है, स्तंभ (5) की मद (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
109.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-22	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	(क) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है तथा जो निम्नलिखित के कर्मचारी अथवा पेंशनधारी हैं : (i) केन्द्र सरकार (ii) सरकार अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली; (iii) स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर स्थित अस्पताल (iv) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (v) एयरलाइंस (उन एयरलाइनों को छोड़कर जो भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में पंजीकृत हैं) ;
110.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-23	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	(क) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं।	(ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है तथा जो निम्नलिखित के कर्मचारी अथवा पेंशनधारी हैं : (i) बैंक (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (iii) स्कूल तथा कॉलेज
111.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-24	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	(क) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले तथा जो प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-22 तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-23 के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है।

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
1	2	3	4	5	6
112	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त गुवाहाटी-1	गुवाहाटी, असम	असम राज्य में:- (क) कामरूप जिला (गुवाहाटी नगर निगम के सभी वार्डों और गुवाहाटी नगर निगम के बाहर आने वाले सभी क्षेत्रों सहित महानगर) (ख) कामरूप जिला (ग्रामीण) (ग) गुवाहाटी नगर निगम के क्षेत्र वार्ड सं.1 से 7 और 10 से 13 तक के क्षेत्र (घ) असम राज्य में नागांव, मोरीगांव, लखीमपुर, धेमाजी, सोनितपुर, दारंग तथा उदलगुरी जिले; (ड.) अरुणाचल प्रदेश में राज्य में: पूर्व कामेंग, पश्चिम पूर्व कामेंग, तावांग, लोअर, सुवानसिरी, अपर सुवानसिरी, पेपम पारे और कुरुंग कुमे जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख),(ग),(घ) और (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख),(ग),(घ) और (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ड.) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख),(ग),(घ) और (ड.) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (च) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनु रूप प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है। (ख) स्तंभ (5) की मद (क) और (ख) में की गई तदनु रूप प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी अथवा वास्तु शिल्प व्यवसाय अथवा लेखा व्यवसाय अथवा तकनीकी परामर्श सेवा अथवा आंतरिक सज्जा अथवा किसी अन्य व्यवसाय से है जिसे बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; (ग) स्तंभ (5) की मद (ग), (घ) और (ड.) में की गई तदनु रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तंभ (5) के मद (ड.) में की गई तदनु रूप प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
113	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त गुवाहाटी-2	गुवाहाटी, असम	असम राज्य में: (क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को हटाकर गुवाहाटी नगर निगम के क्षेत्र (ख) गुवाहाटी नगर निगम के बाहर कामरूप (महानगर) जिले के क्षेत्र	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4)	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त गुवाहाटी-1 के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के भिन्न स्तंभ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में की गई तदनु रूप प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनु रूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

				की मद (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर	
			(ग) नालवाड़ी, बरपेटा, बोगाईगांव, दुबरी, बक्सा, चिरांग, गेआलपारा और कोकराझार जिले (घ) मेघालय राज्य में:- पूर्वी गारो हिल्स पश्चिमी गारो हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स जिले	(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (ग) और (घ) में रह रहे हैं; (च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (छ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ज) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर	(ग) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) और (छ) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
114	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त जोरहाट	जोरहाट, असम	(क) असम राज्य में:- जोरहाट, गोलाघाट, शिवसागर और कारबी एंगलॉग जिले (ख) मणिपुर राज्य में (ग) नागालैंड राज्य में	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क) (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर	(क) स्तंभ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
115	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त शिलांग	शिलांग, मेघालय	(क) मेघालय राज्य में:- पूर्वी खासी पहाड़ियां, पश्चिमी खासी पहाड़ियां, दक्षिण पश्चिमी खासी	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क),(ख),(ग)	(क) स्तंभ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;

			<p>पहाड़ियां, जैतियां पहाड़ियां पश्चिमी जैतियां पहाड़ियां और रिभोई</p> <p>(ख) असम राज्य में:- काचर, दीमा, हासाओ, करीमगंज और हैलाकंडी</p> <p>(ग) मिज़ोरम राज्य में</p> <p>(घ) त्रिपुरा राज्य में</p>	<p>और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क),(ख),(ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क),(ख),(ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति</p>	<p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनु रूप प्रविष्टि में में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
116	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़ असम	<p>(क) असम राज्य में:- डिब्रूगढ़ और तीनसुखिया जिले</p> <p>(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य में;</p> <p>पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, अपर सियांग, अपर दीवांग घाटी, लोअर दीवांग घाटी, लोहित, तिराप, चागलांग, अनजाँ और लांगदिंग</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में की गई तदनु रूप प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तंभ (5) के मद (ग) में तदनु रूप प्रविष्टि में में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
1	2	3	4	5	6
117	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-1	हैदराबाद, तेलंगाना	<p>तेलंगाना राज्य में:-</p> <p>(क) हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिले;</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियां होने के नाते स्तम्भ (5) की मद (क) में की गई तदनु रूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के</p>

				<p>उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p> <p>(ग) व्यष्टि होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) व्यष्टि होने पर व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ङ.) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में आता है।</p>	<p>सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'क' या 'ख' या 'ग' से शुरू होते हैं।</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तम्भ (5) की मद (ग) की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मुख्य स्रोत निजी बैंकों और बीमा कंपनियों को छोड़कर संगठन/स्थापना/संस्थान/निजी क्षेत्र की कंपनियों से हैं;</p> <p>(घ) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (घ) और (ङ.) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>
118	प्रधान आयकर आयुक्त आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-2	हैदराबाद, तेलंगाना	तेलंगाना राज्य में:- (क) हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिले;	<p>(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी के वर्णमाला 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'टी' से शुरू होते हैं।</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
			<p>(ख) (i) हैदराबाद के निगम वार्ड (पुराने) संख्या 19 और 21</p> <p>(2) रंगारेड्डी जिले के मंडल;</p>	<p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में</p>	<p>(ग) आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' होनेवाले व्यक्तियों तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत</p>

		<p>(क) सेरीलिंगमपल्ली (ख) राजेन्द्रनगर (ग) शमशाबाद (घ) महेश्वरम (ङ.) मोइनाबाद (च) विकाराबाद (छ) शबद (ज) चेवेला (झ) नवाबपेट (ञ) मोमिनपेट (ट) बशीराबाद (ठ) यलाल (ड) तंदूर (ढ) दारूर (ण) पारगी (त) दोना (थ) गरदाद (द) मारपल्ली (ध) कुलकीचेरला (न) पुदुर (प) पेड्डावल (फ) शंकरापल्ली (ब) बंताराम</p>	<p>उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।</p>	<p>आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) और (घ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>
		<p>(ग) करीमनगर जिला; (घ) मेडक जिले के मंडल: (क) संगरारेड्डी (ख) सदाशिवपेट (ग) जहीराबाद (घ) कवीदापल्ली (ङ.) जेरासमगम (च) कलटर (छ) कोहिर (ज) कौंडापुर (झ) नागती (ञ) मन्नूर (ट) मुनपल्ली (ठ) नारायण खेड (ड) न्यालकल (ढ) पाटनचेरू (ण) रामचन्द्रपुरम (त) राइकोड (थ) अन्दोले (द) पुलकल (ध) रागोदे (न) अलादुर्ग (प) टेकमल (फ) जिन्नाराम (ब) पापन्नपेट (भ) कुलचाराम (म) नरसापुर (य) हतमूर (य1) शंकरामपेट (क); (ङ.) अदिलाबाद जिले के मंडल: (क) मनचेरियाल (ख) वानकिडी (ग) कागजनगर</p>	<p>(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग),(घ) एवं (ङ.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग),(घ) और (ङ.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।</p> <p>(छ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग),(घ) तथा (ङ.) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(घ) स्तंभ (5) की मद (ङ.),(च), और (छ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

			(घ) सिरपुर (ङ.) कुघाला (च) बेजपुर (छ) दाहेगाम (ज) जयपुर (झ) मंडामारी (ञ) लकचेट्टीपेट (ट) जन्नाराम (ठ) केरीमेरी (ड) आसिफाबाद (ढ) रेब्बाना (ण) बेल्लमपल्ली (त) धंडूर (थ) कासीपेट (द) थरीयानी (ध) बेमनापल्ली (न) कोटापल्ली (प) चेन्नुर (फ) डंदरपल्ली (ब) नेन्नाला (भ) भीमनी		
119	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-3	हैदराबाद, तेलंगाना	तेलंगाना राज्य में:- (क) हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले;	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (क) की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी के वर्णमाला 'आर' या 'एस' से शुरू होते हैं। (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ख) हैदराबाद के निगम वार्ड संख्या (पुराने) 10 से 15	(ग) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में रह रहे हैं। (घ) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनकी कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।	(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) और (घ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			तेलंगाना राज्य में:- (ग) वारंगल और नालगोंडा जिले	(ड.) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में रह रहे हैं। (च) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनकी कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर	(घ) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च), और (छ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तम्भ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

				<p>आता हैं।</p> <p>(छ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	
120	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-4	हैदराबाद, तेलंगाना	<p>तेलंगाना राज्य में:-</p> <p>(क) हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न हैं जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में रह रहे हैं।</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (क) की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' से शुरू होते हैं।</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) व्यष्टि होने के नाते स्तम्भ (5) की मद (ग) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मुख्य स्रोत केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभागों तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय प्राधिकरणों, सभी बैंकों और बीमा कंपनियों से प्राप्त वेतन से है।</p>
			<p>(ख) हैदराबाद के निगम वार्ड संख्या (पुराने) 4 और 5</p>	<p>(घ) व्यक्ति जो कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्रों में रह रहे हैं।</p> <p>(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(घ) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है, से भिन्न अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले मामलों को छोड़कर स्तम्भ (5) की मद (घ) और (ड.) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>
			<p>(ग) महबूबनगर जिला</p>	<p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम,</p>	<p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (च),(छ) और (ज) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(च) स्तम्भ (5) की मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

				<p>2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	
121	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-5	हैदराबाद	<p>तेलंगाना राज्य में:-</p> <p>(क) हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियां होने के नाते स्तम्भ (5) की मद (क) की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी के वर्णमाला 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं।</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
			<p>(ख) रंगारेड्डी जिले के मंडल:</p> <p>(क) बालानगर</p> <p>(ख) कुतबुल्लापुर</p> <p>(ग) मेचल;</p>	<p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है।</p> <p>(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग), और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग), और (घ) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।</p> <p>(छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p>	<p>(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है से भिन्न अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) और (घ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(घ) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) और (छ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ड) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
			<p>(ग) निजामाबाद के जिले</p> <p>(घ) इस अधिसूचना की क्रम संख्या 118 के सामने स्तंभ (4) की मद (ड.) में उल्लिखित मंडलों से भिन्न अदिलाबाद के शेष सभी मंडल</p>		

				(ज) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	
122	प्रधान/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6	हैदराबाद, तेलंगाना	<p>तेलंगाना राज्य में:-</p> <p>(क) निम्नलिखित के दायरे में आने वाले क्षेत्र</p> <p>(i) हैदराबाद के निगम वार्ड संख्या (पुराने) 6 से 9</p> <p>(ii) सिकंदराबाद के निगम वार्ड संख्या (पुराने) 1 से 11</p> <p>(iii) सिकंदराबाद कैन्टोनमेंट</p> <p>(ख) हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है।</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है।</p> <p>(ड.) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(च) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन है से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) और (ख) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग),(घ), और (ड.), की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रधान स्रोत फिल्मों, फिल्मों के प्रकारों, टेलीविजन मीडिया, नाट्य कला, निष्पादन कलाएं, मनोरंजन उद्योग (श्रव्य या दृश्य निर्माण, वितरण, प्रदर्शन उद्योग को साफ्टवेयर समर्थन, हांचागत समर्थन या तकनीकी सहयोग सहित), मंच प्रदर्शन, केबल और रेडियो नेटवर्क का प्रचालन, मोशन पिक्चर स्टूडियों का स्वामित्व और/या प्रचालन, सिनेमा हॉल और थियेटर्स तथा वीडियो, रेडियों और डिस्कजोकियों सहित उपर्युक्त क्षेत्रों के जुड़े कलाकारों के मामलों से जुड़े क्रियाकलाप होते हैं;</p> <p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
123	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद-7	हैदराबाद, तेलंगाना	<p>तेलंगाना राज्य में:-</p> <p>(क) निम्नलिखित के दायरे में आने वाले क्षेत्र</p> <p>(i) हैदराबाद निगम वार्ड संख्या (पुरानी) 16,17,18,20,22 एवं 23;</p> <p>(ii) सिकंदराबाद वार्ड संख्या (पुरानी) 12</p> <p>(iii) रंगारेड्डी जिले के मंडल:</p> <p>(क) घाटकेसर</p> <p>(ख) कीसरा</p> <p>(ग) शमीरपेट</p> <p>(घ) उप्पल</p> <p>(ड.) मल्कागिरी</p> <p>(च) सरूरगंज</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क), में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है।</p>	<p>(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, हैदराबाद-6 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले मामलों को छोड़कर स्तंभ (5) की मद (क) और (ख) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>

			(छ) हयातनगर (ज) इब्राहिमपत्तनम (झ) याचराम (ञ) कान्दुकुर (ट) मन्छल		
			(ख) खम्माम जिला (ग) इस अधिसूचना की क्रम सं. 118 के सामने के स्तंभ (4) की मद (घ) में उल्लिखित मंडलों को छोड़कर मेडक जिले के शेष रह गए मंडल	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख), और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख), तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है। (ड.) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (च) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ख) स्तंभ (5) की मद (ग),(घ) और (ड.) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
124	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कुर्नूल	कुर्नूल, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में:- कुर्नूल, अनंतपुर और वाईएसआर जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में आता है। (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तंभ (5) की मद (क),(ख), और (ग), की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, गुंटुर	गुंटुर, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में- गुंटुर तथा प्रकासम जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ;

				<p>कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।</p>	<p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
126	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, तिरुपति	तिरुपति	<p>आंध्र प्रदेश राज्य में- चित्तूर तथा एसपीएसआर नेल्लौर जिले।</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ;</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
127	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, वियजवाड़ा	वियजवाड़ा, आंध्र प्रदेश	<p>आंध्र प्रदेश राज्य में- जिला कृष्णा</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ;</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

128	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त विशाखापट्टनम-1	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	<p>आंध्र प्रदेश राज्य मे-</p> <p>(क) ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम की सीमाएं।</p> <p>(ख) ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम की सीमाएं।</p> <p>(ग) ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम नए बार्ड संख्या: 7 से 30 तक।</p> <p>(घ) विजियानगरम जिला।</p>	<p>(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।</p> <p>(ग) (क) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(च) स्तंभ (6) की मद (च) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।</p>	<p>(क) कंपनियां होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' अथवा 'ई' अथवा 'एफ' अथवा 'जी' अथवा 'एच' अथवा 'आई' अथवा 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' अथवा 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' से शुरू होते हैं।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तंभ 5 की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रधान स्रोत "वेतन" से है।</p> <p>(घ) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का प्रधान स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (घ) तथा (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ड.) स्तंभ 5 की मद (च) तथा (छ) तथा (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामला।</p> <p>(च) स्तंभ (5) की मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
129	प्रधान आयकर आयुक्त / आयकर आयुक्त विशाखापट्टनम-2	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	<p>आंध्र प्रदेश राज्य मे-</p> <p>(क) विशाखापट्टनम जिला, ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम की सीमाएं;</p> <p>(ख) ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। प्रधान आयकर आयुक्त-1 को सौंपे गए वार्डों से भिन्न नए वार्ड।</p> <p>(ग) जिला श्रीकाकुलम।</p>	<p>(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित</p>	<p>(क) कंपनियां होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा</p>

			<p>(घ)ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र से भिन्न विशाखापट्टनम जिले के शेष भाग। (ड.)ईस्ट गोदावरी- जिला (i) काकीनाडा नगर निगम की सीमाएं ; (ii) निम्नलिखित के मंडल । (क) तूनी (ख) संकावरम (ग) कोटानंदुरु (घ) तोडांगी (ड.) गोलाप्रोलू (च) प्रतिपादु (छ) ऐलेश्वरम (ज)काकीनाडाग्रामी (झ)सामलकोट (ञ) करापा (ट) पेडापुदी (ठ) कजुलुरु (ड) तलारेवु (ढ) रेयावरम (ण) वीकावोलु (त) अनापार्थी (थ) पेडापुरम (द) जंगमपेट (ध) गांधेपल्ली (न) रंगमपेट (प) रामचंद्रपुरम (फ) पमारू (ब) अलामरू (भ) मंडापेठ (म) किरालमपुडी (य) कपीलेश्वरम य(1) पीठापुरम य(2)युकोठापल्ली य(3) रौतुलापुडी., (च) पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में- यनम जिला।</p>	<p>व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति। (ग) (क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है (ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग), (घ), (ड.) तथा (च) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं। (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग), (घ) (ड.) तथा (च) के भीतर है। (छ) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ग), (घ), (ड.) तथा (च) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (च) स्तंभ (6) की मद (ड.) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।</p>	<p>'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' से शुरू होते हैं। (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) उन व्यक्तियों जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन है, से भिन्न स्तंभ 5 की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तंभ 5 की मद (ड.) तथा (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
130	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, राजामुंदरी	राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश	<p>आंध्र प्रदेश राज्य में- (क) पश्चिम गोदावरी जिला., (ख) पूर्वी गोदावरी जिला (i) राजामुंदरी नगर निगम की सीमाएं ; (ii) इस अधिसूचना की क्रम संख्या 129 के सामने स्तंभ 4 की मद (ड.) (ii) में संदर्भित मंडलों से भिन्न पूर्वी गोदावरी जिले के शेष सभी मंडल ।</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ; (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले । (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।</p>

				कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।	
--	--	--	--	--	--

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
131.	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, जयपुर-।	जयपुर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में:- (क) निम्नलिखित क्षेत्रों सहित जयपुर जिला (i) जोहरी बाजार, (चौडारास्ता से सटे दोनों किनारे और लेन), जयपुर (ii) चौडा रास्ता (दोनों किनारे और सटे हुई लेन) और किशनपोल बाजार से सटी हुई लेन (दोनों ओर से), कटला पुरोहित, मनिहारी कटला, जयपुर (iii) किशन पोल बाजार और तोपखाना देश की ओर इसकी लेन, इंदिरा मार्केट, नेहरू बाजार, बापू बाजार, लिंक रोड, चांदपोल से सूरजपोल गेट, जयपुर (iv) घाटगेट बाजार (बायां तथा दायां) जोहरी बाजार से जुड़ी हुई गलियां, जयपुर (v) एम.आई. रोड (सांगानेरी गेट से खासाकोठी तक), अजमेरी गेट सब्जी मंडी, यादगार बाया लेंस, न्यू कॉलोनी, जयंती मार्केट, गोपीनाथ मार्केट, चर्च रोड, विधायकपुरी, गोपालबाड़ी, सरदार पटेल मार्ग, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बैस गोदाम, सोडाला, न्यू सोडाला, मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड (लेन के दोनों तरफ), चौमू हाऊस, सिविल लाईंस, राम नगर, हवा सड़क, मदरामपुरा, लक्ष्मी नगर तथा अजमेर रोड (दोनों तरफ तथा जोड़ने वाली लेन) पर नगर निगम	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (च) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (i) "वेतन" (ii) आयकर अधिनियम, 1961; की धारा 44कक की उपधारा (1) के तहत शासकीय राजपत्र में बोर्ड यथा अधिसूचित विधि; चिकित्सा, अभियांत्रिकी या वास्तुविद् व्यवसाय या लेखाविधि व्यवसाय या तकनीकी परामर्श संस्था या आंतरिक साज-सज्जा या अन्य किसी व्यवसाय; (घ) स्तम्भ (5) मद (ग) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

			सीमायें, जयपुर (vi) चांदपोल गेट के बाहर का क्षेत्र, अनाजमंडी, संसार चंद्र रोड़, जालूपुरा, नवलगढ़ हाऊस एरिया, लोहा मंडी, वनस्थली मार्ग, बनीपार्क, स्टेशन रोड़, क्रांतिनगर, सिंधि कॉलोनी, पाँवर हाऊस रोड़, झोटवाड़ा इंडस्ट्रीयल एरिया, गणपति नगर, हसनपुरा, खातीपुरा रोड़, क्विन्स रोड़, चित्रकुट स्कीम, वैशाली नगर एरिया, झोटवाड़ा, कालवाड़ा रोड़, सिरसी रोड़ (नगर सीमाओं तक), जयपुर		
			(ख) जयपुर जिला (कोटपुतली शाहपुरा और विराट नगर के अलावा)	(छ) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;	(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'एन' या 'पी' या 'क्यू' से शुरू होते हैं तथा जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है।
			(ग) राजस्थान पूर्व राज्य में	(ज) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते	(घ) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आयकर अधिनियम, 1961के अध्याय xx-क के तहत अधिग्रहण कार्रवाईया लंबित है। (ड.) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) में तदनुसूची प्रविष्टिमें उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के तहत कार्रवाईयां लंबित है।

				व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है।	
132.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर-2	जयपुर, राजस्थान	<p>राजस्थान राज्य में:-</p> <p>(क) जयपुर जिला जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <p>(i) गणगौरी बाजार की बायीं तरफ की गलियां, (ब्रह्मपुरी के लिए छोटी चौपड़) चांदपोल बाजार (छोटी चौपड़ से चांदपोल गेट तक) की दायीं ओर, पुरानी बस्ती, चांदपोल गेट की दायीं ओर, सीकर हाऊस, खेतडी हाऊस, पाँवर हाऊस रोड, नाहरिका नाका, सुभाष नगर, सुभाष कॉलोनी, रामनगर, हाऊसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयप्रकाश नगर, नेहरू नगर, बस्ती सीतारामपुरा, अंबाबाड़ी, झोटवाड़ा रोड (दोनों तरफ), सीकर रोड चौराहा से वीकेआई एरिया तक</p> <p>(ii) गणगौरी बाजार मेन मार्केट जिसमें गणगौरी बाजार की दायीं तरफ की गलियां शामिल हैं, ब्रह्मपुरी तथा आमेर रोड के दोनों तरफ, गोविन्द नगर, परसराम द्वारा, गटोर रोड, शंकर नगर, गंगापोल, चार दरवाजा, सोढ्योडी बाजार, जलेबी चौक, रामगंज बाजार, गलटा रोड, सुरजपोल मण्डी, लक्ष्मी नारायणपुरी, रघुनाथपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर।</p> <p>(iii) आगरा रोड, एम.डी. रोड, जनता कॉलोनी, आदर्शनगर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, गंगवाल पार्क, उनियारा गार्डन, गोविंद मार्ग, बर्मिस कॉलोनी, साकेत कॉलोनी, सेठी</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(क) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(i) "वेतन"</p> <p>(ii) आयकर अधिनियम, 1961; की धारा 44कक की उप-धारा (1) के तहत शासकीय राजपत्र में बोर्ड यथा अधिसूचित विधि; चिकित्सा, अभियांत्रिकी या वास्तुविद् व्यवसाय या लेखाविधि व्यवसाय या तकनीकी सलाहकारी संस्था या आंतरिक साज-सज्जा या अन्य किसी व्यवसाय;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

			काँलोनी, (iv) जवाहर नगर, राजापार्क, तिलक नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा (v) टोक रोड़, सी-स्कीम, अशोक मार्ग, सुभाष मार्ग, बी.एस. रोड़		
			(ख) जयपुर जिला (कोटपुतली शाहपुरा और विराट नगर के अलावा)	(ड.) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं।	(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर 'के' या 'एल' या 'ओ' या 'आर' 'एस' से शुरू होते हैं;
133.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर-3	जयपुर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में:- (क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर-1 और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर-2 के क्षेत्राधिकार के भीतर न आने वाला जयपुर जिला (कोटपुतली, शाहपुरा और विराट नगर तहसील के अलावा	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है, के मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) और (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (i) "वेतन" (ii) आयकर अधिनियम, 1961; की धारा 44कक की उप-धारा (1) के तहत शासकीय राजपत्र में बोर्ड यथा अधिसूचित विधि; चिकित्सा, अभियांत्रिकी या वास्तुविद् व्यवसाय या लेखाविधि व्यवसाय या तकनीकी सलाहकारी संस्था या आंतरिक साज- सज्जा या अन्य किसी व्यवसाय; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ख) जयपुर जिला (कोटपुतली शाहपुरा और विराट नगर के अलावा)	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के तहत शासकीय राजपत्र में बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित विधि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी

				<p>(च) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या किसी पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं, और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(छ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>या वास्तुविद् या लेखा व्यवसाय या तकनीकी परामर्श संस्था या आंतरिक साज-सज्जा या अन्य किसी व्यवसाय से है, के सभी मामले;</p>
		(ग) जयपुर जिला (कोटपुतली शाहपुरा और विराट नगर के अलावा)	<p>(ज) व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p>	<p>(घ) स्तम्भ (5) के मद (ज) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनका आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' होता है तथा जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एम' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं।</p>	
		(घ) टोक, झुंझुनु, चुरू और सीकर जिला	<p>(झ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ञ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ट) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p>	<p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (झ), (ञ) और (ट) में तद्वरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों, के सभी मामले।</p> <p>(च) स्तम्भ (5) की मद (ट) की तद्वरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>	

				(ठ) कॉलम (6) की मद (च) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ।	
134.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अलवर	अलवर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में- जयपुर जिले के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और तहसीलें कोटपुतली, शाहपुरा और विराट नगर	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(क) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तद्वनरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>
135.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में- उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ (रावतभाटा तहसील के अलावा)	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में</p>	<p>(क) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तद्वनरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>

				संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	
136.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोटा	कोटा, राजस्थान	राजस्थान राज्य में:- (क) कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर और करौली (ख) चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा तहसील	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(क) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>
137.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अजमेर	अजमेर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में:- अजमेर और भीलवाड़ा जिला	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p>	<p>(क) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>

				(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	
138.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोधपुर-1	जोधपुर	<p>राजस्थान राज्य में:- (क) जोधपुर जिले में (i) जोधपुर नगर निगम के क्षेत्र:- राई का बाग, मोहनपुरा, उम्मेदपुरा, ऐरोड्रोम एरिया, रतनाडा, सोजती गेट के बाहर, सोजती गेट के अंदर, गोविंद बवारी बाजार, महावीर मार्केट, पोकरण की हवेली, त्रिपोलिया बाजार, कंडोई बाजार, घास मण्डी, स्टेशन रोड, जनरल पोस्ट ऑफिस से रेल भवन (हल्का/भारी) तथा बसनी औद्योगिक क्षेत्र/स्टेट को जाने वाला रेल रोड, शास्त्री नगर, न्यू पॉवर हाऊस कॉलोनी, भगत की कोठी, न्यू फ्रूट मण्डी, भदवासिया, नागौरी गेट से हटिराम का ओढ़ा के अंदर। घंटाघर सरदारमार्गेट, आर.एन. मार्केट, सुमेर मार्केट, जुनी मण्डी, सराफा बाजार, डागा बाजार, अडा बाजार, नव चौकिया, चांदपोल, सुरसागर, खुमारीया कुआं, खाण्डा फालसा, पुंगलपारा, कबुतरों का चौक, आई/एस जलौरी गेट, जलौरी बाड़ी, मेडिकल मार्केट, एमजीएच रोड, चांदशाह तकिया मार्केट, नई सड़क, साईकिल मार्केट, मिरटी गेट, आई/एस तथा ओ/एस बम्बा स्टेडियम, उदय मंदिर पब्लिक पार्क एरिया, पावटा सब्जि मण्डी, बसानी मण्डी, उच्च न्यायालय कॉलोनी, उच्च न्यायालय रोड (ii) नगर निगम सीमाओं के बाहर जोधपुर तहसील</p>	<p>(क) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p> <p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(क) जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है, के मामलों से भिन्न स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले ।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>

			(ख) जोधपुर जिला(फलोदी, ओसियान, शेरगढ़, बिलारा, पिपार (बोरुंडा सहित) और जोधपुर जिले की भोपालगढ़ तहसीलें	(ड.) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं।	(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' अथवा 'बी' अथवा 'सी' अथवा 'डी' 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' से शुरू होते हैं और जिनको आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है।
			(ग) पाली और सिरोही जिला (घ) जोधपुर जिले के फलोदी, ओसियान और शेरगढ़	(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (झ) कॉलम (6) की मद (ड.) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(घ) स्तम्भ 5 की मद (च), (छ) और (ज) में तद्वरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तम्भ (5) की मद (ज) में की गई तद्वरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
139.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोधपुर-2	जोधपुर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में (क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोधपुर-1 के अन्तर्गत न आने वाले जोधपुर जिले के क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय	(क) जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' है, के मामलों से भिन्न स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तद्वरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तद्वरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक

				<p>का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>
		<p>(ख) जोधपुर जिले के बिलारा, पिपार, (बोरूंडा सहित), लूनी और भोपालगढ़ तहसीलें</p> <p>(ग) जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और नागौर</p>	<p>(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(ज) कॉलम (6) की मद (घ) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(ग) स्तम्भ 5 की मद (ड.), (च) और (छ) में तदरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(घ) स्तम्भ (5) की मद (छ) में की गई तदरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>	
		<p>(घ) जोधपुर जिला (जोधपुर जिले के फेलोदी, ओसियान, शेरगढ़, बिलारा, पिपार (बोरूंडा सहित) और भोपालगढ़ तहसीलें के अलावा क्षेत्र)</p>	<p>(ड.) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर</p>	<p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (क) में की गई तदरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'आर'</p>	

				निवास कर रहे हैं।	या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं और जिनका आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है।
140.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बीकानेर	बीकानेर, राजस्थान	राजस्थान राज्य में: बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(घ) कॉलम (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(क) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) और (ग) में तद्वरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तद्वरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
141	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त कानपुर-1	कानपुर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर नगर तथा कानपुर देहात (रमाबाई नगर) जिले	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त कानपुर-2 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) तथा (ख) में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।

142	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त कानपुर-2	कानपुर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में (क) कानपुर नगर तथा कानपुर देहात, (रमाबाई नगर) जिले	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;</p>	<p>(क) मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित से है:</p> <p>(i) वेतन,</p> <p>(ii) कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग अथवा वास्तुशिल्प अथवा तकनीकी परामर्शदात्री अथवा इंटीरियर डेकोरेशन अथवा कोई अन्य व्यवसाय जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 क क की उपधारा (1) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।</p> <p>(iii) शेयरों की ट्रेडिंग पर दलाली।</p> <p>(ख) स्टॉक एक्सचेंजों तथा कमोडिटी एक्सचेंजों का सदस्य होने के नाते स्तंभ (5) की मद (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित सभी मामले;</p> <p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले</p> <p>(घ) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते सभी मामले</p>
			(ख) जालोन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा जिले	<p>(ड) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(झ) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ज) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

				<p>(छ) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ज) स्तंभ (6) की मद (च) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति ;</p>	
143	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त आगरा-1	आगरा, उत्तर प्रदेश	<p>उत्तर प्रदेश राज्य में (क) मथुरा तथा औरैया जिले</p> <p>(ख) आगरा जिला</p> <p>(च) आगरा नगर निगम के निगम वार्ड: 1 से 4, 6, 11, 13 से 16, 18, 20 से 24, 26, 27, 29, 32 से 35, 37 से 43,</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;</p> <p>(ङ) व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।</p> <p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ङ.) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है</p> <p>(घ) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त आगरा-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (छ) तथा (6) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>

			45 से 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 70 से 72, 74, 78	क्षेत्र के भीतर है। (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;	
144	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त आगरा-2	आगरा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में (क) फ़िरोजाबाद, झांसी, ललितपुर तथा इटावा जिले। (ख) आगरा नगर निगम के निगम बार्ड: 1 से 4, 6, 11, 13 से 16, 18, 20 से 24, 26, 27, 29, 32 से 35, 37 से 43, 45 से 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 70 से 72, 74, 78 (ग) जिला आगरा (घ) आगरा नगर निगम	क्षेत्र के भीतर है। (क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति; (ङ.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (छ) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ज) स्तंभ (6) की मद (ग) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति; (झ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) स्तंभ (5) की मद (ड.) तथा (च) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित से है: (i) कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग अथवा वास्तु शिल्प अथवा तकनीकी परामर्श दात्री अथवा इंटीरियर डेकोरेशन अथवा कोई अन्य व्यवसाय जिसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44क क की उपधारा (1) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। (ii) परिवहन का कारोबार। (घ) स्तंभ (5) की मद (छ), में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ङ) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा

			के नगर बार्ड: 5, 12, 17, 19, 25, 28, 30, 32, 36, 44, 51, 54, 56, 59, 61 से 63, 66, 67, 69, 73, 75 से 77, 79, 80 (ड.) जिला आगरा जो मुख्य आयकर आयुक्त, आगरा-1 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है।	कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (घ) तथा (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं; (ज) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (घ) तथा (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले। (च) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है, से भिन्न स्तंभ (5) की मद (झ) तथा (ञ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित सभी मामले।
145	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त अलीगढ़	अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,- अलीगढ़, फरूखाबाद, कन्नौज, एटा, हाथरस, मैनपुरी, काशीराम नगर (कासगंज)	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
146	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,- मुजफ्फरनगर, शामली तथा सहारनपुर	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।

				व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति;	
147	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त मेरठ	मेरठ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,- मेरठ तथा बागपत जिले।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
148	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त गाजियाबाद	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,- गाजियाबाद, हापुड तथा बुलंदशहर	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
149	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त नोएडा	नोएडा, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,- गौतम बुद्ध नगर जिला।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले।

				<p>प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;</p>	<p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
150	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त देहरादून	देहरादून, उत्तराखंड राज्य	उत्तराखंड राज्य में, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमौली गढ़वाल, रुद्रप्रयाग।	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
151	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हलद्वानी	हलद्वानी, उत्तराखंड	अलमोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधमसिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर जिले।	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले।</p> <p>(ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>

				अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	
152	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम, केरल	केरल राज्य में:- (i) तिरुवनंतपुरम जिले की सभी तालुक (ii) कोलम जिले की करुणागपल्ली तालुक के अतिरिक्त सभी तालुक (iii) पठानामठीट जिले की अदुर तालुक	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते सभी मामले।
153	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोट्टायम	कोट्टायम, केरल	केरल राज्य में:- (i) अलापुझा और कोट्टायम जिले की सभी तालुक (ii) पठानामठीट जिले की अदुर तालुक के अतिरिक्त सभी तालुक (iii) कोलम जिले की करुणागपल्ली तालुक (iv) इडुक्की जिले की पेरुमेडु तालुक	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते सभी मामले।
154	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोट्टि-1	कोट्टि केरल	केरल राज्य में:- (i) ऐरिनाकुल्लम जिले की सभी तालुक	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी

			(ii) पिरुमेडु तालुक के अतिरिक्त इडुक्की जिले में सभी तालुक (ख) लक्ष्यद्वीप के संघ प्रदेश	नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते सभी मामले।
155	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोच्चि-2	कोच्चि, केरल	केरल राज्य में:- (i) ऐरिनाकुल्लम जिले की सभी तालुक (ii) पिरुमेडु तालुक के अतिरिक्त इडुक्की जिले में सभी तालुक (ख) लक्ष्यद्वीप के संघ प्रदेश	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त, कोच्चि-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत व्यष्टियों के मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) एवं (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले।
156	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, त्रिशूर	त्रिशूर, केरल	केरल राज्य में:- त्रिशूर और पल्लकर जिले के सभी तालुक	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते सभी मामले।
157	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोझीकोड	कोझीकोड, केरल	केरल राज्य में:- (क) कसारगौड, कन्नुर, कोझीकोड, मल्लकपुरम और व्यानाद जिले की सभी तालुक (ख) पुद्दुचेरी संघ प्रदेश में माहे जिला	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रधान	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों में सभी मामले। (ख) स्तंभ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते

				स्थान स्तंभ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति;	सभी मामले।
--	--	--	--	---	------------

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
158	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-1	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में, (क) कोलकाता शहर और हावड़ा, उत्तरी 24 परगना तथा दक्षिणी 24 परगना जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनी होने पर व्यक्तियों के वे सभी मामले जो अभियांत्रिकी वस्तुओं, मशीनरी के पार्ट्स, लौह एवं इस्पात फाउन्डरियों, पटसन से संबंधित व्यापार एवं उत्पादन वितरण, फिल्मों एवं अन्य निष्पादन करने वाली कलाओं के कारोबार में लगे होते हैं; (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में (ख) पोस्टल पहचान संख्या होने पर शामिल क्षेत्र:- 700 012, 700 013, 700 021, 700 062, 700 069, 700 072, 700 090, 700 091, 700 092.	(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-2, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।

			(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ क्षेत्र में	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है; (छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ज) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(ड.) स्तम्भ (5) की मद (ड.), (च) और (छ) में तदुत्तरुपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (च) स्तम्भ (5) की मद (छ) में तदुत्तरुपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधन या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
159	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में,- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा उत्तरी 24 परगना एवं दक्षिणी 24 परगना जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) की तदुत्तरुपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जो चाय, कागज और कार्डबोर्ड, खनिजों, बीमा और बैंकिंग के कारोबार में संलिप्त है; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदुत्तरुपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधन या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में (ख) पोस्टल पहचान संख्या वाले क्षेत्र:- 700 001, 700 018, 700 028, 700 081, 700 093, 700 094, 700 095, 700 096, 700 097, 700 098, 700 099, 700 100, 700 101, 700 102, 700 103, 700 104, 700 105, 700 106, 700 107	(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-1, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदुत्तरुपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदुत्तरुपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
160	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-3	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में,- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा उत्तरी 24 परगना एवं दक्षिणी 24 परगना	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) की तदुत्तरुपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जो अखबार और

			जिले	पंजीकृत कंपनियां है और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	पीरियोडिकल्स, रबड़, तंबाकू, पोत, होटलों और रेस्तराओं के कारोबार में लगे होते हैं; (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधन या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में (ख) पोस्टल पहचान संख्या वाले क्षेत्र:- 700 002, 700 003, 700 004, 700 005, 700 006, 700 007, 700 009, 700 010, 700 011, 700 016, 700 017, 700 037, 700 050, 700 051, 700 052, 700 054, 700 065, 700 066, 700 067, 700 070, 700 071, 700 077, 700 086, 700 087	(ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां है और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-1, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (घ) कॉलम (5) के मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
161	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-4	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में, - (क) कोलकाता शहर और हावड़ा उत्तरी 24 परगना एवं दक्षिणी 24 परगना जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) की तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियां होने पर व्यक्तियों के सभी मामले जो शर्करा, वस्त्र एवं फैब्रिक, रसायन एवं औषधीय तथा ठेका कारोबार के कारोबार में संलिप्त होते हैं; (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में- (ख) पोस्टल पहचान वाले क्षेत्र:- 700, 008, 700, 014, 700, 015, 700, 019, 700, 020, 700, 022, 700, 023, 700, 024, 700, 025, 700, 026, 700, 027, 700, 029, 700, 030, 700, 031, 700, 032, 700, 033, 700, 034, 700, 035, 700, 036, 700, 038, 700, 039, 700, 040, 700, 041, 700, 042,	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां है और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-1, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 और प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;

			700, 043, 700, 044, 700, 045, 700, 046, 700, 047, 700, 048, 700, 049, 700, 053, 700, 055, 700, 056, 700, 057, 700, 058, 700, 059, 700, 060, 700, 061, 700, 064, 700, 068, 700, 074, 700, 075, 700, 076, 700, 078, 700, 079, 700, 080, 700, 082, 700, 083, 700, 084, 700, 085, 700, 088, 700, 089		(घ) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
162	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-5	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) पोस्टल पहचान संख्या वाले क्षेत्र:- 700 063, 700 073, 700 108, 700 135 (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में हावड़ा जिला उत्तरी 24 परगना एवं दक्षिणी 24 परगना जिले	(क) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-1, प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 और प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
163	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-8	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में:- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना जिले पश्चिम बंगाल राज्य में: (ख) जिला हुगली	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है; (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है; (ङ.) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है, स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (i) वे व्यक्ति जो दवाइयों और औषधियों या आण्टिकल उपकरणों के विनिर्माण, वितरण और बिक्री का कारोबार करते हैं या नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, एक्स-रे एवं नैदानिक चिकित्सालयों और रोग विज्ञान प्रयोगशालाएं चला रहे हैं। (ii) व्यक्ति जिनकी आय का मूल स्रोत कानूनी, चिकित्सा, अभियांत्रिकी अथवा वास्तु शिल्क व्यवसाय अथवा लेखा व्यवसाय अथवा तकनीकी परामर्श अथवा इंटीरियर डेकोरेशन किसी अन्य व्यवसाय से है जिसे बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की

				<p>अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(च) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>धारा 44कक की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ;</p> <p>(iii) क्लब और खेल संघ होने पर एओपी</p> <p>(iv) घुड़-दौड़ के मालिक और या घुड़सवार;</p> <p>(v) व्यक्ति जिनकी आय का मूल स्रोत मूवी, सभी प्रकार के फिल्मों टेलीविजन मीडिया, नाट्य शास्त्र, निष्पादन कलाएं, यात्रा, मनोरंजन उद्योग (ओडियो अथवा वीडियो निर्माण, वितरण, प्रदर्शन, साफ्टवेयर सपोट, अवसंरचना सपोट अथवा उद्योग की तकनीकी समर्थन) रंगमंच प्रदर्शन केवल तथा रेडियो नेटवर्क का प्रचालन, मोशन फिल्म स्टुडियो का स्वामित्व तथा/अथवा संचालन, सिनेमा हॉल तथा थियेटर्सों से है तथा जिसमें उपर्युक्त क्षेत्रों जिनमें वीडियो, रेडियो तथा डिस्क जोकी भी शामिल है, से संबंधित मामले भी शामिल हैं।</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग), (घ) और (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
164	प्रधान आयुक्त, आयकर/आयकर आयुक्त, कोलकाता-9	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में:- (क) निम्नलिखित पोस्टल पहचान संख्याओं वाले क्षेत्र 700 008, 700 018, 700 024, 700 031, 700 032, 700 039, 700 040, 700 041, 700 042, 700 044, 700 047, 700 060, 700 061, 700 062, 700 063, 700 066, 700 068, 700 070, 700 075, 700 078, 700 082, 700 084, 700 086, 700 088, 700 092, 700 093, 700 094, 700 095, 700 096, 700 099, 700 103, 700 104, 700 107.	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनको कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) (क) तथा (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है;</p>	<p>(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।</p>

			पश्चिम बंगाल राज्य में- (ख) दक्षिणी 24 परगना का जिला		
			पश्चिम बंगाल राज्य में- (ग) पूर्व (ईस्ट) मेदीनीपुर जिला	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनको कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है; (ङ.) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (च) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ख) स्तंभ 5 की मद (ग), (घ) तथा (ङ.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित सभी मामले। (ग) स्तम्भ (5) की मद (ङ.) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
165	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-10	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) निम्न पोस्टल पहचान सं. वाले क्षेत्र: 700 019, 700 023, 700 025, 700 026, 700 027, 700 029, 700 033, 700 034, 700 038, 700 043, 700 045, 700 046, 700 053, 700 105,	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
166	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-11	कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।	(क) चीनी मूल के व्यष्टि होने पर स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में- (ख) कोलकाता शहर और हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के जिले	(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।	(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की किसी भी परियोजना में संविदाओं के कार्यान्वयन से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति होने के नाते स्तम्भ (5) की मद (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में- निम्न पोस्टल पहचान (ग) संख्या वाले क्षेत्र:- 700 013, 700 014, 700 015, 700 016, 700 017, 700 020, 700 071, 700 087	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।	(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।

167	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-12	कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- पोस्टल पहचान सं.- 700 001 रखने वाले क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
168	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-13	कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।	(क) बीमा एजेंट होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि के संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में- (ख) पोस्टल पहचान सं. 700 006 एवं 7000 12 रखने वाले क्षेत्र	(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है। (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ङ.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।	(ख) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तंभ (5) की मद (घ), (ङ.) तथा (च) में तदनुसूची प्रविष्टि के संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तम्भ (5) की मद (च) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में- (ग) पश्चिम (वेस्ट) मेदनीपुर जिला	(च) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (छ) स्तंभ 6 की मद (घ) के संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।	
169	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-14	कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर तथा हावड़ा और उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना के जिले	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।	(क) ऐसे व्यक्ति होने पर जिनकी आय मूल स्रोत टैक्सी, लॉअरी ट्रक, बसें मिनि बसें और अन्य वाणिज्यिक सड़क परिवहन वाले वाहनों के चलाने का कारोबार करने से है आयकर आयुक्त (छूट)

					के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित सभी व्यक्तियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में:- (ख) निम्न पोस्टल पहचान सं. रखने वाले क्षेत्र :- 700 009, 700 0121, 700 022, 700 069 700 072 और 700 073	(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर आता है।	(ख) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
			पश्चिम बंगाल राज्य में:- (ग) नदिया और मुर्शिदाबाद जिले	(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है। (च) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (छ) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(ग) स्तंभ (5) की मद (घ), (ड.) तथा (च) में तदनुसूची प्रविष्टि के संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तम्भ (5) की मद (च) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सेक्रेटरी होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
170	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-15	कोलकाता पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- निम्नलिखित पोस्टल पहचान संख्या रखने वाले क्षेत्र :- 700 002, 700 003, 700 004, 700 005, 700 007, 700 010, 700 011, 700 028, 700 030, 700 035, 700 036, 700 037, 700 050, 700 054, 700 065, 700 067, और 700 085.	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
171	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-16	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- हावड़ा जिला;	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।

				प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है। (ग) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	
172	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-17	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) निम्नलिखित डाक पहचान संख्याओं वाले क्षेत्र:- 700 048, 700 049, 700 051, 700 052, 700 055, 700 056, 700 057, 700 058, 700 059, 700 064, 700 074, 700 076, 700 077, 700 079, 700 080, 700 081, 700 083, 700 089, 700 090, 700 091, 700 097, 700 098, 700 100, 700 101, 700 102, 700 106, 700 108, 700 135 पश्चिम बंगाल राज्य में- (ख) उत्तरी 24 परगना जिला	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर है।	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ 5 की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
173	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-18	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा के जिले, उत्तरी 24 परगने और दक्षिणी 24 परगने;	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है और जो निम्नलिखित के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं; (i) केन्द्र सरकार के विभाग, या (ii) बैंकों के अलावा केन्द्र सरकार के उपक्रम, या (iii) वाणिज्य दूतावास
174.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-19	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा के जिले, उत्तरी 24 परगने और दक्षिणी 24 परगने;	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।	(क) (5) के मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है और जो निम्नलिखित के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं; (i) राज्य सरकार के विभाग, या (ii) राज्य सरकार के उपक्रम, या

					(iii) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 51 में उल्लिखित बैंकिंग संस्थान, या (iv) भारतीय रिजर्व बैंक
175.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-20	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा के जिले, उत्तरी 24 परगने और दक्षिणी 24 परगने;	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-18, प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-19, प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-21 के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के अलावा स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है और जिनका प्रथम नाम वर्णमाला "ए" या "बी" या "सी" या "जी" या "एच" या "आई" या "जे" या "एन" से शुरू होता है;
176	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-21	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- (क) कोलकाता शहर और हावड़ा के जिले, उत्तरी 24 परगने और दक्षिणी 24 परगने;	(क) व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं;	(क) प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-18, प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-19, प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-20 के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के अलावा स्तम्भ (5) के मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत वेतन से है और जिनका प्रथम नाम अक्षर "डी" या "ई" या "एफ" या "के" या "एल" या "एम" या "ओ" या "पी" या "क्यू" या "आर" या "एस" या "टी" या "यू" या "वी" या "डब्ल्यू" या "एक्स" या "वाई" या "जेड" से शुरू होता है।
177	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सिलिगुड़ी	सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- दार्जिलिंग जिला, (ख) सिक्किम राज्य	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा स्तम्भ (4) की मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) के मद (क)	(क) स्तम्भ 5 की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।

				एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (ग) कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तम्भ (6) के मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	
178.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर, कूचबिहार, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (ग) कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।	(क) स्तंभ 5 की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
179.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दुर्गापुर	दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- बर्दवान जिले का दुर्गापुर उप-प्रभाग और बांकुरा जिला	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (ग) कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।	(क) स्तंभ 5 की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
180.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त	आसनसोल, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में-	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा	(क) स्तंभ 5 की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी

	आयुक्त, आसनसोल		बर्दवान जिले का आसनसोल उप-प्रभाग और पुरलिया जिला	स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (ग) कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।	मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
181.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बर्दवान	बर्दवान, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य में- दुर्गापुर उप-प्रभाग और आसनसोल उप-प्रभाग को छोड़कर बर्दवाल जिला और बीरभूम जिला	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) के मद (क) एवं (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (ग) कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति।	(क) स्तंभ 5 की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।

क्र सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों के वर्ग
1	2	3	4	5	6
182	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लखनऊ-1	लखनऊ उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में:- (क) लखनऊ जिला (ख) लखनऊ जिले के निम्नलिखित पोस्टल सूचकांक (पिन) कोडों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:- i. 226001-लखनऊ जीपीओ ii. 226006-महानगर iii. 226007-नया हैदराबाद	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) स्तम्भ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों जिनके नाम वर्णमाला 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) में तदनुरूपी प्रविष्टि में

		<p>iv. 226010-आईआईएम v. 226013-मुबारकपुर vi. 226015-सीआईएमएपी vii. 226016-इन्दिरानगर viii. 226019-चिन्हट औद्योगिक क्षेत्र ix. 226021-सैक्टर सी सीतापुर रोड x. 226022-विकासनगर xi. 226023-मानसनगर xii. 226024-अलीगंज xiii. 226026-बेहटा xiv. 227105-चिन्हट xv. 227107-काकोरी xvi. 227111-मलीहाबाद xvii. 227115-माल xviii. 227116-रहीमाबाद xix. 227202-बेक्सी का तलाव xx. 227205-इतौनजा xxi. 227207-एफएफटीसी इन्दौराबाग</p> <p>(ग) स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित पोस्टल सूचकांक (पिन) कोडों के अंतर्गत न आने वाले और लखनऊ जिले के भीतर कोई अन्य क्षेत्र</p>	<p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (घ) व्यष्टि होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ङ.) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।</p>	<p>उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' या पेंशन से है; (घ) (i) स्तम्भ 5 की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत निम्नलिखित से प्राप्त 'वेतन' और या पेंशन के रूप में है:- (क) केन्द्र सरकार (भारत सरकार) केन्द्रीय सरकार के निगम या उपक्रम, या संस्थाएं; (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण-विकास बैंक (नावाड) और अन्य सभी बैंक (निजी या सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्वाधीन); (ग) भारतीय बीमा निगम (एलआईसी), जनरल इंशोरेंस कारपोरेशन (जीआईसी), और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य बीमा कम्पनियां; तथा (घ) निजी क्षेत्र के नियोक्ता अथवा संस्थापन। (ii) स्तम्भ (5) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन और या पेंशन तथा/अथवा पेंशन से है जो उपर्युक्त मद (ग) की उप मद (i) में उल्लिखित मामलों या मामलों के वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लखनऊ-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं हैं;</p>
		<p>(घ) उन्नाव जिला</p>	<p>(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ 4 की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p>	<p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (च) स्तम्भ (5) की मद (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले,</p>

				(ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति	
183	प्रधान आयकर आयुक्त/आयुक्त आयकर, लखनऊ-2	लखनऊ उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में:- (क) लखनऊ जिला (ख) लखनऊ जिले के निम्नलिखित पोस्टल सूचकांक (पिन) कोडों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र:- i. 226002-दिलकुशा ii. 226003-लखनऊ चौक iii. 226004-ऐशवाग iv. 226005-5-आलमबाग v. 226008-औद्योगिक क्षेत्र सरोजनी नगर vi. 226009-अमोसी vii. 226011-मानक नगर viii. 226012-एलडीए कालोनी ix. 226014-एसजीपीजीआई x. 226017-राजाजीपुरम xi. 226018-अमीनाबाद पार्क xii. 226020-डालीगंज xiii. 226025-भीमराव अम्बेडकर युनिवर्सिटी xiv. 227101-बन्धरा xv. 227120-अमेठी xvi. 227125-गोसाईगंज xvii. 227305-मोहनलालगंज xviii. 227308-नगराम xix. 227309-निगोहन	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (घ) व्यक्ति होने पर व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोत से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (ड.) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों जिनके नाम वर्णमाला 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'ज़ेड' से शुरू होते हैं के सभी मामले, (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यक्तियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ 5 की मद (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' और या पेंशन से है; (घ) स्तम्भ 5 की मद (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की निगमों या उपक्रमों या स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों से प्राप्त 'वेतन' तथा/ अथवा पेंशन से है;
			(ग) बाराबंकी जिला	(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद	(ड.) स्तम्भ (5) की मद (च),(छ) और (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले

				<p>(ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(छ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति</p>	<p>(च) स्तम्भ (5) की मद (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले,</p>
184	प्रधान आयुक्त आयुक्त/आयुक्त आयुक्त, फैजाबाद	फैजाबाद, उत्तर प्रदेश	<p>उत्तर प्रदेश राज्य में:- फैजाबाद, सुलतानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर, बस्ती, गोन्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और सन्त कबीर नगर</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले,</p>
185	प्रधान आयुक्त आयुक्त/आयुक्त आयुक्त, इलाहाबाद	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	<p>उत्तर प्रदेश राज्य में:- इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, सोनभद्रा और कौशाम्बी जिले</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4)</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले,</p>

				<p>में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	
186	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वाराणसी	वाराणसी, उत्तर प्रदेश	<p>उत्तर प्रदेश राज्य में:- वाराणसी, भदोही (संतरविदास नगर), बलिया, गाजीपुर और चन्दौली जिले</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनका मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यक्तियों के सभी मामले,</p>
187	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	<p>उत्तर प्रदेश राज्य में:- गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर और महाराजगंज जिले</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यक्तियों के सभी मामले,</p>

188	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बरेली	बरेली, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में:- बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर और लखिमपुर खेडी, जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनमें कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले,
189	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुरादाबाद	मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में:- मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बदायूँ, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर) और सम्भल जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) और (ग) में तदनुसूची टिप्पणी में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्र	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग	मामले अथवा मामलों का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
190.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-1	मुम्बई, महाराष्ट्र	पिन कोड- 400005 तथा 400021 से भिन्न एमसीजीएम वार्ड-ए जिसमें पिनकोड- 400001 तथा 400020 एवं निम्नलिखित के	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4;

			पश्चिम की ओर पड़ने वाले क्षेत्र शामिल हैं: (i) फ्लोरा फाउन्टेन तक डीएन रोड और (ii) फ्लोरा फाउन्टेन से एमजी रोड से एसपी मुखर्जी चौक तक (iii) एसपी मुखर्जी चौक से जगन्नाथ पालव चौक तक शहीद भगत सिंह मार्ग	कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
			(ख) बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई के नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (घ) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में स्थित है;	(ग) सहकारी बैंक होने के नाते स्तंभ 5 की मद (ग) तथा (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
191.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-2	मुम्बई, महाराष्ट्र	(क) पिन कोड- 400005 तथा 400021 से भिन्न एमसीजीएम वार्ड-ए जिसमें पिनकोड- 400023, तथा 400038, 400039 एवं निम्नलिखित के पूर्व की ओर पड़ने वाले क्षेत्र शामिल हैं: (i) फ्लोरा फाउन्टेन तक डीएन रोड और (ii) फ्लोरा फाउन्टेन से एमजी रोड से एसपी मुखर्जी चौक तक (iii) एसपी मुखर्जी चौक से जगन्नाथ पालवा चौक तक शहीद भगत सिंह मार्ग	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
			(ख) बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) में यथा परिभाषित बैंकिंग कंपनियां होने के नाते स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनमें बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा अच्छादित संपूर्ण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों तथा विदेशी बैंकों से भिन्न उक्त अधिनियम की धारा 51 में संदर्भित

				(घ) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में स्थित है;	कोई बैंक अथवा बैंकिंग संस्थाएं शामिल हैं ;
192.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-3	मुम्बई, महाराष्ट्र	(क) मुंबई का एमसीजीएम वार्ड-ए जिनके पिन कोड- 400005, 400021 हैं (ख) बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (घ) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में स्थित है;	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामलों ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले। (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(क) के अंतर्गत यथा परिभाषित लोक वित्त संस्थान होने के नाते स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले।
193.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4	मुम्बई, महाराष्ट्र	(क) मुंबई का एमसीजीएम वार्ड-सी जिसमें पिनकोड- 400002 तथा 400032 द्वारा शामिल क्षेत्र शामिल हैं (ख) बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामलों ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के

				<p>जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में स्थित है;</p>	<p>नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) निम्नलिखित होने के नाते आयकर आयुक्त (छूट) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले</p> <p>(i) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य अथवा मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज तथा/अथवा भारत के समस्त एक्सचेंज काउंटर के सदस्य;</p> <p>(ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से संबद्ध उप ब्रोकर</p>
194.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-5	मुम्बई, महाराष्ट्र	<p>(क) मुंबई का एमसीएम वार्ड-डी जिसमें पिनकोड- 400004, 400006, 400007, 400008, 400026, 400030, 400035 तथा 400036 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।</p> <p>(ख) बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र</p>	<p>(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में स्थित है;</p> <p>(ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p> <p>(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में स्थित है;</p> <p>(घ) स्तंभ (6) की मद (घ) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामलों ;</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (ग) तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत शिपो, होवरक्राफ्टों, एयरक्राफ्टों तथा हेलिकाप्टरों से हैं;</p> <p>(घ) उपर्युक्त मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
195.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-6	मुम्बई, महाराष्ट्र	<p>एमसीएम वार्ड-बी, ई, एफ, जी जिसमें मुंबई के पिनकोड-400003, 400009, 400010, 400011, 400012, 400013, 400014 तथा</p>	<p>(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित</p>	<p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,</p>

			400015, 400016, 400017, 400018, 400019, 400022, 400025, 400027, 400028, 400031, 400033, 400034, तथा 400037 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति।	मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "ए" अथवा "बी" अथवा "सी" अथवा "डी" अथवा "ई" अथवा "एफ" अथवा "आई" अथवा "जे" अथवा "के" से शुरू होते हैं ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
196.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-7	मुम्बई, महाराष्ट्र	मुंबई के पिनकोड-400003, 400009, 400010, 400011, 400012, 400013, 400014 तथा 400015, 400016, 400017, 400018, 400019, 400022, 400025, 400027, 400028, 400031, 400033, 400034, तथा 400037 द्वारा क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति ।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "जी" अथवा "एच" अथवा "एल" अथवा "एम" अथवा "एन" अथवा "ओ" अथवा "पी" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ।
197.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-8	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड-बी, ई, एफ, जी जिसमें मुंबई का पिनकोड-400003, 400009, 400010, 400011, 400012, 400013, 400014, 400015, 400016, 400017, 400018, 400019, 400022, 400025, 400027, 400028, 400031, 400033, 400034, तथा 400037 द्वारा	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों में निम्नलिखित से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "क्यू" अथवा "आर" अथवा

			आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।		"एस" अथवा "टी" अथवा "यू" अथवा "वी" अथवा "डब्ल्यू" अथवा "एक्स" अथवा "वाई" अथवा "जेड" से शुरू होते हैं; (क) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
198.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-9	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीएम वार्ड के (ई) तथा (के) (डब्ल्यू) जिसमें मुंबई के पिनकोड- 400029, 400049, 400053, 400056, 400057, 400058, 400059, 400060, 400061, 400069, 400072, 400093, 400096, 400099 तथा 400102, द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "ए" अथवा "बी" अथवा "सी" अथवा "डी" अथवा "ई" अथवा "एफ" अथवा "जी" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
199.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-10	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीएम वार्ड के (ई) तथा (के) (डब्ल्यू) जिसमें मुंबई के पिनकोड- 400029, 400049, 400053, 400056, 400057, 400058, 400059 तथा 400060, 400061, 400069, 400072, 400093, 400096, 400099 तथा 400102, द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "एच" अथवा "आई" अथवा "जे" अथवा "के" अथवा "एल" अथवा "एम" अथवा "एन" अथवा "ओ" अथवा "पी" से शुरू होते हैं;

					(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
200.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-11	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीएम वार्ड के (ई) तथा (के) (डब्ल्यू) जिसमें मुंबई के पिनकोड- 400029, 400049, 400053, 400056, 400057, 400058, 400059 तथा 400060, 400061, 400069, 400072, 400093, 400096, 400099, तथा 400102, द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में स्थित है; (क) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों में निम्नलिखित से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "क्यू" अथवा "आर" अथवा "एस" अथवा "टी" अथवा "यू" अथवा "वी" अथवा "डब्ल्यू" अथवा "एक्स" अथवा "वाई" अथवा "जेड" से शुरू होते हैं; (क) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
201.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -12	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड एच (डब्ल्यू), पी (एन) पी (एस), (एन) तथा आर (एस) जिसमें मुंबई के पिनकोड - 400050, 400052, 400054, 400062, 400063, 400064, 400065 तथा 400066, 400067, 400068, 400090, 400091, 400092, 400095, 400097, 400101, 400103, 400104 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "ए" अथवा "बी" अथवा "सी" अथवा "डी" अथवा "ई" अथवा "एफ" अथवा "जी" अथवा "एच" अथवा "आई" अथवा "जे" अथवा "के" अथवा "एल" अथवा "एम" अथवा "एन" अथवा "ओ" अथवा "पी" अथवा "पी" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा

					निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
202.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -13	मुंबई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड एच (डब्ल्यू), पी (एन) पी (एस), (एन) तथा आर (एस) जिसमें मुंबई के पिनकोड-400050, 400052, 400054, 400062, 400063, 400064, 400065, 400066, 400067, 400068, 400090, 400091, 400092, 400095, 400097, 400101, 400103, 400104 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "एन" अथवा "ओ" अथवा "पी" अथवा "क्यू" अथवा "आर" अथवा "एस" अथवा "टी" अथवा "यू" अथवा "वी" अथवा "डब्ल्यू" अथवा "एक्स" अथवा "वाई" अथवा "जेड" से शुरू होते हैं; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
203.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -14	मुंबई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड एच (ई), एल, एम (ई) एम (डब्ल्यू), (एन) जिसमें मुंबई के पिनकोड-400024, 400043, 400051, 400055, 400070, 400071, 400073, 400074, 400075, 400077, 400079, 400084, 400085, 400086, 400088, 400089, 400094, 400098 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -3; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुरूपी व्यष्टियों के सभी मामले। (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
204.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -15	मुंबई, महाराष्ट्र	(क) एमसीजीएम वार्ड एस एंड टी तथा जिसमें मुंबई के पिनकोड-400041, 400042,	(क) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-1; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-2; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-3; प्रधान

			400076, 400078, 400080, 400081, 400082, 400083, 400087 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं। (ख) नवीं मुंबई जिसमें नवीं मुंबई के पिनकोड-400611, 400613, 400614, 400615, 400701, 400703, 400705 400706, 400708, 400709, 400710 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) तथा (ख) में स्थित है; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-5; तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ 5 की मद (क) में तदनुसूची व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
205.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16	मुम्बई, महाराष्ट्र	वृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। (ग) कंपनी अधिनियम 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा जिनके कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में स्थित है; (घ) स्तंभ (6) की मद (ग) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति	(क) स्तंभ (5) की मद (क), (ख), (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत मूवी, सभी प्रकार की फिल्में, टेलीविजन मीडिया, नाट्य कला, निष्पादन कलाएं, मनोरंजन उद्योग (श्रव्य अथवा वीडियो निर्माण, वितरण, प्रदर्शन, साफ्टवेयर समर्थन, अवसंरचना समर्थन अथवा उद्योग को तकनीकी समर्थन सहित), रंग मंच, केबल तथा रेडियो नेटवर्क के प्रचालन, मोशन पिक्चर स्टूडियों के स्वामित्व तथा प्रचालन तथा सिनेमा हॉल तथा थिएटर तथा उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित कलाकारों के मामले से संबद्ध गतिविधियों से है तथा जिसमें वीडियो, रेडियो तथा डिस्क जोकी शामिल है; (ख) स्तंभ 5 की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित सभी व्यक्तियों के सभी मामलों जिनकी आय का मूल स्रोत कानूनी, चिकित्सा, अभियांत्रिकी अथवा वास्तु शिल्प व्यवसाय अथवा लेखा व्यवसाय अथवा तकनीकी परामर्श अथवा इंटीरियर डेकोरेशन किसी अन्य व्यवसाय से है जिसे बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; (ग) उपर्युक्त मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले।
206.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -17	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड ए, बी जिसमें मुंबई के पिनकोड-400001, 400003, 400005, 400009, 400020,	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :- (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर

			400031, 400033 द्वारा आच्छादित हैं। (ख) (ख) मात्र पिन- 400008 द्वारा शामिल एमसीजीएम वार्ड- डी	(क) तथा (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले।
210.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -21	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड- जी जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या -400011, 400013, 400016, 400017, 400018, 400025, 400028 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :- (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले।
211.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -22	मुम्बई, महाराष्ट्र	मुंबई के पिनकोड संख्या- 400029, 400052, 400054, 400055, 400098 द्वारा शामिल एमसीजीएम वार्ड एच।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :- (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले।
212.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -23	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड एच जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या 400050, 400051 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले :- (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16, प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त-22 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले।

213.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -24	मुम्बई, महाराष्ट्र	<p>अंधेरी जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या 400053, 400058, 400059, 400061, 400069, 400093, 400096, 400099 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p>	<p>(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके प्रथम नाम वर्णमाला "ए", अथवा "बी", अथवा "सी", अथवा "डी", अथवा "ई", अथवा "एफ", अथवा "जी", अथवा "एच", अथवा "आई", अथवा "जे", अथवा "के", अथवा "एल", अथवा "एम", अथवा "एन", अथवा "ओ", अथवा "पी", अथवा "क्यू", अथवा "आर" से शुरू होते हैं;</p> <p>(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले</p> <p>(ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले;</p>
214.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -25	मुम्बई, महाराष्ट्र	<p>(क) अंधेरी जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या 400053, 400058, 400059, 400061, 400069, 400093, 400096, 400099 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।</p> <p>(ख) विले पार्ले जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या 400049, 400056, 400057, द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।</p>	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।</p> <p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (क) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय</p>	<p>(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके प्रथम नाम वर्णमाला "एस", अथवा "टी", अथवा "यू", अथवा "वी", अथवा "डब्ल्यू", अथवा "एक्स", अथवा "वाई", अथवा "जेड", से शुरू होते हैं;</p> <p>(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले</p> <p>(ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के अंतर्गत आने वाले मामले</p> <p>(ख) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि</p>

				प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) की मद में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले
215.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -26	मुम्बई, महाराष्ट्र	साकिनाका, कुर्ला, सियोन, कोलीवाडा, चुनाभट्टी, एंटाप हिल, साकी विहार रोड तथा पोवई जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या 400022, 400024, 400037, 400070, 400072, 400076 तथा 400087 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले
216.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -27	मुम्बई, महाराष्ट्र	एमसीजीएम वार्ड-एम चेम्बूर तथा एमसीजीएम वार्ड-एन घाटकोपर जिसमें मुंबई के पिनकोड संख्या 400043, 400071, 400073, 400074, 400075, 400077 तथा 400084, 400085, 400086, 400088, 400089, 400094 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले
217.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -28	मुम्बई, महाराष्ट्र	नवीं मुंबई जिसमें नवीं मुंबई के पिनकोड- 400611, 400613, 400614, 400615,	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त,

221.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -32	मुम्बई, महाराष्ट्र	बोरीवली तथा दहीसार जिसमें मुंबई के पिनकोड सं. 400066, 400068, 400091, 400092, 400103, द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले
222.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -33	मुम्बई, महाराष्ट्र	कांदिवली जिसमें मुंबई के पिनकोड सं. 400067 तथा 400101 द्वारा आच्छादित क्षेत्र शामिल हैं।	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं। (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है।	(क) निम्नलिखित से भिन्न स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-4; प्रधान तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले (ii) व्यक्तियों के मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से है अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 अथवा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-35 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामले
223.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -34	मुम्बई, महाराष्ट्र	बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -1, से प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -16 तक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की तदनुरूपी मद (क) में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से हैं जो निम्नलिखित हैं: (क) न्यायधीश (ख) निम्नलिखित के कर्मचारी अथवा पेंशनधारक : (i) केन्द्र सरकार; (ii) केन्द्र/अर्द्धसरकारी उपक्रम (iii) राज्य सरकार तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (iv) वाणिज्य दूतावास
224.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई -35	मुम्बई, महाराष्ट्र	बृहन्मुम्बई नगर निगम तथा नवी मुम्बई नगर निगम द्वारा शामिल क्षेत्र	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के रह रहे हैं।	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-1, से प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-16 तथा प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-34 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न स्तंभ (5) की मद (क)

					में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले तथा जिनकी आय का प्रमुख स्रोत "वेतन" से हैं।
--	--	--	--	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
225	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर-1	नागपुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में- (क) महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचना सं. एन एम सी-1091-220-सीआर-35-91-यू.डी-20, दिनांक 30.9.1991 द्वारा यथा अधिसूचित नागपुर नगर निगम के नगर वार्ड 1,2,3,4 और 87 से 98	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हैं; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(क) उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (क) और (ख) और (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; अथवा (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			महाराष्ट्र राज्य में:- (ख) अमरावती, अकोला, बुलधाना तथा वाशिम जिले	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार या व्यवसाय का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (छ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक	(ग) स्तम्भ (5) की मद (ड.), (च) और (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तम्भ (5) की मद (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

				क्षेत्र के भीतर है; (ज) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	
226.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर-2	नागपुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में- (क) नागपुर जिला	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित राज्य क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से और जो निम्नलिखित के कर्मचारी अथवा पेंशनर्स हैं, के सभी मामले: (i) केन्द्र सरकार के विभागों; (ii) केन्द्र सरकार के उपक्रमों; और (iii) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 51 में उल्लिखित बैंकिंग संस्थाएँ
			(ख) महाराष्ट्र राज्य में- भाण्डारा, वर्धा और यवतमाल जिले	(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ड.) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(ख) स्तम्भ (5) की मद (ख), (ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले या (ग) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) महाराष्ट्र राज्य में:- महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचना सं. एनएमसी-1091-220 सी आर-35-91-यूडी-20, दिनांक 30.9.91 द्वारा यथा अधिसूचित नागपुर नगर निगम के नगर वार्ड 55,56, 72, 73,74 और 76 से 86 तक। (घ) नागपुर शहर को छोड़कर नागपुर जिले की सभी तहसीले।	(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर	(घ) उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनकी आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है स्तम्भ (5) की मद (च),(छ) और (ज) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तम्भ 5 की मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध

				<p>रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(ज) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) और (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।</p>	निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
227.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर-3	नागपुर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में- (क) नागपुर जिला	<p>(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जो निम्नलिखित है:-</p> <p>(i) राज्य सरकार, राज्य सरकार के उपक्रम, बीमा कंपनियां, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) शैक्षिक संस्थाएं।</p> <p>(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर-2 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति।</p>
			महाराष्ट्र राज्य में- (ख) गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चरौली जिले	<p>(ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p>	<p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ख),(ग) और (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।</p> <p>(ग) स्तम्भ (5) की मद (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
				<p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है;</p> <p>(घ) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद</p>	

				(ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (ड.) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	
		महाराष्ट्र राज्य में- (ग) महाराष्ट्र सरकार, शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचना सं. एनएमसी-1091-220 सी आर-35-91-यूडी-20, दिनांक 30.9.91 द्वारा यथा अधिसूचित नागपुर नगर निगम के नगर वार्ड 5 से 54, 57 से 71 तथा 75 तक।	(च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हैं; (ज) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (झ) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(घ) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है, स्तम्भ (5) की मद (च),(छ) और (ज) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; अथवा (ड.) स्तम्भ 5 की मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।	

1	2	3	4	5	6
228	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटना-I	पटना, बिहार	(क) बिहार राज्य में:- पटना जिला	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है। (ख) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ग) स्तम्भ (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) स्तम्भ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले तथा जिनकी आय का मूल स्रोत विधि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग अथवा वास्तुशिल्पीय व्यवसाय अथवा लेखाकरण व्यवसाय अथवा तकनीकी परामर्श अथवा किसी आंतरिक साज-सज्जा अथवा किसी अन्य व्यवसाय से है जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44कक की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ (5) की मद (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा

					प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
			(ख) गया जिला, जहानाबाद, अरावल औरंगाबाद रोहताश, कैमूर, वैशाली, नवादा, नालंदा, मौजपुर, और बक्सर के जिले	(घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है (च) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है; (छ) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति।	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड),(च), तथा (छ) में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले; (ड.) स्तम्भ (5) की मद (छ) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
229	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटना-2	पटना, बिहार	बिहार राज्य में:- पटना जिला;	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है	(क) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटना-1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न अथवा स्तम्भ (5) की मद (क) तथा (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले।
230	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, बिहार	बिहार राज्य में: मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, गोपालगंज, सिवान, सारन, सीतामढ़ी, सेहोर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर एवं सुपौल जिले के निर्मली उपसंभाग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या किसी पिछले कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख) एवं (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले; (ख) कॉलम (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
231	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भागलपुर,	भागलपुर, बिहार	बिहार राज्य में: भागलपुर, मुंगेर,	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं और	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख), तथा (ग) में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले;

			<p>लखी सराय, शेखपुर, जमुई, बंका, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, (निर्माली उप प्रभाग को छोड़कर), माधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय, एवं कगरिया के जिले।</p>	<p>जो स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या किसी पिछले कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;</p>	<p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>
232	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रांची	रांची, झारखंड	<p>झारखंड राज्य में: रांची, गरहवा, पलामू, लातेहर, लौहारदग्गा, जुमला तथा सिमदेगा जिले</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जो स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख), तथा (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>
233	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जमशेदपुर	जमशेदपुर, झारखंड	<p>झारखंड राज्य में: पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खारसावन जिले।</p>	<p>(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जो स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं;</p> <p>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है</p> <p>(ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत</p>	<p>(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख), तथा (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p>

				पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	
234	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, धनबाद	धनबाद, झारखंड	झारखंड राज्य में: धनबाद जिले के गिरीदीह, देवघर, दुमका, जमतारा, गोड्डा, साहेबगंज, और पाकुर जिले।	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जो स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या किसी पिछले कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क),(ख), तथा (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
235	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हजारीबाग	हजारी बाग, झारखंड	झारखंड राज्य में: हजारीबाग, कोडर्मा, छत्र और बोकारो के जिले	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और जो स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या किसी पिछले कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	(क) स्तम्भ (5) की मद (क), (ख), तथा (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;

1	2	3	4	5	6
236	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-1	पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में- (क) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे का जिला	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति ;	(क) कंपनियां होने के नाते स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला "ए" अथवा "बी" अथवा "सी" अथवा "डी" अथवा "ई" अथवा "एफ" अथवा "जी" अथवा "एच" अथवा "आई" से शुरू होते हैं ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले
			(ख) जिला अहमदनगर	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ; (ड.) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (च) स्तंभ (6) की मद (घ) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	स्तंभ (5) की मद (ग), (घ) तथा (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तंभ 5 की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ; (ड.) स्तंभ (5) की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत "वेतन" से है तथा जो सेन्य लेखा विभाग से संबद्ध कर्मचारियों से भिन्न सीडीए (ओ) के लेखा परीक्षा नियंत्रण के अंतर्गत रक्षा सेवाओं के कर्मचारी हैं ; (च) व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, तथा जो रक्षा सेवाओं के कर्मचारी हैं तथा फिलहाल कराधेय भू-भाग से बाहर निवास कर रहे हैं, जो कराधेय भू-भाग से प्रस्तान के समय सीडीए(ओ) के लेखा परीक्षा नियंत्रण के अधीन थे तथा जो लेखा अवधि जिसके दौरान वे रक्षा सेवाओं के कर्मचारी थे, के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षा अधिकारी के लेखा परीक्षा नियंत्रण के अधीन नहीं हैं।
			(ग) जिला पुणे	(छ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर	

				निवास कर रहे हैं ; (ज) व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे हैं, तथा जो स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में कराधेय प्रादेशिक क्षेत्र से प्रस्थान के समय निवास कर रहे थे;	
			(घ) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न जिला पुणे	(झ) कंपनियों तथा सहकारी कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	(छ) स्तंभ (5) की मद (झ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत विधिक, चिकित्सा, इंजीनियरी अथवा वास्तुशिल्प अथवा लेखा व्यवसाय अथवा तकनीकी परामर्श अथवा आंतरिक साज-सज्जा अथवा किसी अन्य व्यवसाय से है जैसा कि आयकर अधिनियम 1961, की धारा 44कक की उप धारा (1) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; (ज) बीमा एजेंट होने के नाते स्तंभ (5) की मद (झ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ;
237	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-2	पुणे महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में - (क) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे का जिला;	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' से शुरू होते हैं ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा पबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;

			<p>(ख) जिला पुणे के भीतर क्षेत्र-</p> <p>(i) जो निम्नलिखित पिन कोडों के भीतर आते रहे हैं:</p> <p>411003 411004 411005 411007 411008 411010 411012 411016 411020 411021 411027 411029 411031 411038 411045 411052 411053 411057 411058 412115, तथा</p> <p>(ii) मुल्शी तालुका की सीमाओं के क्षेत्र के भीतर आने वाला क्षेत्र</p>	<p>(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;</p> <p>(घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;</p>	<p>(ग) स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ;</p>
			<p>(ग) प्रधान आयकर आयुक्त / आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न जिला पुणे-</p>	<p>(ड.) व्यष्टि होने के नाते स्तंभ (6) की मद (9) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं;</p>	<p>(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत "वेतन" से है तथा जो हैं :</p> <p>(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीय छावनी परिषद, सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रम, निगम, सभी राज्य राज्य सरकारी उपक्रम/निगम, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा भारत सरकार के अन्य सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पुणे विश्वविद्यालय के कर्मचारी। अथवा (ii) पेंशनधारक</p>
238	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुणे-3	पुणे, महाराष्ट्र	<p>महाराष्ट्र राज्य में -</p> <p>(क) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे का जिला;</p>	<p>(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है ;</p> <p>(ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' से शुरू होते हैं ;</p> <p>(ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित</p>

				संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ;	कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;
		(ख) पुणे जिले के भीतर क्षेत्र: (i) जो निम्नलिखित पिन कोडों के भीतर आ रहे हैं: 411002 411009 411011 411023 411024 411025 411037 411041 411042 411043 411046 411051 412205 तथा (ii) भीरतालुका तथा वैल्ही तालुका की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र		(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ।
		(घ) जिला सतारा		(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ; (छ) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (ज) स्तंभ (6) की मद (ड.) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ;	(घ) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (ड.) स्तंभ 5 की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;
239	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुणे-4	पुणे महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में - (क) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे का जिला;	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' अथवा 'डब्ल्यू' अथवा 'एक्स' अथवा 'वाई' अथवा 'जेड' से शुरू होते हैं ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में

					तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;
			(ख) पुणे जिले के भीतर क्षेत्र- (i) जो निम्नलिखित पिन कोडों के भीतर है: 411001 411006 411014 411015 411030 411032 411047 412207 412216 (ii) शिरूर तालिका की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तम्भ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ।
			(ग) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से भिन्न पुणे का जिला;	(ड.) व्यष्टि होने के नाते स्तम्भ (6) की मद (घ) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ;	(घ) स्तम्भ (5) की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत "वेतन" से है तथा जिसमें रक्षा सेवाओं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सभी केन्द्रीय सरकारी उपक्रम/निगम, सभी राज्य सरकारी उपक्रम/निगम, निजी क्षेत्र के सभी उपक्रम तथा भारत सरकार के अन्य उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल नहीं हैं।
240	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुणे-5	पुणे महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में - (क) पुणे जिले के भीतर क्षेत्र- (i) जो निम्नलिखित पिन कोडों के भीतर है: 411012 411017 411018 411019 411026 411027 411031 411033 411034 411035 411039 411044 411057 अथवा पिमप्रिचिंचवाड नगर निगम की नगर निगम	(क) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (ख) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ; (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4)	(क) उन व्यक्तियों से भिन्न जो सीडीए/ओ के लेखा परीक्षा नियंत्रण के अधीन रक्षा सेवाओं के कर्मचारी हैं, स्तम्भ (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले ; (ख) स्तम्भ (5) की मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;

			सीमाओं के भीतर (ख) देहु छावनी की सीमाओं के भीतर, (ग) मावल (वडगांव) तालुका, खेड तालुका, अम्बेगन (घोडे गांव) तालुका तथा जुनार तालुका	की मद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (घ) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ;	
241	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुणे-6	पुणे महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में - (क) प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त, पुणे-5 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों से भिन्न पुणे का जिला;	(क) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (ख) स्तंभ (6) की मद (ख) में संदर्भित व्यष्टि होने के नाते व्यक्ति ;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनके नाम वर्णमाला 'जे' अथवा 'के' अथवा 'एल' अथवा 'एम' से शुरू होते हैं ; (ख) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;
			(ख) पुणे जिले के भीतर क्षेत्र- (i) जो निम्नलिखित पिन कोडों के अन्तर्गत आते हैं: 411013 411022 411028 411036 411040 411048 411201 412202 412210 412307 412308, तथा (ii) बारामति तालुका, डोंड तालुका, इंदापुर तालुका तथा ससवाड़(पुरंदर) तालुका की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र	(ग) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (घ) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	(ग) उन व्यक्तियों से भिन्न जिनकी आय का मूल स्रोत वेतन से है, स्तंभ (5) की मद (ग) तथा (घ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;
			(ग) जिला सोलापुर	(ड.) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ; (च) कंपनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;	(घ) स्तंभ (5) की मद (ड.), (च) तथा (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले (ड.) उपर्युक्त मद (क) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने के नाते व्यष्टियों के सभी मामले ;

				(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों होने के नाते व्यक्ति जिनका पंजीकृत कार्यालय अथवा कारोबार का प्रधान स्थान स्तंभ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; (ज) स्तंभ (6) की मद (ड.) में संदर्भित व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति;	
242	प्रधान आयकर आयुक्त, कोल्हापुर	कोल्हापुर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- (क) सांगली जिला। (ख) शिरोल तथा हाथकनागेल तालुकों को छोड़कर कोल्हापुर जिले के सभी तालुक (ग) शिरोल हाथकजागेल तथा कारवीर के तालुकों को छोड़कर कोल्हापुर जिला के सभी तालुक (घ) कोल्हापुर शहर के 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' नगर निगम वार्ड। (ड.) कोल्हापुर शहर सहित कोल्हापुर जिला के सभी तालुक, शिरोल तथा हाथकनागेल को छोड़कर किन्तु हाथकनागेल तालुक के एम आई डी सी शिरोल के क्षेत्र सहित।	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) के मद (क)(ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क)(ख) तथा (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ग) कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (घ) कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तंभ (4) की मद (ड.) में उल्लिखित क्षेत्र में है। (ड.) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति।	(क) कॉलम (5) की मद (क)(ख) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले। (ख) कॉलम (5) की मद (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी (ग) कंपनियों होने के नाते स्तंभ (5) की मद (घ) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों जिनके नाम वर्णमाला 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'जेड' से शुरू होते हैं, के सभी मामले। (घ) कंपनियों में उल्लिखित कॉलम (5) के मद (ख) तथा (ग) में की गई तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने के कारण व्यष्टियों के सभी मामले।
243	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलापुर-2	कोलापुर, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- (क) सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरी जिले (ख) कोल्हापुर जिले के शिरोल और हाथकाबगाले तालुक परंतु हाथकानगाले तालुक के एम आई डी शिरोली क्षेत्र शामिल नहीं है। (ग) कोल्हापुर शहर का नगर वार्ड 'ड.' (घ) शिरोल और हाथकानगाले जिले के सभी तालुक परंतु	(क) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति, जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और जिनका कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका	(क) स्तंभ (5) की मद (क) और (ख) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, (ख) स्तंभ (5) की मद (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनके नाम अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' से शुरू होते हैं, के सभी मामले। (ग) उपर्युक्त मद (ख) और (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा

			इसमें हाथकानगाले तालुक के एसआईडीसी शिरोली क्षेत्र शामिल नहीं है। (ड.) कोल्हापुर जिले का कारवीर तालुका।	पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।	निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;
244	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, थाने-1	थाने, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- (क) मीरायेन्द्र के क्षेत्र सहित थाने तालुक तथा थाने जिले में थाने नगर निगम के तहत क्षेत्र को छोड़कर	(क) कम्पनियों और सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ख) कम्पनियों और सहकारी समिति से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (घ) स्तम्भ (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति; (ड.) सहकारी समितियां (सरकारी बैंकों सहित) होने पर व्यक्ति जो स्तंभ 4 की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित है।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों, जिनके आय का मुख्य स्रोत 'वेतन' से है और जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' से शुरू होते हैं, के सभी मामले। (ख) उन व्यक्तियों के अलावा जिनकी आय का मुख्य स्रोत 'वेतन' से है, स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ग) स्तम्भ 5 की मद (ख) और (ग) में तदनुसारी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (घ) स्तंभ 5 की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड.) स्तंभ 5 की मद (ग) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ख) थाने जिले में थाने नगर निगम	(च) कम्पनियों और सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (छ) कम्पनियों और सहकारी समिति से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है; (ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका	(च) स्तंभ 5 की मद (च) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित सभी व्यक्तियों, जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' से शुरू होते हैं, सभी मामले। (छ) स्तंभ 5 की मद (च) में तदनुसारी प्रविष्टि में उल्लिखित सभी व्यक्तियों, जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जिनके

				पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (झ) स्तम्भ (6) की मद (ज) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति;	नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' से शुरु होते हैं, सभी मामले। (ज) स्तंभ 5 की मद (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' से शुरु होते हैं, सभी मामले। (झ) स्तंभ 5 की मद (ज) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' से 'एम' से शुरु होते हैं, के सभी मामले। (ञ) उपर्युक्त मद (झ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ग) थाने जिले में कल्याण तालुक, शाहपुर तालुक, भिवांडी तालुक, मुडवाक तालुक	(ज) कंपनियों सहकारी समितियों से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं।	(ट) स्तंभ 5 की मद (ज) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है।
			(घ) थाने जिले में कल्याण तालुक	(ट) कंपनियों सहकारी समितियों से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तंभ 4 की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं। (ठ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (ड) सरकारी समितियां (सहकारी बैंकों सहित) होने पर व्यक्ति जो स्तंभ 4 की मद (घ) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित है।	(ड) स्तंभ 5 की मद (ट) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले। (ड) स्तंभ 5 की मद (ड) में उल्लिखित उन व्यक्तियों के मामलों से अलावा जिनकी आय का मुख्य स्रोत 'वेतन' से है, व्यक्ति के सभी मामले, या (ड) स्तंभ 5 की मद (ड) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
245	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, थाने-2	थाने, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में (क) जिला थाने में मिराभयेंदर तथा थाने नगर निगम सहित थाना तालुका	(क) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ 4 की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनके आय का मुख्य स्रोत 'वेतन' से है तथा जिनके नाम 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या

			(ख) थाने जिले में थाना नगर निगम	(ख) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय या मूल स्थान स्तंभ 4 की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है। (ग) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (घ) स्तम्भ (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति; (ङ.) स्तंभ 4 की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित सहकारी समितियां होने के नाते व्यक्ति (सहकारी बैंक सहित)	'जेड' से शुरू होते हैं। (ख) स्तंभ 5 की मद (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले अथवा उन लोगों को छोड़कर जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है तथा जिनके नाम वर्णमाला 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं।
			(ग) थाने जिले में भिमंडी तालुका	(च) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय या मूल स्थान स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है। (छ) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (ज) स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित सहकारी समितियां होने के नाते व्यक्ति (सहकारी बैंक सहित)	(ग) स्तंभ (5) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनके नाम वर्णमाला 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' या 'आर' या 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से शुरू होते हैं।
			(घ) जिला थाने में कल्याण तालुका, शाहपुर तालुका, भिमंडी तालुका, मुरवाद तालुका, उलासनगर तालुका, अवरनाथ तालुका	(झ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ञ) स्तम्भ (6) की मद (ज) में उल्लिखित व्यक्ति होने पर व्यक्ति;	(घ) उपर्युक्त मद (ग) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ड.) जिला रायगढ़	(ट) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय या मूल स्थान स्तंभ 4 की मद (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र	(ड.) स्तंभ 5 की मद (ड.) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (च) स्तंभ 5 की मद (च) तथा (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी

				<p>के भीतर आता है।</p> <p>(ठ) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ 4 की मद (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।</p> <p>(ड) स्तंभ 4 की मद (ड.) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित सहकारी समितियां होने के नाते व्यक्ति (सहकारी बैंक सहित)</p> <p>(ढ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ड.) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ण) स्तम्भ (6) की मद (ट) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p>	<p>मामले;</p> <p>(छ) स्तंभ 5 की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है;</p> <p>(ज) स्तंभ 5 की मद (छ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(झ) उपर्युक्त मद (झ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p> <p>(ञ) स्तंभ 5 की मद (ट),(ठ),(ड) तथा (ढ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ट) स्तंभ 5 की मद (ढ) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
246	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, थाने	थाने, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में (क) पालघर	<p>(क) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय या मूल स्थान स्तंभ 4 की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है।</p> <p>(ख) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ 4 की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।</p> <p>(ग) स्तंभ 4 की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित सहकारी समितियां होने के नाते व्यक्ति (सहकारी बैंक सहित)</p> <p>(घ) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ड.) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p>	<p>(क) स्तंभ 5 की मद (क),(ख),(ग) तथा (घ) में तदनुसूची प्रविष्टि में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p>
			(ख) उल्लास नगर तालुका, थाने जिले का	(च) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो	(ख) स्तंभ 5 की मद (ख) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित

			अम्बरनाथ तालुका	कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ 4 की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं।	कंपनियों में प्रबंध निदेशक या निदेशक या प्रबंधक या सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।
			(ग) थाने जिले का उल्लास नगर तालुका, अम्बरनाथ तालुका, शाहपुर तालुका, मुरवादा तालुका	(छ) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रह रहे हैं। (ज) कंपनियों तथा सहकारी समितियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार अथवा व्यवसाय या मूल स्थान स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है। (झ) स्तंभ 4 की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित सहकारी समितियां होने के नाते व्यक्ति (सहकारी बैंक सहित)	(ग) स्तंभ की मद (च) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है; (घ) स्तंभ की मद (छ) में तदनुरूपी प्रविष्टि में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले जिनके आय का प्रधान स्रोत 'वेतन' से है; (ड.) स्तंभ 5 की मद (ज) तथा (झ) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यष्टियों के सभी मामले;
247	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नासिक-1	नासिक, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- (क) निम्नलिखित तालुक के भीतर आने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त नासिक जिला (i) मालेगांव (ii) सतना (iii) नंदगांव (iv) चांदवाड (v) योला	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ख) स्तम्भ (6) की मद (छ) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (घ) सहकारी समिति होने पर व्यक्ति स्तंभ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यष्टियों का समूह, स्थानीय प्राधिकारियां या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति; (ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यष्टियों के सभी मामले, जिनके नाम वर्णमाला 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' से प्रारंभ होते हैं। (ख) इस स्तंभ (6) की मद (क) और (ग) में तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ 5 की मद (क), में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से भिन्न है और व्यष्टियों के मामले में नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' और उन व्यक्तियों के नाम जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के'

					<p>या 'एल' या 'एम' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड'।</p> <p>(घ) स्तंभ 5 की मद (ड.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जिन नियुक्तताओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एम' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड'।</p>
			<p>(ख) नासिक जिले के तालुक मालेगांव सतना नंदगांव चांदवाड योला</p> <p>(ग) धुले और नंदरवार जिला</p>	<p>(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(छ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p>	<p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(च) स्तंभ (5) के मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>
248	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नासिक-2	नासिक, महाराष्ट्र	<p>महाराष्ट्र राज्य में:- (क) निम्नलिखित तालुक के भीतर आने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त नासिक जिला</p> <p>(i) मालेगांव (ii) सतना (iii) नंदगांव (iv) चांदवाड (v) योला</p>	<p>(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(ख) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p> <p>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p>	<p>(क) स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनके नाम वर्णमाला 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' से प्रारंभ होते हैं।</p> <p>(ख) इस स्तंभ (6) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले;</p> <p>(ग) स्तम्भ 5 की मद (ग) में की</p>

					<p>गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से भिन्न है और व्यष्टियों के मामले में जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी' और उन व्यक्तियों के नाम जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एन' अथवा 'ओ' अथवा 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' अथवा 'एस' अथवा 'टी' अथवा 'यू' अथवा 'वी'।</p> <p>(घ) स्तंभ 5 की मद (ग) में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से है और जिन नियुक्तताओं के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल'।</p>
		(ख) जल गांव जिला	<p>(घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;</p> <p>(ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं;</p> <p>(च) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है।</p> <p>(छ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;</p>	<p>(ड.) स्तम्भ (5) की मद (घ), (ड.) और (च) में की गई तदनुरूपी प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(च) स्तंभ (5) के मद (च) में तदनुरूप प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।</p>	

249	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, औरंगाबाद-1	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- (क) औरंगाबाद जिला (ख) औरंगाबाद तालुक के अतिरिक्त औरंगाबाद जिले के सभी तालुक	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति; (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ड.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'ई' या 'एफ' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' अथवा 'क्यू' अथवा 'आर' से प्रारंभ होते हैं। (ख) इस स्तंभ (6) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ 5 की मद (क), में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' से भिन्न है और जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी है। (घ) स्तंभ 5 की मद (ड.) और (च) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) परभानी, हिंगोली, जलना, नंदेद	(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (छ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;	(ड.) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (च) स्तंभ (5) के मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

250	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, औरंगाबाद-2	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में:- (क) औरंगाबाद जिला (ख) औरंगाबाद जिला में औरंगाबाद तालुक	(क) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (ख) स्तम्भ (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति; (ग) व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी और जो स्तम्भ (4) की मद (क) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर पोस्ट किए गए या रह रहे हैं; (घ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ङ.) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ख) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है;	(क) स्तंभ (5) की मद (क) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले, जिनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'एस' या 'टी' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' से प्रारंभ होते हैं। (ख) इस स्तंभ (6) की मद (क) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले; (ग) स्तम्भ 5 की मद (क), में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले जिनकी आय का मूल स्रोत 'वेतन' है और जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी है। (घ) स्तंभ 5 की मद (घ) और (ङ.) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले।
			(ग) बीड लटूर और ओसमानाबाद	(च) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं जिनके कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आता है; (छ) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं और स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र में रह रहे हैं; (ज) व्यक्ति जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मूल स्थान स्तम्भ (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर है। (झ) स्तम्भ (6) की मद (च) में उल्लिखित व्यष्टि होने पर व्यक्ति;	(ङ.) स्तम्भ (5) की मद (च), (छ) और (ज) में की गई तदनुसूची प्रविष्टियों में संदर्भित व्यक्तियों के सभी मामले; (च) स्तंभ (5) के मद (ज) में तदनुसूची प्रविष्टि में उल्लिखित कंपनियों के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा सचिव होने पर व्यष्टियों के सभी मामले।

अनुसूची-II

क्र.सं.	आयकर प्राधिकारियों के पद नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1	अहमदाबाद, गुजरात	अनुसूची-1 की क्रम सं. 1 से 8 तक में उल्लेख किए गए प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न गुजरात राज्य में अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, बनासकंठा, अखली, सावरकांठा, भावनगर, बोटाड और सुरेन्द्रनगर जिलों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
2	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत-1	सूरत, गुजरात	अनुसूची-1 की क्रम सं. 9 से 12 तक में उल्लेख किए गए प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न गुजरात राज्य में सूरत, तापी, नवसारी, ढांग और वलसाड जिलों तथा दमन, दादरा और नागर हवेली (सिलवासा) के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
3	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बड़ोदरा-1	बड़ोदरा, गुजरात	अनुसूची-1 की क्रम सं. 13 से 16 तक में उल्लेख किए गए प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न गुजरात राज्य में बड़ोदरा, खेडा, आनंद, भरौच, पंच-महल, माहीसागर, दाहोद, नर्मदा और छोटा उदयपुर जिले के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
4	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट-1	राजकोट, गुजरात	अनुसूची-1 की क्रम सं. 17 से 20 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न गुजरात राज्य में राजकोट, कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, देवभूमि, द्वारका, मोरवी, गिर सोमनाथ, पोरबंदर तथा अमरेली जिले तथा दीव के संघ राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
5	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-1	बंगलौर, कर्नाटक	अनुसूची-1 की क्रम सं. 21 से 34 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न कर्नाटक और गोवा राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
6	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भोपाल-1	भोपाल, मध्य प्रदेश	अनुसूची-1 की क्रम सं. 35 से 45 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
7	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर-1	भुवनेश्वर, ओडिशा	अनुसूची-1 की क्रम सं. 46 से 49 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए सभी मामलों से भिन्न ओडिसा राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
8	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चंडीगढ़-1	चंडीगढ़	अनुसूची-1 की क्रम सं. 50 से 68 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
9	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-1	चेन्नई, तमिलनाडू	अनुसूची-1 की क्रम सं. 69 से 87 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी के प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।
10	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-3	दिल्ली	अनुसूची-1 की क्रम सं. 88 से 111 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न दिल्ली के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
11	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-1	गुवाहाटी, असम	अनुसूची-1 की क्रम सं. 112 से 116 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए सभी मामलों से भिन्न असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
12	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद	हैदराबाद, तेलंगाना	अनुसूची-1 की क्रम सं. 117 से 123 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न तेलंगाना राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
13	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, विजयवाड़ा	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	अनुसूची-1 की क्रम सं. 124 से 130 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न आंध्र प्रदेश राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के यानम जिले के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
14	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर-1	जयपुर, राजस्थान	अनुसूची-1 की क्रम सं. 131 से 140 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न राजस्थान राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
15	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कानपुर-1	कानपुर, उत्तर प्रदेश	अनुसूची-1 की क्रम सं. 141 से 151 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।

			आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर, कानपुर, देहात, (रमाबाईनगर), जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, मथुरा, औरिया, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, ललितपुर, इटावा, अलीगढ़, फरुखाबाद, कनौज, एटा, हाथरस, मैनपुरी, काशीराम नगर (कासगंज) मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, पंचशील नगर (हापुड) बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर जिले तथा उत्तराखंड राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
16	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोची-1	कोची, केरल	अनुसूची-1 की क्रम सं. 152 से 157 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न केरल राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
17	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-1	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	अनुसूची-1 की क्रम सं. 158 से 181 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
18	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लखनऊ-1	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	अनुसूची-1 की क्रम सं. 182 से 189 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, सुलतापुर, अमेठी, राय बरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, बस्ती, गोन्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर संत कबीर नगर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, सोनभद्र, कौशाम्बी, वाराणसी भद्रोही (संत रविदास नगर) बलिया, गाजीपुर, चंदौली, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, बरेली, शाहजहांपुर, पलीभीत, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, खीरी, मुरादाबाद, विजौनौर, रामपुर, बदायूं, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर) और संभल जिलों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
19	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-1	मुंबई, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 190 से 224 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य में ग्रेटर मुंबई नगर निगम तथा नवी मुंबई नगर निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
20	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर-1	नागपुर, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 225 से 227 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, बांद्रा, मोंडिया, अकोला, वाशिम, बुलढाना, वर्धा, यावतमल, अमरावती, चंद्रापुर, गडचिरोली जिलों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
21	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटना-1	पटना, बिहार	अनुसूची-1 की क्रम सं. 228 से 235 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न बिहार तथा झारखंड राज्य के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
22	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुणे-6	पुणे, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 236 से 241 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न पुणे, अहमदनगर, सतारा, सोलापुर जिलों के प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।
23	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोल्हापुर-2	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 242 से 243 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न कोल्हापुर, सांगली, रत्नागिरि तथा सिंधुदुर्ग जिलों के प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।
24	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, थाने-3	थाणे, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 244 से 246 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न थाने जिला, पालगढ़ जिला तथा रायगढ़ जिला (नवी मुंबई नगर निगम को छोड़कर) के प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।
25	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नासिक-2	नासिक, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 247 से 248 तक में उल्लिखित प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों को सौंपे गए मामलों से भिन्न नासिक नांदुरवार, जलगांव, धूले जिलों के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी मामले।
26	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, औरंगाबाद-2	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	अनुसूची-1 की क्रम सं. 249 से 250 तक के सामने औरंगाबाद, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदे, ओसमानाबाद, परभनी जिलों से प्रधान आयकर आयुक्तों/आयकर आयुक्तों के प्रादेशिक क्षेत्र के आने वाले सभी मामले।

[अधिसूचना सं. 50/2014/फा. सं. 187/38/2014 (आईटीए. 1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION****(Income-tax)**

New Delhi, the 22nd October, 2014

S.O. 2752(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Government of India, Central Board of Direct Taxes, notification number S.O. 732(E) dated the 31st July, 2001, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st July, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes, hereby,-

- (a) directs that the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule-I annexed hereto, having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule-I, shall exercise the powers and perform the functions in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (6) of the said Schedule-I, of such persons or classes of persons being residents or not ordinarily residents in India as per section 6 of the Income-tax Act, 1961 and as specified in the corresponding entries in column (5) of the said Schedule-I, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-I, in respect of all incomes or classes of income thereof;
- (b) directs that the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule-II annexed hereto, having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule-II, shall exercise the powers and perform the functions in respect of any cases or classes of cases, of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of income, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-II;
- (c) authorises the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the said Schedule-I to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to them, in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (6) of the said Schedule-I, of such persons or classes of persons specified in the corresponding entries in column (5) of the said Schedule-I, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-I, in respect of all incomes or classes of income thereof;
- (d) authorises the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the said Schedule-II to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to them, in respect of any cases or classes of cases, of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of income, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-II;
- (e) authorises the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax referred to in clauses (c) and (d) of this notification, to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers, who are subordinate to them, in respect of such specified area or persons or classes of persons or incomes or classes of incomes or cases or classes of cases, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax are authorised by the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax referred to in clause (c) and (d) of this notification.

Explanation :-

For the purposes of this notification,-

- (i) “residing” means,-
- (a) in the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this notification;
- (b) in the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta; and
- (c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place where the head office is located.
- (ii) in cases of companies whose names begin with any of the numerals (hereinafter “numeric companies”), the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of

the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.

(iii) column (2) of the schedule specifies the designation of Income-tax authorities as “Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax”. The designation is to be understood as Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax. For example, “Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1” refers to an income tax authority, which could either be Principal Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1, or Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1.

Note:

The Income-tax authorities referred to in column (2) of the schedule annexed to this notification shall not exercise powers and perform functions, which have specifically been assigned through separate notification(s), to an Income-tax authority having designation other than those mentioned in column (2) below.

2. This notification shall come into force with effect from 15th day of November, 2014.

SCHEDULE-I

Sl. No	Designation of Income-tax authorities	Headquarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1	Ahmedabad, Gujarat	In the State of Gujarat – (a) District of Ahmedabad	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet “A” or “B” or “C” or “D”; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in items (a) and (c) of this column ; (c) all the cases of persons referred to in (a), (b) and (c) of column (5) who are registered as member with National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, Ahmedabad Stock Exchange, Commodity Exchanges, Over The Counter Exchange of India and any other Exchange dealing with securities and commodities; (d) all cases of persons referred to in (a), (b) and (c) of column (5) being sub-brokers

					associated with persons mentioned at item (c) above;
			(b) Municipal Wards of City of Ahmedabad: (i) Kalupur (ii) Dariapur (iii) Madhupura (iv) Dudheswar (v) Raikhad (vi) Shahpur (vii) Khadia (viii) Jamalpur (ix) Usmanpura (SP Stadium)	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e) and (f) of column (5) other than those having principal source of income from "salary" or other than the cases mentioned at item (c) and (d) above or falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4.
2	Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-2	Ahmedabad, Gujarat	In the State of Gujarat – (a) District of Ahmedabad	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'T' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M'; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5);
			(b) Municipal Wards of the City of Ahmedabad: (i) Naranpura, (ii) Juna Vadaj, (iii) Nava Vadaj, (iv) Ranip (v) Sabarmati (vi) Chandkheda Motera (vii) Kali	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those having principal source of income from "salary" or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4.

				of column (4);	
			(c) Districts of Sabarkantha and Aravali	<p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
3	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-3	Ahmedabad, Gujarat	In the State of Gujarat – (a) District of Ahmedabad:	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R';</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5);</p>
			(b) Municipal Wards of the City of Ahmedabad: (i) Odhav, (ii) Arbuda Nagar,	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than

			<p>(iii) Mahavir Nagar, (iv) Nikol, (v) Vastral (vi) Viratnagar (vii) Vejalpur, (viii) Jodhpur, (ix) Bodakdev (x) Thaltej (xi) Sarkhej (xii) Ramol-Hathijan, (xiii) Vatva, (xiv) Isanpur, (xv) Lambha, (xvi) Ghodasar</p> <p>(c) The following Talukas of Ahmedabad District (excluding the areas of such Talukas covered under Municipal wards of city of Ahmedabad)</p> <p>(i) Viramgam (ii) Mandal, (iii) Detroj (iv) Sanand (v) Bavla, (vi) Dholka, (vii) Dhandhuka, (viii) Daskroi</p>	<p>profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p>	<p>those having principal source of income from “salary” or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 or Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4.</p>
4	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4	Ahmedabad, Gujarat	<p>In the State of Gujarat -</p> <p>(a) District of Ahmedabad;</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p>	<p>(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z';</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5);</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified</p>

					by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961.
			(b) Municipal Wards of the city of Ahmedabad: (i) Ghatlodia, (ii) Chandlodia, (iii) Gota	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those having principal source of income from "salary" or other than the cases mentioned at (c) above or falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 .
			In the State of Gujarat – (c) District of Banaskantha	(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5); (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).

				(i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).	
5	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-5	Ahmedabad, Gujarat	In the State of Gujarat- (a) District of Ahmedabad	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding item (a) of column (5) whose principal source of income is "Salary" and who are employees or pensioners of : (i) all Schools, within the Municipal Limits of Ahmedabad City and AUDA, other than primary schools run by Taluka Development Officers (TDOs) and District Development Officers (DDOs); (ii) Limited companies (Including Pvt. Ltd Companies); (iii) Gujarat University and all colleges in Ahmedabad district (Other than schools); (iv) Ahmedabad Municipal Corporation including employees of V.S, L.G, Shardabai and Nagri Hospitals; (v) Primary Schools run by TDOs and DDOs.
			(b) Following Municipal wards of city of Ahmedabad : (i) Vasna (ii) Ambawadi (iii) Navrangpura (iv) Paldi, (v) Bapunagar, (vi) Kankaria (vii) Gomtipur, (viii) India Colony	(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area	(b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of income from "salary" or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 or Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4.

				mentioned in item (b) of column (4);	
6	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-6	Ahmedabad, Gujarat	In the State of Gujarat (a) Municipal Wards of city of Ahmedabad: - (i) Rakhial (ii) Behrampura (iii) Danilimda (iv) Saraspur (v) Indrapuri (Bagh e Firdoush) (vi) Maninagar (vii) Meghaninagar (viii) Amraiwadi (ix) Khokhara (x) Rajpur (xi) Bhaipura- Hatkeswar (xii) Asarwa (xiii) Girdharnagar	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those having principal source of income from “salary” or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4.
			(b) Districts of Bhavnagar and Botad	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5); (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).

7	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-7	Ahmedabad, Gujarat	In the State of Gujarat,- (a) District of Ahmedabad	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding item (a) of column (5) whose principal source of income is "Salary" and who are employees and pensioners of : (i) Central Government, (ii) State Government, (iii) Government Undertakings, (iv) all corporations of Central and State Government, (v) Schools, outside Municipal Limits of Ahmedabad City and AUDA, other than primary schools run by TDOs and DDOs, (vi) any Bank including Banking Companies and (vii) any other employer not specifically mentioned elsewhere in this order.
			(b) Municipal Wards of the City of Ahmedabad: (i) Sardarnagar, (ii) Kubernagar, (iii) Krishnanagar (iv) Thakkar Bapanagar, (v) Saijpur-Bogha (vi) Naroda (vii) Naroda Road (viii) Noble Nagar	(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of income from "salary" or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 or Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4 .
			(c) District of Surendranagar	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d), (e) and (f) of column (5); (d) all cases of individuals being managing director or

				<p>(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).
8	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gandhinagar	Gandhinagar, Gujarat	In the State of Gujarat: Districts of Gandhinagar, Mehsana and Patan	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
9	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-1	Surat, Gujarat	In the state of Gujarat (a) Districts of Surat and Tapi; (b) old Municipal wards of Surat Municipal Corporation; 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 13A, 13B, 13C, 14A, 14B, 14C 16A, 16B, 16C, 16D, 17A, 17B, 25 and 27, excluding Krishna Market and Reshamwala Market of Ring Road, Surat. (c) The area of Sachin including Sachin industrial area falling in Old Choryasi taluka.	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N"; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5). (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than cases whose principal source of income is from "Salary".
10	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-2	Surat, Gujarat	In the state of Gujarat: (a) Districts of Surat	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z"; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5);

			<p>(b) old Municipal wards of Surat Municipal Corporation; 1A, 1B, 1C, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 6A, 6B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 12A, 12B, 22, 26, 28 to 39.</p> <p>(c) Talukas of district of Surat;</p> <p>(i) Olpad (ii) Kamrej (iii) Old Choryasi Taluka (excluding Sachin and Sachin Industrial area and corresponding to old municipal wards specified in this notification). (iv) Umarpada (v) Mangrol (vi) Mandvi (vii) Mahuva (viii) Bardoli (ix) Palsana</p>	<p>(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p>	<p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases whose principal source of income is from "Salary".</p>
			<p>(d) district of Tapi.</p>	<p>(e) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of Column (4);</p> <p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p>	<p>(d) All cases of companies mentioned in item (e) of column (5) whose names begin with the alphabet "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z";</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5);</p> <p>(f) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (f) and (g) of column (5);</p>

				(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	
			(e) Talukas of district of Surat; (i) Umarpada (ii) Mangrol (iii) Mandvi (iv) Mahuva (v) Bardoli (vi) Palsana	(i) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (e) of column (4).	(d) All cases of persons referred to in corresponding item (i) of column (5) whose principal source of income is "Salary".
11	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-3	Surat, Gujarat	In the state of Gujarat (a) District of Surat excluding Talukas of ; (i) Umarpada (ii) Mangrol (iii) Mandvi (iv) Mahuva (v) Bardoli (vi) Palsana (b) old Municipal wards of Surat Municipal Corporation; 1D, 7A, 7B, 7C, 7D, 11A, 11B, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 18A, 18B, 18C, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 20, 21, 23, 24. (c) Krishna Market and Reshamwala Market of Ring Road, Surat.	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding item (a) of column (5) whose principal source of income is "Salary"; (b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than cases whose principal source of income is "Salary".
12	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Valsad	Valsad, Gujarat	(a) In the state of Gujarat – Districts of Valsad, Navsari and Dang; (b) Union Territory of Dadra and Nagar Haveli (Silvassa); (c) District of Daman in the Union Territory of Daman and Diu;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
13	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-1	Vadodara, Gujarat	<p>In the state of Gujarat</p> <p>(a) District of Vadodara and Chhotaudepur</p> <p>(b) In the city of Vadodara localities with the names of:</p> <p>(i) Dairy Road</p> <p>(ii) Danteshwar</p> <p>(iii) GIDC Makarpura/ Makarpura</p> <p>(iv) Lal Baug</p> <p>(v) Manjalpur</p> <p>(vi) Tarsali</p> <p>(vii) Atladra</p> <p>(viii) Old Padra Road</p> <p>(ix) Gadapura, Diwalipura</p> <p>(x) Tandalja</p> <p>(xi) Vasna Road</p> <p>(xii) Kalali</p> <p>(xiii) Gotri Road</p> <p>(xiv) Mujmahuda</p> <p>(xv) Sewasi</p> <p>(xvi) T B Hospital</p> <p>(xvii) Chhani Jakat Naka, Chhani Road</p> <p>(xviii) Fatehgunj</p> <p>(xix) Gorwa/Refinery Road/ Panchvati</p> <p>(xx) Kadak Bazar</p> <p>(xxi) Navayard</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of Column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b), (c) and (d) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b), (c) and (d) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to</p>	<p>(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L";</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than cases whose principal source of income is "Salary".</p>

		<p>(xxii) Pratapgunj (xxiii) S T Depot (xxiv) Sayajigunj (xxv) Ellora Park (xxvi) Subhanpura (xxvii) Sama (xxviii) Sama Savli Road (xxix) Nizampura (xxx) Pensionpura</p> <p>(c) Talukas of the District of Vadodara : (i) Padra (ii) Sinor (iii) Dabhoi (iv) Savli (v) Vadodara (excluding Vadodara City)</p> <p>(d) Areas falling in the municipal limits of Vadodara City, on the western side of the Vadodara - Mumbai Main Railway line including the areas with the names of: (i) Vadodara Railway Station (ii) Alkapuri (iii) Arunodaya Society (iv) Kunj Society (v) Jetalpur Road (vi) Race Course Circle (vii) Akota (viii) Vasna (ix) R. C. Dutt Road</p>	in item (b) of column (6).	
		<p>(e) Talukas of the District of Anand: (i) Petlad (ii) Khambhat (iii) Borsad (iv) Tarapur (v) Sojitra (vi) Ankalav</p>	<p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(f) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (e)</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>

				<p>of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	
14	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-2	Vadodara, Gujarat	<p>In the State of Gujarat:</p> <p>(a) District of Vadodara and Chhotaudepur</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "M" or "N" or "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z";</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
			<p>(b) Talukas of the District of Kheda</p> <p>(c) District of Anand except the Talukas of Petlad, Borsad, Khambhat, Tarapur, Sojitra and Ankalav</p>	<p>(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(e) persons being</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5);</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>

				<p>companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(f) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	
15.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-3	Vadodara, Gujarat	<p>In the State of Gujarat:</p> <p>(a) In the areas of city of Vadodara</p> <p>(i) Ajwa Road, (ii) Ayurvedic College, (iii) Chokhandi, (iv) Dabhi Faliya, (v) Dabhoi Road, (vi) Gajrawadi, (vii) Haran Khana, (viii) Jahangirpura, (ix) Jawahar Society, (x) Mogalwada, (xi) Nani shak Market (xii) Panigate (xiii) Pratapnagar (xiv) Ranmukteshwar (xv) Sardar Estate (xvi) Vijay society (xvii) Wadi (xviii) Waghodia Road (xix) Yamuna Mill Road (xx) Amdavadi Pole, (xxi) GPO (xxii) Gandhi Nagargruh; (xxiii) Hajratpaga (xxiv) Kalamandir, (xxv) Karelibaug (xxvi) Kirti Tower, (xxvii) Kothi, (xxviii) Mangal Bazar (xxix) Nagarwada (xxx) Padmavti Centre (xxxi) Raopura (xxxii) Salatwada, (xxxiii) Sardar Bhavan, (xxxiv) Sursagar, (xxxv) Vinoba Bhave Road, (xxxvi) VIP Road</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a), (b) and (c) of column (4);</p>	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than cases whose principal source of income is "Salary".

		<p>(xxxvii) Bhutdi Zampa (xxxviii) Bagikhana (xxxix) Bajwada, (xl) Bakrawadi, (xli) Baranpura, (xlii) Chhipwad, (xliii) City Police, (xliv) Dandia Bazar, (xlv) Gendigate, (xlvi) Ghadiali Pole, (xlvii) Jayratna Building, (xlviii) Khanderao Market, (xlix) Kharwa Wad, (l) Laheripura, (li) M G Road, (lii) Madanzampa (liii) Mandvi, (liv) Mehta Pole (lv) Narsinhji Pole (lvi) Navapura (lvii) Nazarbaug, (lviii) Patthar Gate, (lix) PG Textile Mill (lx) Polo Ground, (lxi) R V Desai Road, (lxii) Rajmahal Road, (lxiii) Sant Kabir Road, (lxiv) Shiyapura, (lxv) Siddhnath Road (lxvi) Adania Pole, (lxvii) Bahadurpur (lxviii) Bapod (lxix) Nava Bazar (lxx) Fatehpura, (lxxi) Harni/Harni Village, (lxxii) Harni Road, (lxxiii) Hathikhana, (lxxiv) Kalupura, (lxxv) Lal Akhada, (lxxvi) Warasiya (lxxvii) Yakutpura (lxxviii) Areas of Vadodara District which are not falling in the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vodadara-1.</p> <p>(b) Talukas of Vadodara District (i) Waghodia (ii) Karjan</p> <p>(c) Talukas of</p>		
--	--	---	--	--

			<p>Chhotaudepur District</p> <p>(i) Chhotaudepur (ii) Pavijetpur (iii) Bodeli (iv) Sankheda (v) Kawant (vi) Naswadi</p>		
			<p>(d) Districts of Bharuch and Narmada</p>	<p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(f) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>(b) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c), (d) and (e) of column (5);</p> <p>(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
16	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-4	Vadodara, Gujarat	<p>In the State of Gujarat :</p> <p>(a) District of Vadodara and Chhotaudepur</p>	<p>(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding item (a) of column (5) whose principal source of income is "Salary".</p>
			<p>(b) Districts of Panchmahal, Dahod and Mahisagar</p>	<p>(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing</p>	<p>(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b), (c) and (d) of column (5);</p>

				<p>within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (d) of column (5).</p>
17	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-1	Rajkot, Gujarat	<p>In the State of Gujarat :</p> <p>(a) In the District of Rajkot- Municipal Ward numbers 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 and 14 of Rajkot City as per R.M.C. Notification of 2005;</p> <p>(b) Talukas of District of Rajkot; viz.:- (i) Kotada Sanghani (ii) Lodhika (iii) Rajkot (iv) Gondal (v) Jetpur (vi) Upleta</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				<p>business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
			<p>(c) Kutch District including Gandhidham and Anjar</p>	<p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of Column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
18	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-2	Rajkot, Gujarat	<p>In the State of Gujarat :</p> <p>(a) In the District of Rajkot- Municipal Ward numbers 2, 6, 7, 8, 10, 15, 16 and 17 of Rajkot City as per R.M.C. Notification of 2005;</p> <p>(b) Talukas of District of Rajkot viz. (i) Jasdan, (ii) Dhoraji, (iii) Jamkandorana &</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

			(iv) Padadhari. (c) Rajkot District	whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
19.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-3	Rajkot, Gujarat	In the State of Gujarat : (a) In the District of Rajkot- Municipal Wards of Rajkot City Number 8, 19, 20, 21, 22 and 23 as per R.M.C. Notification of. 2005;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				(6).	
			(b) District of Amreli, Morbi, Junagadh, Gir Somnath and District of Diu in the Union Territory of Daman and Diu.	<p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
20.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jamnagar	Jamnagar, Gujarat	<p>In the State of Gujarat:</p> <p>(a) District of Jamnagar.</p> <p>(b) District of Dev Bhumi Dwarka.</p> <p>(c) District of Porbandar.</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(c) persons being</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a), (b) and (c) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
21	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-1	Bangalore, Karnataka	In the State of Karnataka:- (a) Districts of Bangalore Urban and Bangalore Rural (b) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and Rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN codes: 1. 560001, 2. 560005, 3. 560008, 4. 560033, 5. 560038, 6. 560042, 7. 560043, 8. 560045, 9. 560046, 10. 560051, 11. 560052, 12. 560071, and 13. 560084	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore- 2; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore- 2; (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5), other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax, Bangalore-1 to 7 having principal source of income from

				(a) of column (4).	‘Salary’ (excluding pensioners) who are employees of the Central or State Government (including all judicial functionaries) or Public Sector undertakings or corporations or commissions of the Central or State Government;
22	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-2	Bangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Districts of Bangalore Urban & Bangalore Rural (b) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas: 1. 560003, 2. 560010, 3. 560020, 4. 560021, 5. 560053 6. 560055	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (e) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet “C” or “D” or “E” ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961; (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (a), (b) and (c) of column (5) whose principal source of income is from any activity associated with movies, all types of films, television media, dramatics, performing arts, entertainment industry (including

				(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	audio or video production, distribution, display, software support, infrastructural support or technical support to the industry), stage shows, operation of cable and radio network, ownership and/or operation of motion picture studios, cinema halls and theatres, and also including cases of artists connected with the aforesaid fields, including video, radio and disc jockeys; (e) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b), (e) and (f) of column (5) .
23	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-3	Bangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Districts of Bangalore Urban & Bangalore Rural (b) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas: 1. 560023, 2. 560039, 3. 560040, 4. 560044, 5. 560056, 6. 560059, 7. 560060 8. 560061, 9. 560062, 10. 560072, 11. 560074, 12. 560098, 13. 560104 (c) Areas falling in the territorial jurisdiction of Ramanagar District (excluding areas falling in the PIN Codes notified to AOs of Bangalore Urban and Rural Districts)	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "F" or "G" or "H" or "I" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner or Commissioner of Income-tax, Bangalore-2; (b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-2; (c) all cases of persons referred to in item (h) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioners or Commissioners of Income-tax, Bangalore-1 to 7, having principal source of income from 'Salary' and who are:

				<p>Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item (a) of column (4).</p>	<p>(i) employees of all banks (including Co-op. banks), subsidiaries of banks, insurance companies, Universities (including deemed universities), educational and research institutions (including autonomous bodies)</p> <p>(ii) pensioners of Central or State Government including Public Sector Undertakings.</p> <p>(iii) not specifically covered under the jurisdiction of any of the assessing officers in the charges of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-1, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-3, and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-5;</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (d), (f) and (g) of column (5) ;</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entries in items (a) and (d) above.</p>
24	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-4	Bangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Districts of Bangalore Urban and Bangalore Rural	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "J" or "K" or "L" or "M" other than the cases falling under

		<p>(b) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and Rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560007, 2. 560016, 3. 560017, 4. 560035, 5. 560036, 6. 560037, 7. 560048, 8. 560049, 9. 560066, 10. 560067, 11. 560075, 12. 560077, 13. 560087, 14. 560093, 15. 560100, 16. 560103, 17. 562114, 18. 562122. <p>(c) Areas falling in the territorial jurisdiction of Kolar District (excluding areas falling in the PIN Codes notified to AOs of Bangalore Urban and Rural Districts),</p> <p>(d) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and Rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560034, 2. 560068, 3. 560076, 4. 560078, 5. 560083, 6. 560095, 7. 560099, 8. 560102, 9. 560105, 10. 562107, 11. 562125. 	<p>principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (d) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (d) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (d) of column (6);</p> <p>(e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or</p>	<p>the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bangalore-2;</p> <p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bangalore-2;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) ;</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or secretary in the companies referred to in corresponding entries in items (a) and (c) above.</p>
--	--	--	--	---

				profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	
25	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-5	Bangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Districts of Bangalore Urban and Bangalore Rural (b) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and Rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas: 1. 560002, 2. 560004, 3. 560009, 4. 560018, 5. 560019, 6. 560026, 7. 560028, 8. 560050.	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet “N” or “O” or “P” or “Q” or “R” other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-2; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-2; (d) all cases of persons referred to in item (e) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax, Bangalore-1 to 7, having principal source of income from ‘Salary’ and who are employees of private companies.
26	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-6	Bangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Districts of Bangalore Urban and Bangalore Rural (b) City or urban	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet “S” other than the cases falling under the jurisdiction of

		<p>agglomeration areas of the Bangalore Urban and Rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 560006, 2. 560012, 3. 560013, 4. 560014, 5. 560015, 6. 560022, 7. 560031, 8. 560057, 9. 560058, 10. 560073, 11. 560079, 12. 560086, 13. 560088, 14. 560089, 15. 560090, 16. 560091, 17. 560096, 18. 561101, 19. 562111, 20. 562127, 21. 562131, 22. 562132, 23. 562162, 24. 560024, 25. 560032, 26. 560054, 27. 560063, 28. 560064, 29. 560065, 30. 560080, 31. 560092, 32. 560094, 33. 560097, 34. 560101, 35. 560106, 36. 560300, 37. 561203, 38. 561204, 39. 561205, 40. 562110, 41. 562129, 42. 562130, 43. 562135, 44. 562149, 45. 562157, 46. 562163. <p>(c) Areas falling in the territorial jurisdiction of Chikkaballapur District</p>	<p>principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the</p>	<p>Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bangalore-2;</p> <p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bangalore-2;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (d), (f) and (g) of column (5) ;</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entries in items (a) and (c) above;</p>
--	--	---	---	--

				territorial area mentioned in item (c) of column (4);	
27	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-7	Bangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Districts of Bangalore Urban and Bangalore Rural (b) City or urban agglomeration areas of the Bangalore Urban and Rural Districts falling within the territorial areas of the following PIN code areas: 1. 560011, 2. 560025, 3. 560027, 4. 560029, 5. 560030, 6. 560041, 7. 560047 8. 560069, 9. 560070, 10. 560081, 11. 560082, 12. 560085. (c) Areas falling in the territorial jurisdiction of Tumkur District	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (e) persons being individuals referred to in item (d) of column (6). (f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item	(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bangalore-2; (b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bangalore-2; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (d), (f) and (g) of column (5) ; (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entries in items (a) and (c) above;

				(c) of column (4); (g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	
28	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mysore.	Mysore, Karnataka	In the state of Karnataka- Areas falling in the territorial jurisdiction of Mysore, Chamaraj-nagar, Mandya, Hassan, Chikkamagalur, Kodagu Districts	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column 4; (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
29	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Davanagere.	Davanagere, Karnataka	In the state of Karnataka- Areas falling in the territorial jurisdiction of Davanagere, Shimoga, Haveri & Chitradurga Districts	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the

				<p>companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
30	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gulbarga.	Gulbarga, Karnataka	In the state of Karnataka- Areas falling in the territorial jurisdiction of Gulbarga, Bidar, Raichur, Yadgir, Bellary and Koppal Districts	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				in item (b) of column (6).	
31	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hubli.	Hubli, Karnataka	In the state of Karnataka- (a) Areas falling in the territorial jurisdiction of Dharwad and Gadag Districts, and (b) Areas falling in the territorial jurisdiction of Sirsi, Haliyal, Yellapur, Siddapura, and Mundgod Taluks of Uttara Kannada (Karwar) District	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
32	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mangalore.	Mangalore, Karnataka	In the state of Karnataka- Areas falling in the territorial jurisdiction of Dakshina Kannada, Udupi, and Uttara Kannada (excluding Sirsi, Haliyal, Yellapur, Siddapura, and Mundgod Taluks) Districts	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
33	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Panaji.	Panaji, Goa	State of Goa	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
34	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Belgaum	Belgaum, Karnataka	In the state of Karnataka- Areas falling in the territorial jurisdiction of Belgaum, Bijapur, and	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p>

			Bagalkot Districts	<p>profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column 4;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
35	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-1	Bhopal	In the State of Madhya Pradesh: (a) District of Bhopal	<p>(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of State Government, BHEL Bhopal or whose salary is drawn from Government of Madhya Pradesh including employees working in Governor's secretariat.</p> <p>(b) all cases of companies mentioned in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M"</p> <p>(c) all cases of individuals being managing director or</p>

					director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (b) of column (5).
			<p>(b) District of Bhopal -</p> <p>(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal- Ward numbers 22 to 33 and 42 to 52</p> <p>(ii) Kolar Municipality, Bhopal</p> <p>(c) District of Bhopal – Remaining part (i.e. other than area of Bhopal Municipal Corporation and Kolar Municipality) of Huzur Tehsil of district Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-1 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-2.</p>	<p>(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from “Salary”</p>
			<p>(d) Mandideep Industrial area of Raisen District:</p>	<p>(f) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column 4;</p> <p>(g) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f) of column (5)</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).</p>
			<p>(e) District of Hoshangabad, Harda and Betul.</p>	<p>(h) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(i) persons other than</p>	<p>(g) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (h), (i) and (j) of column (5)</p> <p>(h) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the</p>

				<p>companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(j) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column 4;</p> <p>(k) persons being individuals referred to in item (h) of column (6).</p>	<p>companies referred to in corresponding entry in item (j) of column (5).</p>
36	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-2	Bhopal, Madhya Pradesh	<p>In the State of Madhya Pradesh:</p> <p>(a) District of Bhopal</p>	<p>(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and who are-</p> <p>(i) employees or pensioners of Central Government, public sector undertaking including Bank and insurance companies;</p> <p>(ii) persons not falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-1</p> <p>(b) all cases of companies mentioned in corresponding entry in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet "N" or "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z"</p> <p>(c) all cases of individuals being</p>

					managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (b) of column (5).
			<p>(b) District of Bhopal-</p> <p>(i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal Ward numbers 1 to 21, 34 to 41 and 53 to 70</p> <p>(ii) Berasia Tehsil.</p> <p>(c) In the State of Madhya Pradesh : District of Sehore, Vidisha and Raisen</p>	<p>(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) column (4);</p> <p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) column (4);</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from "Salary"</p> <p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f) and (g) of column (5);</p>
			(d) District of Sehore, Vidisha and Raisen excluding Mandideep Industrial Area, Mandideep	<p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(i) persons being</p>	<p>(f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5)</p> <p>(g) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>

				individuals referred to in item (g) of column (6);	
37	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gwalior	Gwalior, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh- Districts of Gwalior, Bhind, Datia, Shivpuri, Morena, Guna, Ashok Nagar Sheopur, Chhatarpur, and Tikamgarh.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
38	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jabalpur-1	Jabalpur, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh: (a) Districts of Balaghat, Seoni, Chhindwara, Damoh, Mandla, Sagar and Narsinghpur,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a)	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
			(b) District of Jabalpur;	(e) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and who are employees or pensioners of Central Government, Central Government Public sector undertaking and other Government of India Undertakings.
			<p>(c) Municipal wards of Jabalpur Municipal Corporation Jabalpur,- Ward number 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56 and 57</p> <p>(i) Cherital</p> <p>(ii) Kotwali</p> <p>(iii) Hanumantal</p> <p>(iv) North Millonganj</p> <p>(v) South Millonganj</p> <p>(vi) Sarafa Bazar</p> <p>(vii) Uprenganj</p> <p>(viii) Niwarganj</p> <p>(ix) Gohalpur</p> <p>(x) Thakkar Gram</p> <p>(xi) Gokalpur</p> <p>(xii) Amdedkar</p> <p>(xiii) Ranjhi</p> <p>(xiv) East Belbagh</p> <p>(xv) West Belbagh</p> <p>(xvi) Bhantalaiya</p> <p>(xvii) North Motinala</p> <p>(xviii) South Motinala</p> <p>(xix) Vivekanand</p>	<p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5);</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>

			<p>(xx) Wright Town (xxi) Garha (xxii) Hawabagh (xxiii) Gorakhpur (xxiv) Golebazar (xxv) Adhartal (xxvi) Shastri Nagar</p> <p>(d) In the District of Jabalpur- Tehsils of Jabalpur Kundam, Majholi, Patan, Shahpura, Sihora and Panagarh.</p>	<p>registered office or principal place of business in the area mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
39	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jabalpur-2	Jabalpur, Madhya Pradesh	<p>In the State of Madhya Pradesh:</p> <p>(a) Districts of Panna, Satna, Rewa, Sidhi, Shahdol, Katni, Umariya, Singroli, Anuppur and Dindori;</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
			(b) District of Jabalpur	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) not covered in the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of

				<p>(b) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	<p>Income-tax, Jabalpur-1</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
			<p>(c) In the District of Jabalpur- Municipal wards of Jabalpur Municipal Corporation, Jabalpur,- Ward number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70 (i) Rani Durgawati (ii) Dr. Ram Manohar Lohia (iii) Garhaphatak (iv) Kamla Nehru Nagar (v) Napier Town (vi) Tripuri Ward (vii) Lalmati (viii) Sidhbaba (ix) Ghamapur (x) Karipathar (xi) Nehru Ward (xii) Dr. Shyama Pd. Mukherji (xiii) Kanchghar (xiv) Dwarka Nagar (xv) Shitla Mai (xvi) shankershah Nagar (xvii) Gupteshwar (xviii) Madan Mahal (xix) Narsingh Ward</p>	<p>(i) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(j) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(k) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (i), (j) and (k) of column (5);</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (k) of column (5).</p>

			(xx) Marhatal (xxi) Tilak Ward (xxii) Bhartipur (xxiii) Omti (xxiv) GCF (xxv) Khamaria (xxvi) Khandari (xxvii) Areas under the control of CEO, Cantonment Board (xxviii) Civil Lines (xxix) Gwarighat	(l) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).	
40	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Raipur-1	Raipur, Chattisgarh	In the State of Chattisgarh : (a) Disrticts of 1. Sukma 2. Bijapur 3. Dantewara 4. Baster 5. Narayanpur 6. Kondagaon 7. Kanker 8. Dhamtari 9. Gariyaband 10. Mahasamund 11. Balodabazar. (b) Raipur district (Except the territorial jurisdiction of Municipal Corporation Raipur assigned to Principal Commissioner / Commissioner of Income-tax, Raipur-2)	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (c) of column (6). (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from 'Salary' and who are employees or pensioners of the Central Government or of Public Sector Unit wholly or partly owned by the Central Government and State Government or Public Sector Unit wholly or partly owned by the State Government; (b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
41	Principal Commissioner/	Raipur, Chattisgarh	In the State of Chattisgarh :	(a) Persons other than companies deriving	(a) All cases of persons referred to in

	Commissioner of Income-tax, Raipur-2		<p>(a) Districts of</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durg 2. Balod 3. Bemetara 4. Kawardha 5. Rajnandgaon <p>(b) Raipur (Areas falling under the jurisdiction of Municipal Corporation of Raipur on the right hand side of NH-6 (G.E. Road) starting from entry to Raipur Municipal Corporation area (from Kumhari Side) from Kharun River Bridge passing through Tatibandh Chowk, Jaistambh Chowk, Sashtri Chowk, up to Ambedkar Chowk (opposite Collectorate) Right hand side of road to Akashwani Chowk passing through Raj Bhawan, LIC office, Income tax Office upto Kali Mandir. Right hand side of road from Akashwani Chowk (Near Kali Mandir) to Mahila Police Thana upto Kalibadi. Right hand side of road from kalibadi chowk to the end point of Municipal Corporation of Raipur toward Abhanpur Road passing thorough Sidharth Chowk, Pachedi Naka, MMI Lalpur.</p>	<p>income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p> <p>(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from 'Salary' and who are-</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) employees or pensioners of the Bank, Insurance Companies and private salary; (ii) persons not falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Raipur-1 <p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
42	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bilaspur	Bilaspur, Chattisgarh	<p>In the State of Chattisgarh:</p> <p>District of -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilaspur 2. Korba 3. Raigarh 4. Sarguja 5. Koriya 6. Janigir-Champa 7. Jashpur 8. Surajpur 9. Balrampur 10. Mugeli 	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				<p>profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column 4;</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
43	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Indore-1	Indore, Madhya Pradesh	<p>In the state of Madhya Pradesh:</p> <p>(a) District of Dhar</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
			(b) District of Indore	(e) persons other than companies deriving	(c) All cases of persons referred to in

		<p>(c) Municipal wards of Indore as per Gazette notification No. 820 of Madhya Pradesh Government dated 04/07/2014.</p> <p>(i)19-Vishwakarma, (ii)20-Gouri Nagar, (iii)21-Shyam Nagar, (iv)22-Pt. Deen Dayal Upadhaya, (v)23-Lt. Rajesh Joshi, (vi)24-Sant Baliji Nath Maharaj, (vii)25-Nanda Nagar, (viii) 26-Jeen Mata, (ix)27-Pashupatinath, (x)28-Maa Tulja Bhawani, (xi)29-Dr. Shyama Prasad Mukharji, (xii)30-Sant Ravidas, (xiii)31-Maharaja Chatrasal, (xiv)32-Atal Bihari Bajpai, (xv)33-Sukhaliya, (xvi)34-Shaheed Bhagat Singh, (xvii) 35-Lasudiya Mori, (xviii)36-Nipaniya, (xix)41-Kailashpuri, (xx)42-Swami Vivekanand, (xxi)43-Shree Nagar (xxii)44-HIG, (xxiii) 45-Dr. Bhimrao Ambedkar, (xxiv)46-Somnath, (xxv)48-Geeta Bhawan, (xxvi)49-Tilak Nagar, (xxvii)50-Brajeshwari, (xxviii)Part of 55- South Tukoganj (part of the ward having area on the right hand side of road from Shivaji Vatika square to Regal square via Madhumilan square and Dawa Bazar), (xxix)58-Imli Bazar, (xxx) 59-Harsiddhi, (xxxi)66-Shaheed Hemu Kalani, (xxxii)67-Maharaja Holkar, (xxxiii)68-Bambai Bazar, (xxxiv)69-Jawahar Marg, (xxxv)71-Dravid Nagar, (xxxvi)72-Lokmanya Nagar,</p>	<p>income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c), (d), (e) and (f) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c), (d), (e) and (f) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	<p>corresponding entries in items (e) and (f) of column (5)</p> <p>(d) all cases of companies mentioned in item (g) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "O"</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
--	--	---	--	--

			(xxxvii)77-Bilawali, (xxxviii)78-Choithram, (xxxix)79-Sukhnavas, (xL)80-Dr.Rajendra Prasad, (xLi)81-Annapurna, (xLii)82-Sudama Nagar, (xLiii)83-Gumashta Nagar, (xLiv)84-Dwarkapuri, (xLv)85-Prajapat Nagar, Following Tehsils of Indore District: (d)Tehsil of Sanwer (e) Tehsil of Hatod (f) Tehsil of Indore other than municipal wards.		
44	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Indore-2	Indore, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh: (a) District of Indore (b) District of Khandawa, District of Khargone, District of Burhanpur, District of Barwani; (c) Municipal wards of Indore as per Gazette notification No. 820 of Madhya Pradesh Government dated 04/07/2014- (i)1-Sirpur, (ii)2-Chandan Nagar, (iii)3-Kalani Nagar, (iv)4-Sukhdev Nagar, (v)5-Rajnagar, (vi)6-Malharganj, (vii)7-Janta Colony, (viii)8-Junarisala, (ix)9-Vrindavan, (x)10-Banganga, (xi) 11-Bhagirathpura, (xii)12-Govind Colony, (xiii)13-Sangam Nagar, (xiv)14-Ashok Nagar, (xv)15-Bijasan, (xvi)16-Nandbagh, (xvii)17-Kushwaha Nagar, (xviii)18-Sant Kabir, (xix)37-Saikrupa, (xx)38-Haji Colony, (xxi)39-Naharshah Wali, (xxii)40-Khajrana Ganesh, (xxiii)47-Sardar Vallabh	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b), (c), (d) and (e) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b), (c), (d) and (e) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (d) of column (5) (b) all cases of companies mentioned in item (c) of column (5) whose names begin with the alphabet "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in items (a) and (b) above.

			<p>Bhai, (xxiv)51-Bhagwati Nagar, (xxv)52-Musha Khedi, (xxvi)53-Dr. Molana Aazad Nagar, (xxvii)54-Residency, (xxviii)56-Snehalata Ganj, (xxix)57-Devi Ahillyabai, (xxx)60-Ranipura, (xxxi)61-Tatya Sarvate, (xxxii)62-Rawaji Bazar, (xxxiii)63-Navalakha, (xxxiv)64-Chitawad, (xxxv)65-Sant Kawar Ram, (xxxvi)70-Loknaya Nagar, (xxxvii)73-Laxman Singh Chouhan, (xxxviii)74-Vishnupuri, (xxxix)75-Palda, (xL)76-Mundla Nayta, (xLi) Part of 55- South Tukoganj (part of the ward having area on the left hand side of road from Shivaji Vatika square to Regal square via Madhumilan square excluding Dawa Bazar)</p> <p>Following Tehsils of Indore District: (d)Tehsil of Depalpur, (e) Tehsil of Mhow</p>	<p>business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	
45	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ujjain	Ujjain, Madhya Pradesh	<p>In the State of Madhya Pradesh:</p> <p>(i) District of Ujjain (ii) District of Dewas (iii) District of Ratlam (iv) District of Shajapur (v) District of Mandsaur (vi) District of Neemuch (vii) District of Agar Malwa (viii) District of Rajgarh (ix) District of Jhabua (x) District of Alirajpur</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column 4; (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
46	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar-1	Bhubaneswar ,Odisha	<p>(a) In the State of Odisha; Districts of:- Angul, Boudh, Dhenkanal, Gajapati, Ganjam, Koraput, Malkangiri, Nawarangpur, Nayagarh, Phulbani, Puri, Rayagada and Khurda</p> <p>(b) In the State of Odisha; Districts of:- Boudh, Gajapati, Ganjam, Koraput, Malkangiri, Nawarangpur, Nayagarh, Phulbani,, Rayagada and Khurda excluding the area under Bhubaneswar Municipal Corporation</p> <p>(c) The following areas under Bhubaneswar Municipal Corporation:</p> <p>(i) areas covered under postal PIN Code Number 751002 including Old Town, Kapilprasad, Sundarpada, Nuagaon, Lingipur, Sisupal, Samantrapur, bindusagar, Kedargouri and Nageswartangi.</p> <p>(ii) areas covered under postal PIN Code 751020 including Aerodrome Area, Pokhariput, Palaspalli, Bhimatangi, Bhimpur, Jadupur and Begunia.</p> <p>(iii) areas covered under postal PIN Code 751006 including Budheswari Colony,</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p> <p>(e) persons being</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those cases whose principal source of income is from "Salary"</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".</p>

			<p>Kalpana Square, Jharpada and Laxmisagar.</p> <p>(iv) areas covered under postal PIN Code 751018 including Bargarh BRIT Colony.</p> <p>(v) areas covered under postal PIN Code 751014 including BJB Nagar, Goutam Nagar, Bhubaneswar Court, Lewis Road, Housing Colony near Panthaniwas.</p> <p>(vi) areas covered under postal PIN Code 751003 including Siripur, Surya Nagar, Agriculture University and Unit-VII.</p> <p>(vii) areas covered under postal PIN Code 751031 including Baramunda, Khandagiri.</p> <p>(viii) areas covered under postal PIN Code 751019 including Dumduma and Jagamara</p> <p>(ix) Any other residual area within the Bhubaneswar Municipal Corporation territorial limits other than above and other than the areas assigned to Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar-2</p>	<p>individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item (b) of column (4).</p>	
47	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar-2	Bhubaneswar, Odisha	<p>In the State of Odisha;</p> <p>(a) Districts of Anugul, Dhenkanal, Puri and the following areas of Bhubaneswar Municipal Corporation :</p> <p>(i) areas covered under postal PIN Code 751008 including Raj Bhawan and adjoining areas.</p> <p>(ii) areas covered under postal PIN Code 751009 including Ashok Nagar, Forest Park, Bapuji Nagar</p>	<p>(a) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those whose principal source of income is from "Salary"</p> <p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from</p>

		<p>and Unit-1.</p> <p>(iii) areas covered under postal PIN Code 751022 including Bhoi Nagar.</p> <p>(iv) areas covered under postal PIN Code 751004 including Vani Vihar and VSS Nagar.</p> <p>(v) areas covered under postal PIN Code 751007 including Saheed Nagar and Satya Nagar.</p> <p>(vi) areas covered under postal PIN Code 751001 including GPO, Unit-III, Unit-V, Unit-VI, Master Canteen and Sashtri Nagar.</p> <p>(vi) areas covered under postal PIN Code 751010 including Rasulgarh, Gadagopinth Prasad, Kalarpur, Pandra, Bomikhal and Mancheswar Industrial Estate.</p> <p>(vii) areas covered under postal PIN Code 751016 including Chandrasekharpur.</p> <p>(viii) areas covered under postal PIN Code 751021 including Sailashree Vihar.</p> <p>(ix) areas covered under postal PIN Code 751012 including Nayapalli.</p> <p>(x) areas covered under postal PIN Code 751015 including IRC Village.</p> <p>(xi) areas covered under postal PIN Code 751011 including CRP Square.</p> <p>(xii) areas covered under postal PIN Code 751017 including Mancheswar Railway Colony.</p> <p>(xiii) areas covered under postal PIN Code 751023 including East Cost Railway Colony.</p> <p>(xiv) areas covered under postal PIN Code 751005 including Sainik School and Government Press.</p> <p>(xv) areas covered under postal PIN Code 751013 including IMMT and Institute of Physics.</p>	<p>deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in item (b) of column (4).</p>	“Salary”.
--	--	--	--	-----------

			<p>(xvi) areas covered under postal PIN Code 751024 including KIIT.</p> <p>(xvii) areas covered under postal PIN Code 751030 including Patia and Kanan Vihar.</p> <p>(b) Districts of Anugul, Dhenkanal, Puri and the area under Bhubaneswar Municipal Corporation.</p>		
48	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Cuttack	Cuttack, Odisha	<p>In the State of Odisha;</p> <p>Districts of Balasore, Bhadrak, Cuttack, Jagatsinghpur, Jajpur, Kendrapara, Keonjhar, Mayurbhanj,</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4).</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
49	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Sambalpur	Sambalpur, Odisha	<p>In the State of Odisha;</p> <p>Districts of Bargarh, Bolangir, Deogarh, Jharsuguda, Kalahandi,</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p>

			Nuapara, Sambalpur, Sonepur, Sundargarh	<p>profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4).</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	(b) all cases of individuals being managing director or secretary or manager or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
50	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chandigarh-1	Chandigarh	Areas within the territorial limits of Sec.1 to 25 of the Union Territory of Chandigarh, Industrial. Area, Phase-1 and 2 Chandigarh, Manimajra, all areas falling under District of Ropar and all areas falling in the Tehsil Derabassi in Distt. SAS Nagar Mohali including Kanungo Circles of Dera Bassi, Samgoli, Lalru, Banur and Jansala.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				(4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
51	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chandigarh-2	Chandigarh	Areas within the territorial limits of Sector 26 to Sector 61, villages of Union Territory, Chandigarh and areas falling within the district of SAS Nagar(Mohali) Punjab except all areas falling in the Tehsil of Dera Bassi in Distt. SAS Nagar (Mohali) including Kanungo Circles of Dera Bassi, Samgoli, Lalru, Banur and Jansala	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
52	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Panchkula	Panchkula, Haryana	In the State of Haryana- Districts of Panchkula, Ambala and Yamuna Nagar.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
53	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Karnal	Karnal, Haryana	In the State of Haryana- Districts of Karnal, Kaithal, Panipat and Kurukshetra.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
54	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Faridabad	Faridabad, Haryana	In the State of Haryana- Districts of Faridabad and Palwal	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
55	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gurgaon	Gurgaon, Haryana	In the State of Haryana- Districts of Gurgaon and Mewat	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
56	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rohtak	Rohtak, Haryana	In the State of Haryana- Districts of Rohtak, Sonapat, Rewari, Jhajjar, and Mohindergarh.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in

				income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	corresponding entry in item (c) of column (5).
57	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hisar	Hisar, Haryana	In the State of Haryana- Districts of Hisar, Sirsa, Fatehabad, Jind and Bhiwani.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
58	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ludhiana-1	Ludhiana, Punjab	In the state of Punjab- a) In the District of Ludhiana:- (i) Areas falling on the left of the	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)

			<p>Railway line running from Amritsar to Ambala within the Municipal limits of Ludhiana excluding Indl. Area 'A' of Ludhiana.</p> <p>(ii) All other areas of the district of Ludhiana except those falling within the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax Ludhiana-2 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax Ludhiana-3.</p>	<p>profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
59	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ludhiana-2	Ludhiana, Punjab	<p>In the state of Punjab-</p> <p>(a) In the District of Ludhiana:-</p> <p>(i) Areas within the Municipal limits of Ludhiana, falling between the right side of Amritsar – Ambala Railway line and left side of Dhuri Railway line towards Malerkotla starting from Jagraon Bridge.</p> <p>(ii) Areas within the Municipal limits of Ludhiana falling between Amritsar Dhuri Railway Line and left side of Ferozepur Road starting from Jagraon Bridge upto Bharat Nagar Chowk and left side of link Road</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

			<p>starting from Bharat Nagar chowk towards Bus stand upto Dugri Road, left side of Dugri Road towards Dugri upto 200 Ft Road, left side of 200 Ft road upto Dhandra Road and left side of Dhandra Road.</p> <p>(iii) Tehsils of Khanna, Payal and Samrala and Municipal Council of Sahnewal.</p> <p>(b) In the District of Sangrur – Tehsils of Dhuri and Malerkotla.</p>	<p>individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
60	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ludhiana-3	Ludhiana, Punjab	<p>In the State of Punjab-</p> <p>(a) In the district of Ludhiana-</p> <p>(i) Area within the Municipal limits of Ludhiana falling between the left side of Ambala – Amritsar Railway line starting from Jagraon Bridge towards Amritsar and right side of Ferozpur Road starting from Jagraon Bridge upto Bharat Nagar Chowk , right side of Link Road starting from Bharat Nagar Chowk upto Dugri Road, right side of Dugri Road towards Dugri upto 200 Ft Road, right side of 200 Ft road upto Dhandra Road and right side of Dhandra Road.</p> <p>(ii) Industrial Area ‘A’ of Ludhiana</p> <p>(iii) Raikot and Jagron Tehsils of</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

			District Ludhiana		
			(b) District of Moga		
61	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jalandhar-1	Jalandhar, Punjab	<p>In the state of Punjab-</p> <p>(a) Areas within the Municipal Corporation of Jalandhar bounded by</p> <p>(i) On the North of Delhi Jalandhar-Kapurthala Railway Line starting from the Tanda Road Phatak (Railway crossing) to Bidhipur Phatak</p> <p>(ii) Bounded by Nakodar Road and G T Road from Balmiki Chowk passing through Patel Chowk ending at Jalandhar-Kapurthala Railway line on North-West.</p> <p>(iii) Bounded by Tanda Road starting from Tanda Road Phatak to Municipal Limits ending on Tanda Road and on the North of Jalandhar Delhi Railway line starting from Tanda Road Phatak to Municipal limits ending on East of Jalandhar-Delhi Railway Line.</p> <p>(iv) Both sides of the G.T. Road from Balmiki Chowk passing through Patel Chowk to</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

			<p>Jalandhar-Kapurthala Railway line and across this line to Jalandhar-Delhi Railway Line (Bidhipur Phatak) and including new Sabzi Mandi and Old Sabzi Mandi.</p> <p>(v) Both sides of Nakodar Road, (East and West) starting from Balmiki Chowk to Municipal Limits of Jalandhar and both sides of Basti Road starting from Basti Adda Chowk to F.C. Sondhi Chowk on Bhagwan Mahavir Marg and on Bhagwan Mahavir Marg starting from F C Sondhi Chowk to Dr. BR Ambedkar Chowk having their business premises on both sides of the Road and the area bounded by Basti Road in West, Nakodar Road in East, Bhagwan Mahavir Marg in south and G.T. Road in North.</p> <p>(b) District of Hoshiarpur and Nawanshahar.</p>		
62	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jalandhar-2	Jalandhar, Punjab	<p>In the State of Punjab-</p> <p>(a) In the district of Jalandhar-</p> <p>(i) Areas within the Cantonment</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being</p>

			<p>Board of Jalandhar and the Municipal Corporation of Jalandhar except the areas assigned to Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jalandhar-1.</p> <p>(ii) Tehsil of Jalandhar falling outside the limits of Municipal Corporation of Jalandhar and Cantonment Board of Jalandhar.</p> <p>(iii) Teshils of Phillaur, Nakodar and Shakkot.</p> <p>(iv) District Kapurthala.</p>	<p>area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
63	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Patiala	Patiala, Punjab	In the State of Punjab- Districts of Patiala, Fatehgarh Sahib, Barnala and Sangrur (excluding Malerkotla and Dhuri Tehsils).	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
64	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Amritsar-1	Amritsar, Punjab	In the State of Punjab- (a) In the district of Amritsar- (i) Areas falling on the left side of GT Road within the Municipal limits of Amritsar while approaching from Jalandhar. (b) District – Tarn Taran (c) In the district of Gurdaspur – (i) Tehsil of Batala	(a) Persons other than companies deriving income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
65	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Amritsar-2	Amritsar, Punjab	In the State of Punjab- (a) In the district of Amritsar- (i) Areas falling on the right side of the GT Road within the Municipal Limits of Amritsar while approaching from Jalandhar. (ii) Tehsils not assigned to Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Amritsar-1. (b) District of Gurdaspur except Tehsil of Batala. (c) District of Pathankot	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
66	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bathinda	Bathinda, Punjab	In the State of Punjab- Districts of Bathinda, Muktsar, Faridkot, Ferozepur, Mansa and Fazilka.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
67	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jammu	Jammu, Jammu and Kashmir	All districts of State of Jammu and Kashmir.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
68	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Shimla	Shimla, Himachal Pradesh	All districts of State of Himachal Pradesh.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
69	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-1	Chennai, Tamil Nadu	<p>In the State of Tamil Nadu-</p> <p>(a) Districts of Chennai, Kancheepuram and Tiruvallur;</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" other than the cases falling under</p>

				area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-10; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes : 600004 - Mylapore HO; 600017 - T. Nagar; 600028 - R A Puram; 600035 - Nandanam; and 600085 - Kotturpuram.	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary".
70	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-2	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Chennai Kancheepuram and Tiruvallur;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-10; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes : 600037 - Mogappair 600040 - Anna Nagar; 600050 - Padi; 600053 - Ambattur HO; 600054 - Avadi Camp HO;	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary". (d) all cases of persons

			600055 - Avadi IAF; 600058 - Ambattur Industrial Estate; 600062 - Tirumullaivoyal 600065 - CRP Camp Avadi 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600076 - Korattur RS; 600080 - Korattur ; 600098 - SIDCO Estate; 600101 - Anna Nagar West Extn; 600102 - Anna Nagar East; 600109 - Avadi RCS Complex; (c) Areas covered in the districts of Kancheepuram and Tiruvallur excluding those areas assigned to Principal Commissioners/Commissioners of Income-tax, Chennai – 3 to 10;	column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c) of column (4);	referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
71	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-3	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Chennai Kancheepuram and Tiruvallur;	a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Chennai-10; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes : 600010 - Kilpauk 600011 - Perambur 600012 - Perambur barracks 600023 - Ayanavaram 600029 - Aaminjikai 600030 - Shenoy Nagar 600038 - ICF Colony 600049 - Villivakkam;	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary".

			600052 - Redhills 600066 - Puzhal 600067 - Sholavaram 600082 - Jawahar Nagar 600084 - Flowers Road 600099 - Kolathur 600110 - Ponnammanmedu	or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	
			(c) Areas covered under the Chennai Municipal Corporation and the following PIN Codes situated outside the Chennai Municipal Corporation; 600052 - Red Hills; 600054 - Avadi Camp HO; 600055 - Avadi IAF; 600056 - Poonamallee 600062 - Tirumallaiyoyal 600065 - CRP Camp Avadi; 600067 - Sholavaram; 600069 - Kunrathur; 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600077 - Tiruverkadu; 600103 - Manali New Town; 600109 - Avadi RCS Complex; 600120 - North Chennai Thermal power station	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) being Employees or Pensioners of Government of India/ State Governments, Railways, Integral Coach Factory, local bodies, having principal source of income is from "Salary" whose names begin with the alphabet "N" or "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z".
72	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-4	Chennai Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Chennai, Kanchipuram and Tiruvallur;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "K" or "L" or "M" or "N" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-10; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes 600056 - Poonamallee;	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of

			600069 - Kunrathur ; 600077 - Tiruverkadu; 600087 - Alwarthirunagar; 600089 - Nandambakkam; 600092 - Virugambakkam; 600093 - Saligramam ; 600095 - Maduravoyal; 600106 - Arumbakkam ; 600107 - Koyambedu 600116 – Porur	from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary".
			(c) Areas covered under the Chennai Municipal Corporation and the following PIN codes situated outside the Chennai Municipal Corporation; 600052 - Red Hills; 600054 - Avadi Camp HO; 600055 - Avadi IAF; 600056 - Poonamallee; 600062 - Tirumullaivoyal 600065 - CRP Camp Avadi; 600067 - Sholavaram; 600069 - Kunrathur; 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600077 - Tiruverkadu; 600109 - Avadi RCS Complex; 600103 - Manali New Town; 600120 - North Chennai Thermal power station	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) being Employees or Pensioners of Public Sector Undertakings, Banks, BSNL, having principal source of income is from "Salary".
73	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-5	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Chennai, Kanchipuram and Tiruvallur;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "O" or "P" or "Q" or "R" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-10; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the

					companies referred to in corresponding entry in item (a) above;
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes : 600006 - Greams Road; 600018 - Teynampet; 600031 - Chetpet; 600034 - Nungambakkam; 600086 - Gopalapuram	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";
			(c) Areas covered under the Chennai Municipal Corporation and the following PIN Codes situated outside the Chennai Municipal Corporation 600052 - Red Hills; 600054 - Avadi Camp HO; 600055 - Avadi IAF; 600056 - Poonamallee; 600062 - Tirumullaivoyal 600065 - CRP Camp Avadi; 600067 - Sholavaram; 600069 - Kunrathur; 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600077 - Tiruverkadu; 600109 - Avadi RCS Complex; 600103 - Manali New Town; 600120 - North Chennai Thermal Power station	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) employed in Private Sector whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" and whose principal source of income is from "Salary".
74	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-6	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Chennai, Kanchipuram and Tiruvallur;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "S" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Chennai-10;

				individuals referred to in item (b) of column (6);	(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes 600020 - Adyar 600041 - Tiruvanmiyur 600090 - Beasant Nagar 600096 - Perungudi 600097- Oggiamthoraiakkam 600115 - Injambakkam 600119 – Sholinganallur	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";
			(c) Areas covered under the Chennai Municipal Corporation; and the following PIN Codes situated outside the Chennai Municipal Corporation ; 600052 - Red Hills; 600054 - Avadi Camp HO; 600055 - Avadi IAF; 600056 - Poonamallee; 600062 - Tirumullaivoyal 600065 - CRP Camp Avadi; 600067 - Sholavaram; 600069 - Kunrathur; 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600077 - Tiruverkadu; 600109 - Avadi RCS Complex; 600103 - Manali New Town; 600120 - North Chennai Thermal power station	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) employed in Private Sector whose names begin with the alphabet "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" and whose principal source of income is from "Salary".
75	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai -7	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu (a) Areas within the city of Chennai bearing the following PIN Codes 600043 - Pallavaram ; 600044 - Chromepet; 600045 - Tambaram	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item	(a) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from

			West; 600046 - Tambaram IAF; 600047 - Tambaram Sanatorium; 600048 - Vandalur; 600059 - Tambaram East; 600063 - Old Perungulathur 600064 - Chitlapakkam ; 600070 - Anakaputhur; 600073 - Selaiyur ; 600074 - Pozhichalur ; 600075 - Pammal; 600100 - Medavakkam; 600117 - Old Pallavaram; 600122 - Mangadu 600126 - Madambakkam and 600129 -Kovilambakkam 600130 – Thalambur and areas of the following taluks - Chengalpet, Madurantakam, Cheyyur, Tirukalukundram and Tambaram.	(a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	“Salary”; (b) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from “Salary”;
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes : 600002 - Mount Road; 600005 - Triplicane ; 600007 - Veperiy ; 600008 - Egmore ; 600112 -Choolai	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from “Salary”;
76	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-8	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Vellore and Tiruvannamalai; (b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes 600001 - Chennai GPO; 600009 - Fort St. George; 600014 - Royapettah; 600104 - Chennai High Court;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons being	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b), (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from “Salary”. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5);

				<p>individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4).</p>	<p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";</p>
77	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-9	Chennai, Tamil Nadu	<p>In the State of Tamil Nadu –</p> <p>(a) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes: 600003 - Park Town; 600013 - Royapupram; 600019 - Thiruvottriyur; 600021 - Washermenpet; 600039 - Vyasarpadi; 600051 - Madhavaram Milk Colony; 600057 - Ennore Thermal Station; 600060 - Madhavaram ; 600068 - Manali; 600079 – Sowcarpet 600081 - Tondiarpet; 600103 - Manali New Town; 600118 - Kodungaiyur ; 600120 - North Chennai Thermal Power Station</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p>	<p>(a) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";</p>
			<p>(b) Areas covered under the Chennai Municipal Corporation; and the following PIN Codes situated outside the Chennai Municipal Corporation ; 600052 - Red Hills; 600054 - Avadi Camp HO;</p>	<p>(c) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).</p>	<p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) employed in Private Sector whose names begin with the alphabet "L" or "M" or "N" or "O" or "P" or "Q" or "R" and whose principal</p>

			600055 - Avadi IAF; 600056 - Poonamallee; 600062 - Tirumullaivoyal 600065 - CRP Camp Avadi; 600067 - Sholavaram; 600069 - Kunrathur; 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600077 - Tiruverkadu; 600109 - Avadi RCS Complex; 600103 - Manali New Town; 600120 - North Chennai Thermal Power station		source of income is from "Salary".
78	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-10	Chennai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Areas covered under the Chennai Municipal Corporation; and the following PIN Codes situated outside the Chennai Municipal Corporation ; 600052 - Red Hills; 600054 - Avadi Camp HO; 600055 - Avadi IAF; 600056 - Poonamallee; 600062 - Tirumullaivoyal 600065 - CRP Camp Avadi; 600067 - Sholavaram; 600069 - Kunrathur; 600071 - Kamaraj Nagar; 600072 - Pattabiram; 600077 - Tiruverkadu; 600109 - Avadi RCS Complex; 600103 - Manali New Town; 600120 - North Chennai Thermal power station	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons referred to item (a) of column (6) being, other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (a) and (b) of column (5) whose principal source of income is from any activity associated with movies, all types of films, television media, dramatics, performing arts, entertainment industry (including audio or video production, distribution, display, software support, infrastructural support or technical support to the industry), stage shows, operation of cable and radio network, ownership and/or operation of motion picture studios, cinema halls and theatres, and also including cases of artists connected with the aforesaid fields, including video, radio and disc jockeys; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5); (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) of column (5) other than cases of

					persons whose principal source of income is from "Salary" (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) of column (5) being Employees or Pensioners of Government of India or State Governments, Railways, Integral Coach Factory, local bodies, having principal source of income is from "salary" whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M";
			(b) Areas within the city of Chennai, bearing the following PIN Codes 600015 – Saidapet 600016 – St. Thomas Mount 600022 – Raj Bhavan 600024 - Kodambakkam ; 600025 – Guindy Engineering College 600026 - Vadapalani; 600027 - Meenambakkam 600032 - Guindy 600033 – West Mambalam 600036 -- IIT 600042 - Velachery 600061 - Nanganallur 600078 - K K Nagar; 600083 - Ashok Nagar; 600088 - Adambakkam 600091 – Madipakkam 600094 - Choolaimedu 600113 - Taramani 600114 – Pazhavanthangal 600125 – Mugalivakkam	(e) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(e) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e) and (f) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";
79	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Puducherry	Puducherry	In the State of Tamil Nadu- (a) Districts of Cuddalore and Villupuram. (b) District of Pondicherry in the Union territory of Puducherry.	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;

				<p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) and (b) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4).</p>	<p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".</p>
80	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Coimbatore-1	Coimbatore, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu:- (a) District of Coimbatore	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p>
			<p>(b) Areas of the District of Coimbatore excluding –</p> <p>(i) the following taluks:- Annur, Mettupalayam, Pollachi, Valparai, Kinathukadavu, Madukkarai, Perur Suler and excluding</p>	<p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and</p>	<p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";</p>

			(ii) the areas of Coimbatore District bearing the following PIN Codes :- 641017, 641019, 641020, 641022, 641029, 641031, 641034 and 641047	whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	
81	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Coimbatore-2	Coimbatore, Tamil Nadu	In the state of Tamil Nadu- (a) Districts of Erode and Nilgiris (b) In the State of Tamil Nadu:- Areas within the District of Coimbatore, the taluks of Annur, Mettupalayam, Pollachi, Valparai, Kinathukadavu, Madukkarai, Sulur and Perur and also the Areas of Coimbatore District bearing the following PIN Codes:- 641017, 641019, 641020, 641022, 641029, 641031, 641034 and 641047. (c) Areas within the taluks of Pollachi, Kinathukkadavu and Valparai of Coimbatore District.	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (c) of column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary"; (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
82	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Coimbatore-3	Coimbatore, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) District of Tirupur (b) Areas within the district of Coimbatore excluding the taluks of Pollachi, Kinathukkadavu and Valparai	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in

				<p>(a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4).</p>	<p>corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary"; (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".</p>
83	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Madurai-1	Madurai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) Districts of Madurai, Virudhunagar Dindigul, Theni, and Tuticorin	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p>
			(b) district of Madurai	<p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and</p>	<p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" other than cases of persons whose principal source of</p>

				whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	income is from "Salary";
			(c) Districts of, Dindigul, Theni, and Tuticorin	(e) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e) and (f) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary";
			(d) Districts of Madurai, Dindigul, Theni, and Tuticorin	(g) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4).	(e) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
84	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Madurai-2	Madurai, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu,— (a) Districts of Sivaganga, Ramanathapuram, Tirunelveli, Kanyakumari;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;
			(b) district of Madurai	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) whose names begin with the alphabet "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than cases of persons whose principal source of income is from

				whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	“Salary”;
			(c) Districts of, Sivaganga, Ramanathapuram, Virudhunagar, Tirunelveli, Kanyakumari;	(e) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e) and (f) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from “Salary”; (e) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
85	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Trichy –1	Trichy, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) areas in the following taluks - Manachanallur taluk Thuraiyur taluk Manapparai taluk Srirangam taluk Lalgudi taluk Thottiam taluk Musiri taluk; and areas within the city of Tiruchirappalli, bearing the following PIN Codes; 620 001 to 620 007 and the districts of Perambalur, Ariyalur and Karur	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from “Salary”;

				or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) of column (4);	
			(b) Districts of Tiruchirappalli, Perambalur, Ariyalur and Karur	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
86	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Trichy-2	Trichy, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu – (a) areas within the city of Tiruchirappalli, bearing the following PIN Codes : 620008 to 620026 (b) District of Pudukottai, Thanjavur, Tiruvarur and Nagapattinam; (c) In the Union Territory of Puducherry – district of Karaikal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary"; (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".

				column (4).	
87	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Salem	Salem, Tamil Nadu	In the State of Tamil Nadu - Districts of Salem, Namakkal, Krishnagiri and Dharmapuri	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in column (6); (c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4)	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from "Salary"; (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
88	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-1	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
89	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-2	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5)

				Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	whose names begin with the alphabet "B" or "C" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
90	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-3	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "D" or "E" or "F" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
91	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-4	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "G" or "H" or "I" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
92	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-5	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "J" or "K" or "L" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
93	Principal Commissioner/ Commissioner	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in

	of Income-tax, Delhi-6			Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "M" or "N" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
94	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-7	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "O" or "P" or "Q" or "R" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
95	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-8	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "S"; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
96	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-9	Delhi	National Capital Territory of Delhi	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
97	Principal Commissioner/	Delhi	In the National Capital Territory of Delhi,-	(a) Persons other than companies deriving	(a) All cases of persons referred to in

	Commissioner of Income-tax, Delhi-10		<p>Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi :</p> <p>WardName Ward No.</p> <p>TuglakabadExtn. 185</p> <p>SangamVihar (West) 186</p> <p>SangamVihar (Central) 187</p> <p>SangamVihar (East) 188</p> <p>ChiragDelhi 189</p> <p>ChitranjanPark 190</p> <p>ShahpurJat 191</p> <p>GreaterKailash 192</p> <p>Srinivaspuri 193</p> <p>East ofKailash 194</p> <p>Govindpuri 195</p> <p>Kalkaji 196</p> <p>Tuglakabad 197</p> <p>PulPehladpur 198</p> <p>Tekhand 199</p> <p>HarkeshNagar 200</p> <p>Jaitpur 201</p> <p>Meetheypur 202</p> <p>Badarpur 203</p> <p>Molarband 204</p> <p>ZakirNagar 205</p> <p>Okhla 206</p> <p>Madanpur Khadar 207</p> <p>Saritavihar 208</p>	<p>income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than :</p> <p>(i) persons whose principal source of income is from salary;</p> <p>(ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.</p>
98	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-11	Delhi	<p>In the National Capital Territory of Delhi - Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi :</p> <p>WardName Ward No.</p> <p>Mahipalpur 144</p> <p>MalviyaNagar 161</p> <p>VillageHauzRani 162</p> <p>SafdarjangEnclave 163</p> <p>HauzKhas 164</p> <p>VasantVihar 165</p> <p>Munirka 166</p> <p>R.K.Puram 167</p> <p>Nanakpura 168</p> <p>LadoSarai 169</p> <p>Mahrauli 170</p> <p>VasantKunj 171</p> <p>Kishangarh 172</p> <p>SaidulAjaib 173</p> <p>Chattarpur 174</p> <p>AyaNagar 175</p> <p>Bhati 176</p> <p>SangamVihar 177</p> <p>Deoli 178</p> <p>Tigri 179</p> <p>DakshinPuriExtn 180</p> <p>Khanpur 181</p> <p>AmbedkarNagar 182</p> <p>Madangir 183</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than :</p> <p>(i) persons whose principal source of income is from salary;</p> <p>(ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.</p>

			PushpVihar 184		
99	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-12	Delhi	In the National Capital Territory of Delhi - Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi : WardName Ward No. MalkaGanj 9 Timarpur 10 MukherjeeNagar 11 G.T.B.Nagar 12 DhirPur 13 AdarshNagar 14 SaraiPipalThala 15 JahangirPuri-I 16 ShalimarBaghSouth 56 NimriColony 65 SawanPark 66 Wazirpur 67 AshokVihar 68 KamlaNagar 69 RanaPratapBagh 70 SangamPark 71 Model Town 72 ShastriNagar 73 KishanGanj 75 KashmiriGate 77 MajnuKaTila 78	(a)Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than : (i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.
100	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-13	Delhi	In the National Capital Territory of Delhi - Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi : WardName Ward No. Narela 1 Bankner 2 Alipur 3 Bakhatawar 4 BhalswaJhangirPuri 5 Mukund 6 Burari 7 Jharoda 8 SamaypurBadli 17 Libaspur 18 Bhalswa 19 Jhangirpur 2 20 Rohini 21 Rithala 22 BudhVihar 23 VijayVihar 24 Poothkalan 25 SahibabadDaulatpur 26 Begampur 27 Bawana 28 Karala 29 PratapVihar 33 Nithari 34 KirariSulemanNagar 35 SultanpuriEast 37 Mangolpuri(North) 38	(a)Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than : (i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.

			<p>SultanpurMajra 39 Sultanpuri(South) 40 RohiniSouth 45 MangolpuriEast 46 Mangolpuri 47 MangolpuriWest 48 RohiniNorth 49 RohiniCentral 50 RohiniEast 51 Naharpur 52 PitampuraNorth 54</p>		
101	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-14	Delhi	<p>In the National Capital Territory of Delhi - Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi :</p> <p>WardName Ward No. Mundka 30 NangaloiJatWest 31 Nelothi 32 PremNagar 36 GuruHarkishanNgr. 41 Peeragharhi 42 Nangloi(East) 43 QuammuddinNagar 44 PitampuraSouth 53 ShalimarBaghNorth 55 PaschimViharSouth 57 PaschimViharNorth 58 RaniBagh 59 SaraswatiVihar 60 TriNagar 61 Rampura 62 KohatEnclave 63 ShakurPur 64 MotiNagar 99 Karampura 100 PunjabiBagh 103 Madipur 104 KunwarSinghNagar 121 Hastal 122 MohanGarden 125 Nawada 126</p>	<p>(a)Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than :</p> <p>(i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.</p>
102	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-15	Delhi	<p>In the National Capital Territory of Delhi - Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi :</p> <p>Ward Name Ward No. RajaGarden 101 RaghubirNagar 102 RajouriGarden 105 TagoreGarden 106 VishnuGarden 107 Khyala 108 SubhashNagar 112 MahavirNagar 113 TilakNagar 114 MajorBhupinder</p>	<p>(a)Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than :</p> <p>(i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.</p>

			Singh Ngr 115 VikaspuriEast 116 MilapNagar 119 Sitapuri 120 Vikashpuri 123 VikashNagar 124 UttamNagar 127 Bindapur 128 Dabri 129 Manglapuri 130 Sagarpur 131 SagarpurWest 132 Chhawla 133 NangliSakravati 134 Kakraula 135 Matiala 136 Roshanpura 137 Najafgarh 138 DichaonKalan 139 Khaira 140 Bijwasan 141 RajNagar 142 Kapashera 143 Palam 145 SadhNagar 146 MahavirEnclave 147 MadhuVihar 148	mentioned in column (4).	
103	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-16	Delhi	In the National Capital Territory of Delhi – Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi : Ward Name Ward No. JamaMasjid 79 ChandniChowk 80 MintoRoad 81 KuchaPandit 82 BazarSitaRam 83 TurkmanGate 84 Ballimaran 86	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than : (i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.
104	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-17	Delhi	In the National Capital Territory of Delhi – Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi : Ward Name Ward No. InderlokColony 74 KarolBagh 91 DevNagar 92 BaljitNagar 93 WestPatelNagar 94 EastPatelNagar 95 NewRanjitNagar 96	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than : (i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/

			<p>KirtiNagar 97 MansarovarGarden 98 JanakpuriNorth 109 NangalRaya 110 HariNagar 111 JanakpuriWest 117 JanakpuriSouth 118 RajinderNagar 149 Pusa 150 Inderpuri 151 Naraina 152</p> <p>Area under Cantonment Board</p>	of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).	Commissioner of Income-tax, Delhi-21.
105	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-18	Delhi	<p>In the National Capital Territory of Delhi – Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi :</p> <p>Ward Name Ward No.</p> <p>LajpatNagar 155 DaryaGanj 153 Nizamuddin 154 Bhagal 156 KasturbaNagar 157 KotlaMubrakpur 158 AndrewsGanj 159 AmarColony 160</p> <p>Area under NDMC</p>	<p>(a)Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than :</p> <p>(i) persons whose principal source of income is from salary;</p> <p>(ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.</p>
106	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-19	Delhi	<p>In the National Capital Territory of Delhi – Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi :</p> <p>Ward Name Ward No.</p> <p>AnandVihar 225 VishwasNagar 226 Dharampura 233 GandhiNagar 234 AzadNagar 235 RaghubarPura 236 Sahadara 237 Jhilmil 238 VivekVihar 239 DilshadColony 240 DilshadGarden 241 NewSeemapuri 242 NandNagri 243 SunderNagri 244 Durgapuri 245 AshokVihar 246 RamNagar 247 WelcomeColony 248</p>	<p>(a)Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than :</p> <p>(i) persons whose principal source of income is from salary;</p> <p>(ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21.</p>

			ChauhanBangar 249 Zaffrabad 250 NewUsmanPur 251 MaujPur 252 Bhajanpura 253 Brahampuri 254 Ghonda 255 YamunaVihar 256 SubhashMohalla 257 Kardampur 258 JantaColony 259 BabarPur 260 JiwanPur 261 Gokalpur 262 Saboli 263 HarshVihar 264 ShivVihar 265 KarawalNagarEast 266 NehruNagar 267 Mustafabad 268 KhajooriKhas 269 TukhmirPur 270 KarawalNagarWest 271 SoniyaVihar 272		
107	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-20	Delhi	In the National Capital Territory of Delhi – Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi : Ward Name Ward No. MayurViharPhase I 209 Dallopura 210 Trilokpuri 211 NewAshokNagar 212 Kalyanpuri 213 Khichripur 214 Kondli 215 Gharoli 216 VinodNagar 217 Mandawali 218 MayurViharPh-II 219 PatparGanj 220 KishanKunj 221 LaxmiNagar 222 Shakarpur 223 PandavNagar 224 I.P.Ext. 227 PreetVihar 228 KrishnaNagar 229 GeetaColony 230 Ghondli 231 Anarkali 232	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than : (i) persons whose principal source of income is from salary; (ii) persons falling under jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Delhi-21.
108	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21	Delhi	(a) National Capital Territory of Delhi. (b) Municipal Wards of Municipal Corporation of Delhi : Ward Name	(a) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from legal, medical engineering or

			<p>Ward No.</p> <p>DeputyGanj 76</p> <p>IdgahRoad 85</p> <p>RamNagar 87</p> <p>Qasabpura 88</p> <p>PaharGanj 89</p> <p>ModelBasti 90</p>	<p>the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from all sources other than business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).</p>	<p>architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in Official Gazette under sub section (1) of Section 44AA of the Income-tax Act 1961;</p> <p>(b) all cases of persons referred in corresponding entry at item (a) of column (5) having principal source of income from business of contractorship including supply of labour for carrying out any work;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than cases of persons whose principal source of income is from salary.</p>
109	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi- 22	Delhi	National Capital Territory of Delhi.	<p>(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of:</p> <p>(i) Central Government</p> <p>(ii) Government or National Capital Territory of Delhi;</p> <p>(iii) Hospitals situated within the area mentioned in column (4)</p> <p>(iv) University Grants Commission</p> <p>(v) Airlines (except those airlines which are registered in the territory of India);</p>
110	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax,	Delhi	National Capital Territory of Delhi.	<p>(a) Persons being individuals deriving income from sources</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in</p>

	Delhi-23			other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4).	item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of: (i) Banks (ii) Public Sector Units (iii) Schools and colleges
111	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-24	Delhi	National Capital Territory of Delhi.	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4).	(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) not falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi -22 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-23 and whose principal source of income is from "Salary".
112	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-1	Guwahati, Assam	In the state of Assam: (a) District of Kamrup (Metropolitan covering all the wards of Guwahati municipal corporation and areas outside the Guwahati Municipal corporation)	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary. (b) all cases of persons referred to in corresponding entry in items (a) and (b) of column (5) whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961;
			(b) District of Kamrup (Rural) (c) areas of Guwahati Municipal Corporation Ward Nos. 1 to 7 and 10 to 13 (d) Districts of Nagaon, Morigaon, Lakhimpur,	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b), (c), (d) and (e) of column (4);	(c) all cases of the persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5) (d) all cases of individuals being managing directors or directors or managers or secretaries in the

			<p>Dhemaji, Sonitpur, Darang and Udalguri in the state of Assam;</p> <p>(e) In the state of Arunachal Pradesh: Districts of East Kameng, West Kameng, Tawang, Lower Subansiri, Upper Subansiri, Papum Pare and Kurung Kumey</p>	<p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b), (c), (d) and (e) of column (4);</p> <p>(e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (b), (c), (d) and (e) of column (4);</p> <p>(f) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	<p>companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).</p>
113	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-2	Guwahati, Assam	<p>In the state of Assam:</p> <p>(a) areas of Guwahati Municipal Corporation excluding the areas falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-1.</p> <p>(b) areas of Kamrup (Metropolitan) district outside the Guwahati Municipal Corporation</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column 4;</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-1</p> <p>(b) all cases of individuals being managing directors or directors or managers or secretaries in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
			(c) Districts of Nalbari, Barpeta, Bongaigaon, Dhubri, Baksa, Chirang, Goalpara and Kokrajhar; (d) In the state of Meghalaya: Districts of East Garo Hills, West Garo Hills, South Garo Hills;	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) (d) all cases of individuals being managing directors or directors or managers or secretaries in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).
114	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jorhat	Jorhat, Assam	(a) In the State of Assam: Districts of Jorhat, Golaghat, Sibsagar and Karbi Anglong; (b) State of Manipur; (c) State of Nagaland;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (c) persons being	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing directors or directors or managers or secretaries in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
115	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Shillong	Shillong, Meghalaya	(a) In the State of Meghalaya: Districts of East Khasi Hills, West Khasi Hills, South West Khasi Hills, East Jaintia Hills, West Jaintia Hills and Ribhoi ; (b) In the State of Assam: Districts of Cachar, Dima Hasao, Karimganj and Hailakandi; (c) State of Mizoram; (d) State of Tripura;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b), (c) and (d) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b), (c) and (d) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a), (b), (c) and (d) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing directors or directors or managers or secretaries in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
116	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Dibrugarh	Dibrugarh, Assam	(a) In the State of Assam: Districts of Dibrugarh and Tinsukia (b) In the State of Arunachal Pradesh: Districts of East Siang, West Siang, Upper Siang, Upper Dibang Valley, Lower Dibang Valley,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing directors or directors or managers or secretaries in the

			Lohit, Tirap, Changlang, Anjaw and Longding;	(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
117	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-1	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6); (c) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet “A” or “B” or “C” other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6 ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from Salary from organisations/ establishments/ institutions/companies of the private sector excluding private banks and insurance companies;
			(b) Municipal Ward	(d) persons other than	(d) all cases of persons

			Numbers (old) 1, 2 and 3 of Hyderabad.	companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6
118	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-2	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet “G” or “H” or “I” or “J” or “K” or “T” other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) (i) Municipal Ward Numbers (old) 19 and 21 of Hyderabad; (ii) Mandals of Ranga Reddy District: (A) Serilingampally (B) Rajendranagar (C) Shamshabad (D) Maheswaram (E) Moinabad (F) Vikarabad (G) Shabad (H) Chevella (I) Nawabpet (J) Mominpet (K) Basheerabad (L) Yalal (M) Tandur (N) Darur (O) Pargi (P) Dona	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6

			(Q) Gardad (R) Marpally (S) Kulkicherla (T) Pudur (U) Peddawal (V) Shankarpally (W) Bantaram		
			(c) District of Karimnagar; (d) Mandals of Medak District: (A) Sangareddy (B) Sadasivapet (C) Zahirabad (D) Kavidipalli (E) Jerasamgam (F) Kalher (J) Kohir (H) Kondapur (I) Knagti (J)Manoor (K) Munpally (L)Narayankhed (M)Nyalkal (N)Patancheru (O) Ramachandrapuram (P) Raikode (Q) Andole (R) Pulkal (S) Ragode (T) Alladurg (U) Tekmal (V) Jinnaram (W) Papannapet (X) Kulcharam (Y) Narsapur (Z) Hatmoor (Z1) Shankarampet (A); (e) Mandals of Adilabad District: (A) Mancherial (B) Vaankidi (C) Kagaznagar (D) Sirpoor (E) Kouthala (F) Bejjur (G) Dahegaam (H) Jaipur (I) Mandamarri (J) Lakchettipet (K) Jannaram (L) Kerimeri (M) Aasifabad (N) Rebbana (O) Bellampalli (P) Thandoor (Q) Kaasipet (R) Thiriyani	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c), (d) and (e) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c), (d) and (e) of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (c), (d) and (e) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) ; (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).

			(S) Vemanapalli (T) Kotapalli (U) Chennai (V) Dhanderpalli (W) Nennala and (X) Bhimni.		
119	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-3	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet “R” or “S” other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad- 6; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Municipal Ward Numbers (old) 10 to 15 of Hyderabad;	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad- 6
			In the state of Telangana: (c) Districts of Warangal and Nalgonda;	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) ; (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).

				<p>of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	
120	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-4	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy;	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p> <p>(c) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet L” or “M” or “N” or “O” or “P” or “Q” other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) being individual whose principal source of income is from Salary from Central or State Government Departments, Central or State government undertakings, Autonomous bodies, Local authorities, all banks and insurance companies.</p>
			(b) Municipal Ward Numbers (old) 4 and 5 of Hyderabad;	(d) Persons other than companies deriving income from sources	(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in

				other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6
			(c) District of Mahabubnagar	(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5); (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).
121	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-5	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column 4;	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet “D” or “E” or “F” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z” other than the cases falling under the jurisdiction of Principal

				(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Mandals of Ranga Reddy District : (A) Balanagar (B) Qutbullapur (C) Medchal;	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6;
			(c) District of Nizamabad. (d) all the remaining Mandals of Adilabad District other than those referred in item (e) of column (4) against Serial Number 118 of this Notification.	(e) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (c) and (d) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5); (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).

				(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	
122	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Areas covered by (i) Municipal Ward Numbers (old) 6 to 9 of Hyderabad (ii) Municipal Ward Numbers (old) 1 to 11 of Secunderabad; (iii) Secunderabad Cantonment;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary
			(b) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy.	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5) whose principal source of income is from any activity associated with movies, all types of films, television media, dramatics, performing arts, entertainment industry (including audio or video production, distribution, display, software support, infrastructural support or technical support to the industry), stage shows, operation of cable and radio network, ownership and/or operation of motion picture studios, cinema halls and theatres, and also including cases of artists connected with the aforesaid fields, including video, radio and disc jockeys; (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).

123	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad – 7	Hyderabad, Telangana	In the state of Telangana – (a) Areas covered by (i) Hyderabad Municipal Ward Numbers (old) 16, 17, 18, 20, 22 and 23; (ii) Secunderabad Ward Number (old) 12. (iii) Mandals of Ranga Reddy District: A) Ghatkesar B) Keesara C) Shamirpet D) Uppal E) Malkajgiri F) Saroornagar G) Hayathnagar H) Ibrahimpatnam, I) Yacharam J) Kandukur and K) Manchal.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6;
			(b) District of Khammam (c) All the remaining Mandals of Medak District other than those referred in item (d) of column (4) against Sl. No. 118 of this Notification.	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (f) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5); (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).
124	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kurnool.	Kurnool, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh - Districts of Kurnool, Anantapur and YSR Kadapa.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of

				<p>within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
125	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guntur	Guntur, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh - Districts of Guntur and Prakasam.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

126	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Tirupati	Tirupati, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh – Districts of Chittoor and SPSR Nellore.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
127	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vijayawada	Vijayawada, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh – District of Krishna	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
128	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam-1	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	In the state of Andhra Pradesh – (a) Greater Visakhapatnam Municipal Corporation limits	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
			(b) Greater Visakhapatnam Municipal Corporation limits	(c) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income from "Salary".
			(c) Greater Visakhapatnam Municipal Corporation New Ward Numbers : 7 to 30.	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary
			(d) District of Vizianagaram	(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) (f) all cases of individuals being

				<p>area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	<p>managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>
129	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam-2	Visakhapatnam, Andhra Pradesh	In the state of Andhra Pradesh – (a) Greater Visakhapatnam Municipal Corporation limits.	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet 'Q' or 'R' or 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z' ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
			(b) Greater Visakhapatnam Municipal Corporation. New Wards other than those assigned to the Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam-1.	<p>(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary ;</p>

			<p>(c) District of Srikakulam</p> <p>(d) Remaining part of district of Visakhapatnam other than area covered by Greater Visakhapatnam Municipal Corporation –</p> <p>(e) District of East Godavari –</p> <p>(i) Kakinada Municipal Corporation limits;</p> <p>(ii) Mandals of</p> <p>(A) Tuni</p> <p>(B) Sankavaram</p> <p>(C) Kotananduru</p> <p>(D) Tondangi</p> <p>(E) Gollaprolu</p> <p>(F) Prathipadu</p> <p>(G) Yeleswram</p> <p>(H) Kakinada Rural</p> <p>(I) Samalkot</p> <p>(J) Karapa</p> <p>(K) Peddapudi</p> <p>(L) Kajuluru</p> <p>(M) Tallarevu</p> <p>(N) Rayavaram</p> <p>(O) Bikkavolu</p> <p>(P) Anaparthi</p> <p>(Q) Peddapuram</p> <p>(R) Jaggampet</p> <p>(S) Gandhepalle</p> <p>(T) Rangampet</p> <p>(U) Ramachandrapuram</p> <p>(V) Pamarru</p> <p>(W) Alamuru</p> <p>(X) Mandapeta</p> <p>(Y) Kirlampudi</p> <p>(Z) Kapileswaram</p> <p>(Z1) Pithapuram</p> <p>(Z2) U.Kothapalli</p> <p>(Z3) Routhulapudi;</p> <p>(f) In the Union Territory of Puducherry – District of Yanam.</p>	<p>mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c), (d), (e) and (f) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c), (d), (e) and (f) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (c), (d), (e) and (f) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
130	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajahmundry	Rajahmundry, Andhra Pradesh	<p>In the State of Andhra Pradesh –</p> <p>(a) District of West Godavari;</p> <p>(b) District of East Godavari:</p> <p>(i) Rajahmundry Municipal Corporation limits;</p> <p>(ii) All the remaining Mandals of East Godavari</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in</p>

			District other than those referred to in item (e)(ii) of column(4) against Sl. Number 129 of this Notification.	income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	item (c) of column (5).
131	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jaipur- 1	Jaipur, Rajasthan	In the State of Rajasthan :- (a) District of Jaipur comprising of the following areas:- (i) Johari Bazaar (both sides and lanes adjoining Choura Rasta), Jaipur. (ii) Choura Rasta (both sides and adjoining lanes) and lanes adjoining to Kishanpole Bazar (both sides), Katla Purohit, Manihari Katla, Jaipur. (iii) Kishan Pole Bazar and its lanes towards Topkhana Desh, Indira Market, Nehru Bazar, Babu Bazar, Link Road, Chandpole to Surajpole Gate, Jaipur. (iv) Ghatgate Bazaar (left and right) and lanes joining to Johari Bazar, Jaipur (v) M.I. Road (from Sanganeri gate to Khasa Kothi), Ajmeri Gate Subji Mandi, Yadgar both lanes, New colony,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of income from (i) "Salary" (ii) Legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the official Gazette under sub-section (1) of Section 44AA of the Income-tax Act, 1961; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

			<p>Jayanti Market, Gopinath Market, Church Road, VidhayakPuri, Gopalbari, Sardar Patel Marg, Sudershanpura Industrial Estate, Bais godam, Sodala, New Sodala, Mansarover, New Sanganer Raod (both sides of lane), Chomu House, Civil lines, Ramnagar, Hawa Sarak, Madram Pura, Laxminagar and Municipal Limits on Ajmer Road (both sides and connecting lanes), Jaipur.</p> <p>(vi) Areas outside Chandpole Gate, Grain Mandi, Sansar Chandra Road, Jalupura, Nawalgarh House area, Loha Mandi, Bansathali Marg, Bani Park, Station Road, Kantinagar, Sindhi colony, Power house Road, Jhotwara Industrial area, Ganpati Nagar, Hassanpura, Khatipura Road, Queen's Road, Chitrakut Scheme, Vaishali Nagar area, Jhotwara, Kalwar Road, Sirsi Road (upto municipal limits), Jaipur.</p>		
			(b) District of Jaipur (other than Tehsils of Kotputli, Shahpura and Virat Nagar)	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose first names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'N' or 'P' or 'Q'
			(c) In the entire State of Rajasthan	(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) of which

				<p>profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p>	<p>acquisition proceedings under chapter XX-A of the Income tax Act, 1961 are pending.</p> <p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) of which proceedings under Estate Duty Act, 1953 are pending.</p>
132	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jaipur-2	Jaipur, Rajasthan	<p>In the State of Rajasthan :-</p> <p>(a) District of Jaipur comprising of the following areas:</p> <p>(i) left side lanes of Gangori Bazar, (Chotti Chopper to Brahmपुरi) right side of Chandpole bazaar (from Chhoti chopper to Chandpole gate), Purani Basti, right side of chandpole gate, Sikar house, Khetri House, Power House Road, Naharika Naka, Subhash Nagar, Subash Colony, Ram Nagar, Housing Board, Shastri Nagar, Jai Prakash Nagar, Nehru Nagar, Bassi-Sitaramपुरa, Amba Bari, Jhotwara Road (both sides), Sikar Road Chouraha to V.K.I. Area</p> <p>(ii) Gangori Bazar main Market including right side lanes of Gangori Bazar, Brahmपुरi and both sides of Amer Road, Govind Nagar, Parasram Dwara, Gatore Road, Shanker Nagar, Gangapole, Char Darwaza, Sirahdyodhy Bazar, Jalebi Chowk, Ramganj Bazar, Galta</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of Column (4);</p> <p>(d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of income from</p> <p>(i) "Salary"</p> <p>(ii) Legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the official Gazette under sub-section (1) of Section 44AA of the Income-tax Act, 1961;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

			<p>Road, Surajpole Mandi, Laxminarain Puri, Raghunath Puri, Transport Nagar.</p> <p>(iii) Agra Road, M.D.Road, Janta Colony, Adarsh Nagar, Jawahar Lal Nehru Marg, Gangwal Park, Uniara Garden, Govind Marg, Bermeese Colony, Saket Colony, Sethi Colony</p> <p>(iv) Jawahar Nagar, Raja Park, Tilak Nagar, Malviya Nagar, Jagatpura.</p> <p>(v) Tonk Road, C-scheme, Ashok Marg, Subhash Marg, B.S. Road</p>		
			(b) District of Jaipur (other than Tehsils of Kotputli, Shahpura and Virat Nagar)	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose first names begin with the alphabet 'K' or 'L' or 'O' or 'R' or 'S' ;
133	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jaipur-3	Jaipur, Rajasthan	<p>In the State of Rajasthan :-</p> <p>(a) District of Jaipur (other than the Tehsils of Kotputli,, Shahpura and Virat Nagar) not covered under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jaipur-1 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jaipur-2</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).</p>	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of income from

			(b) District of Jaipur (other than the Tehsils of Kotputli, Shahpura and Virat Nagar)	(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (g) persons being individual referred to in item (b) of column (6).	(c) all cases of persons referred to in corresponding in items (e) and (f) whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961;
			(c) District of Jaipur (other than Tehsils of Kotputli, Shahpura and Virat Nagar)	(h) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4).	(d) all cases of persons referred to in item (h) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose first names begin with the alphabet 'M' or , 'T' or 'U' or 'V' or W or X or 'Y' or 'Z'
			(d) Districts of Tonk, Jhunjhunu, Churu and Sikar	(i) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4); (j) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4); (k) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal	(e) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (i), (j) and (k) of column (5) (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (k) of column (5).

				place of business in the area mentioned in item (d) of column (4); (l) persons being individual referred to in item (f) of column (6).	
134	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Alwar	Alwar, Rajasthan	In the state of Rajasthan:- Districts of Alwar, Bharatpur, Dholpur, Dausa and Tehsils of Kotputli, Shahpura and Virat Nagar of District of Jaipur.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
135	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Udaipur	Udaipur, Rajasthan	In the state of Rajasthan:- Districts of Udaipur, Rajsamand, Banswara, Pratapgarh, Dungarpur and Chittorgarh (other than Rawatbhata Tehsil)	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).	
136	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kota	Kota, Rajasthan	In the State of Rajasthan:- (a) Districts of Kota, Bundi, Jhalawar, Baran, Sawaimadhopur and Karauli (b) Rawatbhata Tehsil in the District of Chittorgarh	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
137	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ajmer	Ajmer, Rajasthan	In the State of Rajasthan :- Districts of Ajmer and Bhilwara	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).</p>	
138	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jodhpur-1	Jodhpur, Rajasthan	<p>In the State of Rajasthan:-</p> <p>(a) In the District of Jodhpur</p> <p>(i) Areas of Jodhpur Municipality:- Rai-ka-bagh, Mohanpura, Umaidpura, Aerodrom Area, Ratanada, Outside Sojati Gate, Inside Sojati Gate, Govinda Bawari Bazaar, Mahavir Market, Pokaran ki Haveli, Tripoliya Bazaar, Kandoi Bazar, Ghasmandi, Station Road, Railway Road leading from General Post Office to Rail Bhawan and Basni Industrial Area/Estate(light/heavy), Shastrinagar, New Power House Colony, Bhagat-ki-Kothi, New Fruit Mandi, Bhadiwasiya, Inside Nagori Gate to Hati Ram Ka Oda. Ghanta Ghar, Sardar Market, R.N. Market, Sumer Market, Juni Mandi, Sarafa Bazar, Daga Bazar, Ada Bazar, Navchokia, Chandpole, Sur Sagar, Khumariya Kua, Khanda Falsa, Pungalpara, Kabutaron Ka Chowk, I/S Jalori Gate, Jalori Bari, Medical Market, MGH Road, Chand Shah Takia Market, Nai Sarak, Cycle Market, Merti Gate, I/S and O/S Bamba Stadium,</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of income from "Salary";</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

			Udai Mandir Public Park Area, Paota Sabji Mandi, Basani Mandi, High Court Colony, High Court Road (ii) Jodhpur Tehsil outside Municipal limits.		
			(b) District of Jodhpur (Except areas of Phalodi, Osian, Shergarh, Bilara, Pipar (including Borunda) and Bhopalgarh Tehsils of Jodhpur District)	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose first names begin with the alphabet 'A', or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q'.
			(c) District of Pali and Sirohi (d) Tehsils of Phalodi, Osian and Shergarh of Jodhpur District.	(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (c) and (d) of column (4); (i) persons being individual referred to in item (e) of column (6).	(d) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).
139	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jodhpur -2	Jodhpur, Rajasthan	In the State of Rajasthan (a) Areas of district of Jodhpur not covered under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income Tax, Jodhpur-1,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those having principal source of

				<p>area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>income from "Salary;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
			<p>(b) All areas of Bilara, Pipar (including Borunda), Luni and Bhopalgarh Tehsils of Jodhpur District.</p> <p>(c) Districts of Jaisalmer, Barmer, Jalore and Nagaur.</p>	<p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being individual referred to in item (d) of column</p>	<p>(c) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5)</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>

				(6).	
			(d) District of Jodhpur (Except areas of Phalodi, Osian, Shergarh, Bilara, Pipar (including Borunda) and Bhopalgarh Tehsils of Jodhpur District)	(i) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4).	(e) all cases of persons referred to in corresponding item (i) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose first names begin with the alphabet "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z".
140	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bikaner	Bikaner, Rajasthan	In the State of Rajasthan: Districts of Bikaner, Hanumangarh and Sriganganagar.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of the persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
141	Principal Commissioner/ Commissioner of Income- tax, Kanpur-1	Kanpur, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh, districts of Kanpur Nagar and Kanpur Dehat (Ramabainagar).	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area	(a) All cases of persons referred to in items (a) and (b) of column (5), other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kanpur-2

				mentioned in column (4).	
142	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kanpur-2	Kanpur, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh (a) District of Kanpur Nagar and Kanpur Dehat (Ramabainagar).	(a) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (d) of column (6);	(a) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) whose principal source of income is from : (i) Salary, (ii) legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961; (iii) Brokerage on trading in shares; (b) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) being member of Stock Exchanges and Commodity Exchanges; (c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5); (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
			(b) Districts of Jalaun, Hamirpur, Banda, Chitrakoot, Mahoba	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b)	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).

				of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).	
143	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Agra-1	Agra, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh (a) Districts of Mathura and Auraiya.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
			(b) District of Agra.	(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary".
			(c) Municipal wards of Agra Nagar Nigam : 1 to 4, 6, 11, 13 to 16, 18, 20	(f) persons other than companies deriving income from business	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in

			to 24, 26, 27, 29, 32 to 35, 37 to 43, 45 to 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 70 to 72, 74, 78.	or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	items (f) and (g) of column (5), other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Agra-2;
144	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Agra-2	Agra, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh (a) Districts of Firozabad, Jhansi, Lalitpur and Etawah.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
			(b) Municipal Wards of Agra Nagar Nigam: 1 to 4, 6, 11, 13 to 16, 18, 20 to 24, 26, 27, 29, 32 to 35, 37 to 43, 45 to 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 65, 68, 70 to 72, 74, 78.	(e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons other than companies deriving	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e) and (f) of Column (5) having principal source of income from (i) Legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical

				income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961, (ii) Business of transportation;
			(c) District of Agra	(g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).	(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5); (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5);
			(d) Municipal Wards of Agra Nagar Nigam: 5, 12, 17, 19, 25, 28, 30, 31, 36, 44, 51, 54, 56, 59, 61 to 63, 66, 67, 69, 73, 75 to 77, 79, 80. (e) District of Agra not covered under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Agra-1	(i) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (d) and (e) of column of (4); (j) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (d) and (e) of column (4);	(f) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (i) and (j) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary
145	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aligarh.	Aligarh, Uttar Pradesh.	In the state of Uttar Pradesh, - Districts of Aligarh, Farukhabad, Kannauj, Etah, Hathras, Mainpuri, Kanshi Ram Nagar (Kasganj).	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);

				mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
146	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Muzaffarnagar.	Muzaffarnagar, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh - Districts of Muzaffarnagar, Shamli & Saharanpur	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);
147	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Meerut	Meerut, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh,- Districts of Meerut and Baghpat.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in

				income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	corresponding entry in item (c) of column (5);
148	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ghaziabad.	Ghaziabad, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh- Districts of Ghaziabad, Hapur and Bulandshahar.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);
149	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Noida	Noida, Uttar Pradesh	In the state of Uttar Pradesh,- District of Gautam Buddha Nagar	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);

				<p>profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);</p>
150	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Dehradun	Dehradun, Uttarakhand	In the State of Uttarakhand, Districts of Dehradun, Haridwar, Uttarkashi, Tehri Garhwal, Pauri Garhwal, Chamoli, Rudra Prayag	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) Persons being individuals referred to</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);</p>

				in item (b) of column (6).	
151	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Haldwani	Haldwani, Uttarakhand	Districts of Almora, Pithoragarh, Nainital, Udham Singh Nagar, Champawat and Bageshwar	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
152	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram, Kerala	In the state of Kerala- (i) All Taluks of Thiruvananthapuram District; (ii) All Taluks except Karunagappally Taluk of Kollam District; (iii) Adoor Taluk of Pathanamthitta District.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
153	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kottayam	Kottayam, Kerala	In the State of Kerala – (i) All Taluks of Kottayam and Alappuzha Districts; (ii) All Taluks except Adoor Taluk of Pathanamthitta District; (iii) Karunagapally Taluk of Kollam District; (iv) Peerumedu Taluk of Idukki District.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
154	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kochi-1	Kochi, Kerala	(a) In the State of Kerala – (i) All Taluks of Ernakulam District. (ii) All Taluks in Idukki District other than Peerumedu Taluk. (b) The Union Territory of Lakshadweep	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) & (b) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
155	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kochi-2	Kochi, Kerala	(a) In the State of Kerala – (i) All Taluks of Ernakulam District. (ii) All Taluks in Idukki	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than

			District other than Peerumedu Taluk. (b) The Union Territory of Lakshadweep	profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);	cases of individuals falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kochi-1;
156	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thrissur	Thrissur, Kerala	In the State of Kerala – All Taluks of Thrissur and Palakkad Districts	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
157	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kozhikode	Kozhikode, Kerala	In the State of Kerala – (a) All Taluks of Kasaragode, Kannur, Kozhikode, Malappuram and Wayanad Districts (b) Mahe District in the Union Territory of Puducherry	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) Persons other than companies deriving income from business	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of Column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
158	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-1	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies which are engaged in the business of Engineering goods, machinery parts, Iron and steel foundries, Jute related trade and Production distribution, exhibition of films and other performing arts ; (b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5);
			In the State of West Bengal- (b) Areas covered by the following PIN Codes:- 700012, 700013, 700021, 700062, 700069, 700072, 700090, 700091, 700092.	(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-3, Principal

					<p>Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-4 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-5;</p> <p>(d) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
			(c) In the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands;	<p>(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of Column (4);</p> <p>(h) Persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) ;</p> <p>(f) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).</p>
159	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-2	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies which are engaged in the

				<p>registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of Column (4);</p> <p>(b) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>business of Tea, Paper and Card Board, Minerals, Insurance and Banking ;</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>
			<p>In the State of West Bengal-</p> <p>(b) Areas covered by the following PIN Codes:- 700001, 700018, 700028, 700081, 700093, 700094, 700095, 700096, 700097, 700098, 700099, 700100, 700101, 700102, 700103, 700104, 700105, 700106, 700107</p>	<p>(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) Persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	<p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-3, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-4 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-5;</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
160	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-3	Kolkata, West Bengal	<p>In the State of West Bengal-</p> <p>(a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) Persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies which are engaged in the business of News Paper and Periodicals, Rubber, Tobacco, Shipping, Hotels and Restaurants;</p> <p>(b) All cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).</p>

			In the State of West Bengal- (b) Areas covered by the following PIN Codes:- 700002, 700003, 700004, 700005, 700006, 700007, 700009, 700010, 700011, 700016, 700017, 700037, 700050, 700051, 700052, 700054, 700065, 700066, 700067, 700070, 700071, 700077, 700086, 700087	(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of Column (4); (d) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-1; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-2, Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-4 and Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-5; (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
161	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-4	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies which are engaged in the business of Sugar, Textiles & fabrics, Chemicals and Pharmaceuticals and Contract business (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
			In the State of West Bengal- (b) Areas covered by the following PIN Codes:- 700008, 700014, 700015, 700019, 700020, 700022, 700023, 700024, 700025, 700026, 700027, 700029, 700030, 700031, 700032, 700033, 700034, 700035, 700036, 700038, 700039, 700040, 700041, 700042,	(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-1; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-2,

			700043, 700044, 700045, 700046, 700047, 700048, 700049, 700053, 700055, 700056, 700057, 700058, 700059, 700060, 700061, 700064, 700068, 700074, 700075, 700076, 700078, 700079, 700080, 700082, 700083, 700084, 700085, 700088, 700089	(d) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-3 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-5; (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
162	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-5	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) Areas covered by the following PIN Codes:- 700063, 700073, 700108, 700135 In the State of West Bengal- (b) District of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-3; and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-4; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) of column (5).
163	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-8	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose principal income is from salary being : (i) persons carrying on the business of manufacture, distribution and sale of medicines and drugs or of optical appliances or of running nursing

				<p>profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p>	<p>homes & Private hospitals, X-ray and diagnostic clinics and pathological laboratories;</p> <p>(ii) persons whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961;</p> <p>(iii) AOPs being clubs and sports associations;</p> <p>(iv) Owners of race horses and / or jockeys;</p> <p>(v) persons whose principal source of income is from any activity associated with movies, all types of films, television media, dramatics, performing arts, yatras, entertainment industry (including audio or video production, distribution, display, software support, infrastructural support or technical support to the industry), stage shows, operation of cable and radio network, ownership and/or operation of motion picture studios, cinema halls and theatres, and also including cases of artists connected with the aforesaid fields, including video, radio and disc jockeys;</p>
			<p>In the State of West Bengal-</p> <p>(b) District of Hooghly</p>	<p>(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or</p>	<p>(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5);</p>

				<p>profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(f) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).
164	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-9	Kolkata, West Bengal	<p>In the State of West Bengal-</p> <p>(a) Areas covered by the following PIN Codes: - 700008, 700018, 700024, 700031, 700032, 700039, 700040, 700041, 700042, 700044, 700047, 700060, 700061, 700062, 700063, 700066, 700068, 700070, 700075, 700078, 700082, 700084, 700086, 700088, 700092, 700093, 700094, 700095, 700096, 700099, 700103, 700104, 700107</p> <p>In the State of West Bengal-</p> <p>(b) the District of South 24 Parganas;</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p>	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from salary;
			In the state of West Bengal- (c) the District of Purba (East) Medinipur;	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5)

				<p>within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5).
165	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-10	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) Areas covered by the following PIN Codes:- 700019, 700023, 700025, 700026, 700027, 700029, 700033, 700034, 700038, 700043, 700045, 700046, 700053, 700105;	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p>	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from salary;
166	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-11	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) the city of Kolkata and the districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being individual of Chinese origin;

				the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	
			In the State of West Bengal- (b) the city of Kolkata and the districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(b) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) being persons deriving income from execution of contracts in any project of Central or State Governments;
			In the State of West Bengal- (c) Areas covered by the following PIN Codes:- 700013, 700014, 700015, 700016, 700017, 700020, 700071, 700087	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from Salary;
167	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-12	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal: Areas covered by the following PIN Code - 700001.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from Salary;
168	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-13	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) the city of Kolkata and the districts of Howrah, North 24 Parganas and	(a) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place	(a) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a)

			South 24 Parganas	of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	of column (5) being insurance Agents;
			In the state of West Bengal- (b) Areas covered by the following PIN Codes - 700006 & 700012.	(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from 'Salary';
			In the state of West Bengal- (c) the District of Paschim (West) Medinipur;	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons being	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d), (e) and (f) of column (5); (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).

				individuals referred to in item (d) of column (6).	
169	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-14	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) the city of Kolkata and the districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas	(a) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being persons whose principal source of income is from the business of plying of taxis, lorries, trucks, buses, mini-buses and other commercial road transport vehicles;
			In the state of West Bengal- (b) Areas covered by the following PIN Codes:- 700009, 700021, 700022, 700069, 700072 & 700073	(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from Salary;
			In the state of West Bengal- (c) the District of Nadia and Murshidabad	(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (e) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons being companies registered under the Companies	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d), (e) and (f) of column (5); (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).

				Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	
170	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-15	Kolkata, West Bengal	In the state of West Bengal- Areas covered by the following PIN Codes:- 700002, 700003, 700004, 700005, 700007, 700010, 700011, 700028, 700030, 700035, 700036, 700037, 700050, 700054, 700065, 700067 and 700085	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from Salary;
171	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-16	Kolkata, West Bengal	In the state of West Bengal- The District of Howrah;	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose principal source of income is from Salary;
172	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-17	Kolkata, West Bengal	In the state of West Bengal- (a) Areas covered by the following PIN Codes:- 700048, 700049, 700051, 700052, 700055, 700056,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than those persons whose

			700057, 700058, 700059, 700064, 700074, 700076, 700077, 700079, 700080, 700081, 700083, 700089, 700090, 700091, 700097, 700098, 700100, 700101, 700102, 700106, 700108, 700135 In the state of West Bengal- (b) The District of North 24 Parganas	within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);	principal source of income is from Salary;
173	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-18	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being individuals, deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of : (i) Central Government Departments, or (ii) Central Government Undertakings other than Banks, or (iii) Consulates
174	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-19	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being individuals, deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and who are employees or pensioners of : (i) State Government Departments, or (ii) State Government Undertakings , or (iii) Banking Institutions referred to in section 51 of the Banking Regulation Act, 1949, or (iv) The Reserve Bank of India
175	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-20	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being individuals, deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and whose first name begin with alphabet "A" or "B" or "C" or "G" or "H" or "I" or "J" or "N" other than the cases falling under the

					jurisdiction of the Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-18, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-19 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-21;
176	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-21	Kolkata, West Bengal	In the State of West Bengal- (a) City of Kolkata and the Districts of Howrah, North 24 Parganas and South 24 Parganas;	(a) Persons being individuals, deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and whose first name begin with alphabet "D" or "E" or "F" or "K" or "L" or "M" or "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than the cases falling under the jurisdiction of the Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-18, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-19 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-20.
177	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Siliguri	Siliguri, West Bengal	(a) In the state of West Bengal- District of Darjeeling (b) The state of Sikkim	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (c) persons being	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	
178	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jalpaiguri	Jalpaiguri, West Bengal	In the state of West Bengal: Districts of Jalpaiguri, Alipurduar, Coochbehar, Malda, Uttar (North) Dinajpur and Dakshin (South) Dinajpur	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
179	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Durgapur	Durgapur, West Bengal	In the state of West Bengal- The Durgapur Sub-Division of Burdwan District and the District of Bankura	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being</p>

				<p>column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
180	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Asansol	Asansol, West Bengal	In the state of West Bengal- The Asansol Sub-Division of Burdwan District and the District of Purulia	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
181	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Burdwan	Burdwan, West Bengal	In the state of West Bengal- District of Burdwan excluding Durgapur Sub-Division and Asansol Sub-Division and the District of Birbhum	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
182	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Lucknow-1	Lucknow, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh:- (a) District of Lucknow (b) Areas falling under the following Postal Index Number (PIN) Codes of Lucknow District:- i. 226001- Lucknow GPO ii. 226006-Mahanagar iii. 226007- New Hyderabad iv. 226010-Gomti Nagar v. 226013-IIM,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area	(a) All cases of companies mentioned in item (c) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J"; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) above; (c) all cases of persons referred to in

			<p>Mubarakpur vi. 226015-CIMAP vii. 226016-Indira Nagar viii. 226019-Chinhat Industrial Area ix. 226021-Sector-C, Sitapur Road x. 226022-Vikas Nagar xi. 226023-Manas Nagar xii. 226024-Aliganj xiii. 226026-Behta xiv. 227105-Chinhat xv. 227107-Kakori xvi. 227111-Malihabad xvii. 227115-Mall xviii. 227116-Rahimabad xix. 227202-Baxi Ka Talab xx. 227205-Itaunja xxi. 227207-FFTC Indaurabagh</p> <p>(c) Any other area, within the district of Lucknow, not covered by Postal Index Number (PIN) Codes as mentioned in item (b) of column (4) and also not covered under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Lucknow-2.</p>	<p>mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) whose principal source of income is not from "Salary" or "Pension";</p> <p>(d)(i) all cases of persons referred to in item (d) of column (5) having principal source of income as "Salary" and/or "Pension" from:</p> <p>(A) Central Government (Government of India), Central Government Corporations or Undertakings or Institutions;</p> <p>(B) Public Sector Banks, Cooperative Banks, Regional Rural Banks, Reserve Bank of India (RBI), National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) and all other Banks (Private or Government Controlled or Owned);</p> <p>(C) Life Insurance Corporation of India (LIC), General Insurance Corporation (GIC) and other Public Sector Insurance Companies, and</p> <p>(D) Private Sector Employers or Establishments.</p> <p>(ii) All cases of persons referred to in item (d) of column (5) having principal source of income as Salary and/or Pension not covered by cases or classes of cases as mentioned in sub-item (i) of item (d) above and not covered under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Lucknow-2.</p>
			(d) District of Unnao	(f) Persons other than companies deriving	(e) All cases of persons referred to in

				<p>income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	<p>corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) ;</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>
183	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Lucknow-2	Lucknow, Uttar Pradesh	<p>In the State of Uttar Pradesh:-</p> <p>(a) District of Lucknow</p> <p>(b) Areas falling under the following Postal Index Number (PIN) Codes of Lucknow District:-</p> <p>i. 226002-Dilkusha</p> <p>ii. 226003-Lucknow Chowk</p> <p>iii. 226004-Aishbagh</p> <p>iv. 226005-Alambagh</p> <p>v. 226008-Ind. Area Sarojini Nagar</p> <p>vi. 226009-Amausi</p> <p>vii. 226011-Manaknagar</p> <p>viii. 226012-LDA Colony</p> <p>ix. 226014-SGPGI</p> <p>x. 226017-Rajaji Puram</p> <p>xi. 226018-Aminabad</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and</p>	<p>(a) All cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "K" or "L" or "M" or "N" or "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z"</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5) whose principal source of</p>

			<p>Park xii. 226020-Daliganj xiii. 226025-Bhim Rao Ambedkar University xiv. 227101-Banthra xv. 227120-Amethi xvi. 227125-Gosaiganj xvii. 227305-Mohanlal Ganj xviii. 227308-Nagram xix. 227309-Nigohan</p>	<p>whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>income is not from “Salary” or “Pension”;</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) of column (5) having principal source of income as “Salary” and/or “Pension” from Government of Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Corporations or Undertakings or Institutions, Local Bodies, Autonomous Bodies.</p>
			(c) District of Barabanki	<p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5);</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>
184	Principal Commissioner/	Faizabad, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh:-	(a) Persons other than companies deriving	(a) All cases of persons referred to in

	Commissioner of Income-tax, Faizabad		Districts of Faizabad, Sultanpur, Amethi, Pratapgarh, Rae Bareilly, Jaunpur, Basti, Gonda, Bahraich, Balrampur, Shrawasti, Ambedkar Nagar, Siddharth Nagar & Sant Kabir Nagar.	<p>income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
185	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Allahabad	Allahabad, Uttar Pradesh	<p>In the State of Uttar Pradesh:-</p> <p>Districts of Allahabad, Mirzapur, Fatehpur, Sonebhadra and Kaushambi</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
186	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Varanasi	Varanasi, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh:- Districts of Varanasi, Bhadohi (Sant Ravi Das Nagar), Ballia, Ghazipur and Chandauli	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
187	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gorakhpur	Gorakhpur, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh:- Districts of Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Kushinagar and Maharajganj	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in

				<p>income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
188	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bareilly	Bareilly, Uttar Pradesh	<p>In the State of Uttar Pradesh:-</p> <p>Districts of Bareilly, Shahjahanpur, Pilibhit, Hardoi, Sitapur and Lakhimpur Kheri</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

189	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Moradabad	Moradabad, Uttar Pradesh	In the State of Uttar Pradesh:- Districts of Moradabad, Bijnore, Rampur, Badaun, Amroha (Jyotiba Phule Nagar) and Sambhal	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
190	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1	Mumbai, Maharashtra	(a) MCGM Ward A other than PIN codes - 400005 & 400021, including area covered by PIN Code - 400001 & 400020 & falling on the Western side of : (i) D N Road till Flora fountain and (ii) M G Road from Flora fountain upto S P Mukherjee Chowk (iii) Shahid Bhagat Singh Marg, from S P Mukerjee Chowk to Jagannath Palav Chowk	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;

					(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas covered by Municipal Corporations of Greater Mumbai and Navi Mumbai	(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) being Cooperative Banks
191	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2	Mumbai, Maharashtra	(a) MCGM Ward A other than PIN Codes – 400005 and 400021, including PIN Code - 400023, 400038, 400039, and falling on the eastern side of : (i) DN Road till Flora Fountain and (ii) MG Road from Flora fountain upto S P Mukherjee Chowk (iii) Shahid Bhagat Singh Marg, from S P Mukerjee Chowk to Jagannath Palav Chowk.	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or

					secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas covered by Municipal Corporations of Greater Mumbai and Navi Mumbai-	(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) being Banking Companies as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) including any Bank or Banking Institutions referred to in Section 51 of that Act, other than Cooperative Banks and Foreign Banks in the entire areas covered by the Municipal Corporations of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal corporation
192	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3	Mumbai, Maharashtra	(a) MCGM Ward A bearing the PIN Codes 400005, 400021 of Mumbai -	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas within the	(c) Persons other than	(c) All cases of persons

			limits of Municipal Corporations of Greater Mumbai and Navi Mumbai.	companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);	referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) being Public Financial Institutions as defined under section 4A of Companies Act, 1956
193	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4	Mumbai, Maharashtra	(a) MCGM Ward C, including area covered by PIN Code - 400002 and 400032 of Mumbai.	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) Areas covered by Municipal Corporations of Greater Mumbai and Navi Mumbai	(c) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b)	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) being (i) Members of National Stock Exchange and/or Members of Mumbai Stock Exchange and/or

				of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);	over the counter of Exchange of India. (ii) Sub-brokers associated with persons mentioned in (i) above.
194	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5	Mumbai, Maharashtra	(a) MCGM Ward D, including Area covered by PIN Code 400004, 400006, 400007, 400008, 400026, 400030, 400035 and 400036 of Mumbai	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) All areas of Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai.	(c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) being Companies whose principal source of income from operations of ships, hovercrafts, aircrafts and helicopters; (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) above.

195	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-6	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward B, E, F, G, including Area Covered by PIN Code No. 400003, 400009, 400010, 400011, 400012, 400013, 400014, 400015, 400016, 400017, 400018, 400019, 400022, 400025, 400027, 400028, 400031, 400033, 400034 and 400037, of Mumbai	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "I" or "J" or "K" other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
196	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-7	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward B, E, F, G, including Area Covered by PIN Code No. 400003, 400009, 400010, 400011, 400012, 400013, 400014, 400015, 400016, 400017, 400018, 400019, 400022, 400025, 400027, 400028, 400031, 400033, 400034 and 400037, of Mumbai.	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "G" or "H" or "L" or "M" or "N" or "O" or "P" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/

					<p>Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>
197	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-8	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward B, E, F, G, including Area Covered by PIN Code No. 400003, 400009, 400010, 400011, 400012, 400013, 400014, 400015, 400016, 400017, 400018, 400019, 400022, 400025, 400027, 400028, 400031, 400033, 400034 & 400037, of Mumbai.	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>

198	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-9	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward K(E) and K(W) , including Area Covered by PIN Code No. 400029, 400049, 400053, 400056, 400057, 400058, 400059, 400060, 400061, 400069, 400072, 400093, 400096, 400099, 400102 of Mumbai.	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
199	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-10	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward K(E) and K(W) , including Area Covered by PIN Code No. 400029, 400049, 400053, 400056, 400057, 400058, 400059, 400060, 400061, 400069, 400072, 400093, 400096, 400099, 400102 of Mumbai.	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" or "N" or "O" or "P" other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/

					<p>Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>
200	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-11	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward K(E) and K(W), including Area Covered by PIN Code No. 400029, 400049, 400053, 400056, 400057, 400058, 400059, 400060, 400061, 400069, 400072, 400093, 400096, 400099, 400102 of Mumbai.	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>

201	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-12	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward H(W), P(N), P(S), R(N) and R(S), including Area Covered by PIN Code No. 400050, 400052, 400054, 400062, 400063, 400064, 400065, 400066, 400067, 400068, 400090, 400091, 400092, 400095, 400097, 400101 400103, 400104 of Mumbai	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M" other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
202	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-13	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward H(W), P(N), P(S), R(N) and R(S) of Mumbai, including area covered by PIN Code No. 400050, 400052, 400054, 400062, 400063, 400064, 400065, 400066, 400067, 400068, 400090, 400091, 400092, 400095, 400097, 400101 400103, 400104 of Mumbai.	(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "N" or "O" or "P" or "Q" or "R" or "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2;

					<p>Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai- 16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>
203	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-14	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward H(E), L, M(E), M(W) and N of Mumbai, including area covered by PIN Code No. 400024, 400043, 400051, 400055, 400070, 400071, 400073, 400074, 400075, 400077, 400079, 400084, 400085, 400086, 400088, 400089, 400094, 400098 of Mumbai.	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai- 16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>

204	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-15	Mumbai, Maharashtra	<p>(a) MCGM Ward S & T, including area covered by PINCODE 400041, 400042, 400076, 400078, 400080, 400081, 400082, 400083, and 400087 of Mumbai</p> <p>(b) Navi Mumbai Municipal Corporation, including area covered by PIN codes 400611, 400613, 400614, 400615, 400701, 400703, 400705, 400706, 400708, 400709 and 400710 of Navi Mumbai</p>	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) other than cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-2; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-3; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4; Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-5 and Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>
205	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16	Mumbai, Maharashtra	Area Covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956</p>	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) whose principal source of income is from any activity associated with movies, all types of films, television media, dramatics, performing arts, entertainment industry (including audio or video production, distribution, display, software support, infrastructural support or technical support to the industry), stage shows, operation of cable and radio network, ownership and/or operation of motion picture studios, cinema halls and theatres, and also

				<p>and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>including cases of artists connected with the aforesaid fields, including video, radio and disc jockeys;</p> <p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961;</p> <p>(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) and (b) above.</p>
206	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-17	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward A, B, including area covered by PIN Codes No.400001, 400003 400005, 400009 400020, 400021, 400023, 400032, 400038 and 400039 of Mumbai	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:-</p> <p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/</p>

					Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
207	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-18	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward C covered by PIN Code other than PIN code 400004.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:-</p> <p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;</p>
208	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai – 19	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward D other than PIN Code - 400008, including area Covered by PIN Code No. 400004, 400006, 400007, 400026, 400034, 400035, 400036 of Mumbai	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:-</p> <p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;</p>

209	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai –20	Mumbai, Maharashtra	(a) MCGM Ward E and F, including area Covered by PIN Code No. 400010, 400012, 400014, 400015, 400019, 400027, 400030, 400031, 400033 of Mumbai (b) MCGM Ward D covered by PIN 400008 only.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a) and (b) of column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i)cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
210	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai –21	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward G, including area Covered by PIN Code No. 400011, 400013, 400016, 400017, 400018, 400025, 400028 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i)cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
211	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -22	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward H, Covered by PIN Code No. 400029, 400052, 400054, 400055, 400098 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:-

				<p>profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;</p>
212	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-23	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward H, including area Covered by PIN Code No. 400050, 400051, of Mumbai	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:-</p> <p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-22;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;</p>
213	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -24	Mumbai, Maharashtra	Andheri, including area Covered by PIN Code Nos. 400053, 400058, 400059, 400061, 400069, 400093, 400096 400099 of Mumbai.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) whose first names begin with the</p>

				<p>within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);</p>	<p>alphabet 'A', or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q' or 'R' other than:-</p> <p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;</p>
214	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -25	Mumbai, Maharashtra	(a) Andheri including PIN Codes 400053, 400058, 400059, 400061, 400069, 400093, 400096 and 400099 of Mumbai	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) whose first names begin with the alphabet "S" or "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" other than the :-</p> <p>(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16;</p> <p>(ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/</p>

					Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
			(b) Vile Parle Juhu including PIN Code 400049, 400056, and 400057, of Mumbai	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than:- (i)cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
215	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -26	Mumbai, Maharashtra	Sakinaka, Kurla, Sion, Koliwada, Chunabhatti, Antop Hill, Saki Vihar Road and Powai, including Area covered by PIN Code 400022, 400024, 400037 400070, 400072, 400076 and 400087 of Mumbai.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i)cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;

216	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -27	Mumbai, Maharashtra	MCGM Ward M Chembur and MCGM Ward N Ghatkopar, including area covered by PIN Code No. 400043, 400071, 400073, 400074, 400075, 400077, 400084, 400085, 400086, 400088, 400089, 400094 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i)cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
217	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -28	Mumbai, Maharashtra	Navi MumbaiMunicipal Corporation,including area covered by PIN Code No.400611, 400613, 400614, 400615, 400701, 400703, 400705, 400706, 400708, 400709, 400710 of Navi Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i)cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction ofPrincipal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
218	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -29	Mumbai, Maharashtra	Vikhroli, Kanjurmarg, Bhandup and Mulund, including area covered by PIN Code No. 400042, 400078, 400079, 400080,	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:-

			400081, 400082 and 400083 of Mumbai	profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
219	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -30	Mumbai, Maharashtra	Malad, including area covered by PIN Code No. 400064, 400095 and 400097 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
220	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -31	Mumbai, Maharashtra	Jogeshwari and Goregaon, including area covered by PIN Code No. 400041, 400060, 400062, 400063, 400065, 400090, 400102 and 400104 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i) cases falling under the jurisdiction of Principal

				(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
221	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai -32	Mumbai, Maharashtra	Borivali & Dahisar, including area covered by PIN Code No.400066, 400068, 400091, 400092, 400103 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from “Salary” or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
222	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-33	Mumbai, Maharashtra	Kandivali, including Area covered by PIN Code No.400067 and 400101 of Mumbai	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) other than:- (i) cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-4, Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-

				whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	16; (ii) cases of persons whose principal source of income is from "Salary" or cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 or Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-35;
223	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai -34	Mumbai, Maharashtra	Area Covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4).	(a) all cases of persons referred to in corresponding item (a) of column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-1 to Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16 whose principal source of income is from "Salary" and are : (a) Judges (b) Employees or pensioners of : (i) Central Government (ii) Central/Semi-Government undertakings (iii) State government and its public sector undertaking (iv) Consulates
224	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-35	Mumbai, Maharashtra	Area Covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation	(a) Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) column (5) other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-1 to Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai-16 and Principal

					Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-34 and whose principal source of income is from “Salary”.
225	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nagpur-1	Nagpur Maharashtra	In the State of Maharashtra: (a) Municipal wards 1, 2, 3, 4 and 87 to 98 of Nagpur Municipal Corporation as notified by Govt. of Maharashtra, Department of Urban Development vide Notification No. NMC- 1091-220-CR-35-91-UD- 20 dated 30.09.1991.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) other than those whose principal source of income is from “Salary” or (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).
			In the State of Maharashtra: (b) Districts of Amravati, Akola, Buldhana & Washim	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (g) persons being companies registered	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).

				under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) column (4); (h) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).	
226	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax Nagpur-2	Nagpur Maharashtra	In the State of Maharashtra: (a) District of Nagpur	(a) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (a) of column (5) whose principal source of income is from “Salary” and who are employees or pensioners of : (i) Central Government Departments (ii) Central Government Undertakings, and (iii) Banking Institutions referred to in section 51 of the Banking Regulation Act, 1949.
			In the State of Maharashtra: (b) Districts of Bhandara, Wardha and Yavatmal.	(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons being individuals referred to	(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b), (c) and (d) of column (5) or (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				in item (b) of column (6).	
			<p>In the State of Maharashtra:</p> <p>(c) Municipal wards 55, 56, 72, 73, 74 and 76 to 86 of Nagpur Municipal Corporation as notified by Govt. of Maharashtra, Department of Urban Development vide Notification No. NMC-1091-220-CR-35-91-UD-20 dated 30.09.1991;</p> <p>(d) All Tahsils of District of Nagpur other than Nagpur city.</p>	<p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) other than those whose principal source of income is from "Salary"</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>
227	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax Nagpur -3	Nagpur Maharashtra	<p>In the State of Maharashtra:</p> <p>(a) District of Nagpur</p>	<p>(a) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and who are-</p> <p>(i) employees or pensioners of State Government, State Government Undertakings, Insurance companies, Maharashtra State Electricity Board (MSEB), Educational Institutions</p> <p>(ii) persons other than those falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nagpur-2</p>

			<p>In the State of Maharashtra:</p> <p>(b) Districts of Gondia, Chandrapur and Gadchiroli</p>	<p>(b) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).</p>	<p>(b) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b), (c) and (d) of column (5)</p> <p>(c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (d) of column (5).</p>
			<p>In the State of Maharashtra:</p> <p>(c) Municipal wards 5 to 54, 57 to 71 and 75 of Nagpur Municipal Corporation as notified by Govt. of Maharashtra, Department of Urban Development vide Notification No. NMC-1091-220-CR-35-91-UD-20 dated 30.09.1991.</p>	<p>(f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area</p>	<p>(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f), (g) and (h) of column (5) other than those whose principal source of income is from "Salary" or</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>

				mentioned in item (c) of column (4); (i) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	
228	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Patna-1	Patna, Bihar	a) In the state of Bihar: District of Patna.	(a) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6).	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5), and whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as notified by the Board in the Official Gazette under sub section (1) of section 44AA of the Income tax Act, 1961; (b) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5); (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (b) of column (5).
			b) District of Gaya, Jahanabad, Arwal, Aurangabad, Rohtas, Kaimur, Vaishali, Nawada, Nalanda, Bhojpur and Buxar	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) ; (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5).

				Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	
229	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Patna-2	Patna, Bihar	In the state of Bihar - District of Patna	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) or other than the cases falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Patna-1.
230	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Muzaffarpur.	Muzaffarpur , Bihar	In the state of Bihar: Districts of Muzaffarpur, East Champaran, West Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran, Sitamarhi, Sheohar, Madhubani, Darbhanga, Samastipur and area falling under Nirmali Sub-Division of Supaul District.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in column (4); (c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5); (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).

				<p>registered office or principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons being individual referred to in item (b) of column (6).</p>	
231	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhagalpur.	Bhagalpur, Bihar	<p>In the state of Bihar :</p> <p>Districts of Bhagalpur, Munger, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui, Banka, Katihar, Purnea, Kishanganj, Araria, Supaul (excluding Nirmali Sub-Division), Madhepura, Saharsa, Begusarai and Khagaria.</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
232	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ranchi	Ranchi, Jharkhand	<p>In the state of Jharkhand:</p> <p>Districts of Ranchi, Garhwa, Palamu, Latehar, Lohardagga, Gumla and Simdega.</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in</p>

				<p>or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	item (c) of column (5).
233	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jamshedpur.	Jamshedpur, Jharkhand	In the state of Jharkhand : Districts of East Singhbhum, West Singhbhum and Saraikela-Kharsawan.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

234	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Dhanbad	Dhanbad, Jharkhand	In the state of Jharkhand: Districts of Dhanbad, Giridih, Deoghar, Dumka, Jamtara, Godda, Sahebganj and Pakur.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>
235	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hazaribagh.	Hazaribagh, Jharkhand	In the state of Jharkhand: Districts of Hazaribagh, Koderma, Chatra and Bokaro.	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5);</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5).</p>

				Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
236	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-1	Pune, Maharashtra	In the State of Maharashtra - (a) District of Pune other than areas under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I"; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) District of Ahmednagar.	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (e) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (c), (d) and (e) of column (5); (d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (e) of column (5);

				<p>principal place of business in the area mentioned in column (4);</p> <p>(f) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	
			(c) District of Pune	<p>(g) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing outside the territorial area mentioned in item (c) of column (4), and who were residing, at the time of departure from the taxable territory, in area mentioned in item (c) of column (4);</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and who are employees of Defence services, under audit control of CDA (O) other than employees attached to the military accounts department;</p> <p>(f) all cases of persons, whose principal source of income is from salary, and who are employees of defence services, residing presently outside the taxable territories, who at the time of departure from the taxable territory were under Audit control of CDA (O) and who are not under the audit control of any other audit officer in respect of accounting period during which they were defence services employees;</p>
			(d) District of Pune, other than areas under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax of Income-tax, Pune-5	(i) persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);	(g) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (i) of column (5) whose principal source of income is from legal, medical, engineering or architectural profession or the profession of accountancy or technical consultancy or interior decoration or any other profession as is notified by the Board in the Official Gazette under sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961";

					(h) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (i) of column (5) being insurance agents;
237	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-2	Pune, Maharashtra	In the State of Maharashtra - (a) District of Pune other than areas under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income- tax, Pune-5;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column 4; (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "N" or "O" or "P" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) areas within the District of Pune- (i) which is falling within following PIN codes: 411003 411004 411005 411007 411008 411010 411012 411016 411020 411021 411027 411029 411031 411038 411045 411052 411053 411057 411058 412115, and (ii) area falling within the limits of Mulshi Taluka	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary.

			(c) District of Pune, other than areas under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5	(e) persons referred to item (d) of column (6), being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and who are: (i) Employees of Central Government, State Government, Local Government, Local Cantonment Boards, all Central Government Undertakings/Corporations, all State Government Undertakings/Corporations, all Public Sector Undertakings and other Government of India Undertakings, Public Sector Banks, Pune University. or (ii) Pensioners;
238	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-3	Pune, Maharashtra	In the State of Maharashtra - (a) District of Pune other than areas under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of Column 4; (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "Q" or "R" or "S"; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.
			(b) areas within the District of Pune- (i) which is falling within following PIN Codes: 411002 411009 411011 411023 411024 411025 411037 411041 411042 411043 411046	(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary.

			411051 412205 and (ii) area falling within the limits of Bhor Taluka and Velhe Taluka	mentioned in item (b) of column (4);	
			(c) District of Satara;	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5); (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5);
239	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-4	Pune, Maharashtra	In the State of Maharashtra - (a) District of Pune other than areas under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5;	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column 4; (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "T" or "U" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" ; (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in

					item (a) above.
			<p>(b) areas within the District of Pune-</p> <p>(i) which is falling within following PIN Codes:</p> <p>411001 411006 411014 411015 411030 411032 411047 412207 412216</p> <p>(ii) area falling within the limits of Shirur Taluka</p>	<p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p>	(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary.
			(c) District of Pune, other than areas falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5;	(e) Persons referred to in item (d) of column(6), being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5), whose principal source of income is from "Salary" excluding the employees of defence services, Central Government, State Government, Local Government, all Central Government Undertakings/Corporations, all State Government Undertakings/Corporations, all Public Sector Undertakings and other Government of India Undertakings, Public Sector Banks.
240	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5	Pune, Maharashtra	<p>In the State of Maharashtra -</p> <p>Areas within the District of Pune-</p> <p>(a) which is falling within following PIN Codes:</p> <p>411012 411017 411018 411019 411026 411027 411031 411033</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a), (b) and (c) of column (5) or other than those who are employees of Defence Services under audit control of CDA(O) ;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in</p>

			<p>411034 411035 411039 411044 411057, or within the municipal limits of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation,</p> <p>b) within the limits of Dehu Cantonment,</p> <p>c) within the limits of Maval (Wadgaon) Taluka, Khed Taluka, Ambegan (Ghodegaon) Taluka and Junnar Taluka.</p>	<p>of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p>	<p>corresponding entry in item (c) of column (5);</p>
241	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-6	Pune, Maharashtra	<p>In the State of Maharashtra -</p> <p>(a) District of Pune other than areas under jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5;</p>	<p>(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or having its principal place of business in the area mentioned in item (a) of column 4;</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "J" or "K" or "L" or "M"</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above.</p>
			<p>(b) areas within the District of Pune-</p> <p>(i) which is falling within following PIN Codes:</p> <p>411013 411022 411028 411036 411040 411048 412201 412202 412210 412307 412308, and</p> <p>(ii) area falling within the limits of Baramati Taluka,</p>	<p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b)</p>	<p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from salary.</p>

			Daund Taluka Indapur Taluka, and Saswad (Purandar) Taluka	of column (4);	
			(c) District of Solapur	(e) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (f) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (h) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5) (e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (g) of column (5);
242	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolhapur-1	Kolhapur, Maharashtra	In the state of Maharashtra, (a) District of Sangli. (b) All Talukas of Kolhapur District except Talukas of Shirol and Hathkanagale (c) All Talukas of Kolhapur District except Talukas of Shirol, Hathkanagale and Karveer (d) Municipal wards "A", "B", "C" & "D" of Kolhapur City.	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (c) and (d) of column (4); (b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area	(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5) (b) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) (c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet "M" or "N" or "O" or "P" or "Q" or

			<p>(e) All talukas of District of Kolhapur, including Kolhapur City, except Talukas of Shirol and Hathkanagale, but includes area of MIDC Shirol of Hathkanagale Taluka.</p>	<p>mentioned in items (a), (b) and (d) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	<p>“R” or “S” or “T” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z”</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in items (b) and (c) above.</p>
243	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolhapur-2	Kolhapur, Maharashtra	<p>In the state of Maharashtra,</p> <p>(a) Districts of Sindhudurg and Ratnagiri.</p> <p>(b) Talukas of Shirol and Hathkanagale in the District of Kolhapur, but excludes area of MIDC Shirol of Hathkanagale Taluka.</p> <p>(c) Municipal ward “E” of Kolhapur City</p> <p>(d) All talukas of District of Kolhapur, including Kolhapur City, except Talukas of Shirol and Hathkanagale, but includes area of MIDC Shirol of Hathkanagale Taluka.</p> <p>(e) Karveer Taluka of Kolhapur District.</p>	<p>(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (e) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (a), (b) and (c) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (a) and (b) of column (5)</p> <p>(b) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5)</p> <p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (d) of column (5) being companies whose names begin with the alphabet A” or “B” or “C” or “D” or “E” or “F” or “G” or “H” or “I” or “J” or “K” or “L”</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in</p>

				<p>registered office or principal place of business in the area mentioned in items (a) and (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals referred to in item (d) of column (6).</p>	items (b) and (c) above.
244	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-1	Thane, Maharashtra	<p>In the State of Maharashtra</p> <p>(a) Thane Taluka including the area of Mira-Bhayander and other than the areas under Thane Municipal Corporation in the district of Thane.</p>	<p>(a) Persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (e) of column (6).</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in item (a) of column (5), whose principal source of income is from "Salary" and whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O';</p> <p>(b) All cases of persons other than those whose principal source of income is from "Salary", referred to in item (a) of column (5)</p> <p>(c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (b) and (c) of column (5)</p> <p>(d) All cases of persons referred to in item (e) of column (5).</p> <p>(e) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5);</p>

				(e) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);	
			(b) Thane Municipal Corporation in the district of Thane.	<p>(f) Persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (j) of column (6).</p>	<p>(f) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (f) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'L' or 'M' or 'N' or 'O';</p> <p>(g) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (f) of column (5) or other than those whose principal source of income is from "Salary" and whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or "L" or "M";</p> <p>(h) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose names begin with the alphabet 'A' or 'B' or 'C' or 'D' or 'E' or 'F' or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or "L" or "M";</p> <p>(i) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (h) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or "M";</p> <p>(j) all cases of individuals being</p>

					managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) above.
			(c) Kalyan Taluka, Shahapur Taluka, Bhiwandi Taluka, Murbad Taluka in the district of Thane.	(j) Persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(k) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (j) of column (5) whose principal source of income is from "Salary"
			(d) Kalyan Taluka in the district of Thane.	(k) Persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (d) of column (4); (l) persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (d) of column (4); (m) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area mentioned in item (d) of column (4);	(l) All cases of persons referred to in item (k) of column (5) (m) All cases of persons referred to in item (l) of column (5) other than those cases whose principal source of income is from "Salary" or (n) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (m) of column (5)
245	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-2	Thane, Maharashtra	In the State of Maharashtra (a) Thane Taluka including Mira Bhayander and Thane Municipal Corporation, in the district of Thane.	(a) Persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and whose names begin with "P" or "Q" or "R" or "S" or

				mentioned in item (a) of column (4);	“T” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z”;
			(b) Thane Municipal Corporation in the district of Thane	<p>(b) persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(c) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons being individuals referred to in item (d) of column (6);</p> <p>(e) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).</p>	<p>(b) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) or other than those whose principal source of income is from “Salary” and whose names begin with the alphabet “N” or “O” or “P” or “Q” or “R” or “S” or “T” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z”;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose names begin with the alphabet “N” or “O” or “P” or “Q” or “R” or “S” or “T” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z”;</p> <p>(d) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (c) above.</p> <p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (e) of column (5)</p>
			(c) Bhiwandi Taluka in the District of Thane	<p>(f) Persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business</p>	<p>(f) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (f) and (h) of column (5)</p> <p>(g) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5) whose principal source of income is from “Salary”</p>

				<p>or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p>	
			<p>(d) Kalyan Taluka, Shahapur Taluka, Bhiwandi Taluka, Murbad Taluka, Ulhasnagar Taluka, Ambernath Taluka in the district of Thane.</p>	<p>(i) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4);</p> <p>(j) persons being individuals referred to in item (h) of column (6).</p>	<p>(h) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (i) of column (5)</p> <p>(i) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (i) of column (5).</p>
			<p>(e) District of Raigad</p>	<p>(k) Persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(l) persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(m) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area</p>	<p>(j) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (k), (l), (m) and (n) of column (5)</p> <p>(k) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (n) of column (5).</p>

				<p>mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(n) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (e) of column (4);</p> <p>(o) persons being individuals referred to in item (k) of column (6).</p>	
246	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-3	Thane, Maharashtra	In the State of Maharashtra (a) District of Palghar	<p>(a) Persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(c) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (a), (b), (c) and (d) of column (5)</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (d) of column (5).</p>

				mentioned in item (a) of column (4); (e) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).	
			(b) Ulhasnagar Taluka, Ambernath Taluka of Thane District	(f) persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (f) of column (5) whose principal source of income is from "Salary"
			(c) Ulhasnagar Taluka, Ambernath Taluka, Shahapur Taluka, Murbad Taluka of Thane District.	(g) persons other than companies and Co-operative Societies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (h) Persons other than companies and cooperative societies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (i) persons being co-operative societies (including co-operative Banks) situated within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (g) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" (e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (h) and (i) of column (5)
247	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nashik-1	Nashik Maharashtra	In the State of Maharashtra, (a) District of Nashik other than the areas falling within the Talukas of (i) Malegaon,	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet "A" or "B" or "C" or "D" or "E" or "F" or "G" or "H" or "I" or "J" or "K" or "L" or

		<p>(ii) Satana, (iii) Nandgaon, (iv) Chandwad and (v) Yeola</p>	<p>mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (g) of column (6);</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons being Co-operative Societies, association of persons, body of individuals, local authorities and artificial juridical persons residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(e) persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4).</p>	<p>“M” or “T” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z”;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is other “Salary”, and whose surnames begin with the alphabet “A” or “B” or “C” or “D” or “E” or “F” or “G” or “H” or “I” or “J” or “K” or “L” or “M” or “W” or “X” or “Y” or “Z” in the case of individuals and of those persons whose name begin with the alphabet “A” or “B” or “C” or “D” or “E” or “F” or “G” or “H” or “I” or “J” or “K” or “L” or “M” or “W” or “X” or “Y” or “Z”</p> <p>d) all cases of persons referred to in corresponding item (e) of column (5) whose principal source of income is from “Salary” and whose employers’ names begin with the alphabet “M” or “N” or “O” or “P” or “Q” or “R” or “S” or “T” or “U” or “V” or “W” or “X” or “Y” or “Z”.</p>
		<p>(b) Talukas of Nasik District Malegaon, Satana, Nandgaon, Chandwad and Yeola</p> <p>(c) Districts of Dhule and Nandurbar</p>	<p>(f) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (f), (g) and (h) of column (5)</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the</p>

				<p>(g) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).
248	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nashik -2	Nashik Maharashtra	<p>In the State of Maharashtra,</p> <p>(a) District of Nashik other than the areas falling within the Talukas of</p> <p>(i) Malegaon, (ii) Satana, (iii) Nandgaon, (iv) Chandwad and (v) Yeola</p>	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in items (b) and (c) of column (4);</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet “N” or “O” or “P” or “Q” or “R” or “S”;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) other than those cases whose principal source of income is “Salary” or and whose surnames begin with the alphabet “N” or “O” or “P” or “Q” or “R” or “S” or “T” or “U” or “V” in the case of individuals and of those persons whose name begin with the alphabet “N” or “O” or</p>

					<p>“P” or “Q” or “R” or “S” or “T” or “U” or “V”.</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding item (c) of column (5) whose principal source of income is from “Salary” and whose employers’ names begin with the alphabet “A” or “B” or “C” or “D” or “E” or “F” or “G” or “H” or “I” or “J” or “K” or “L”.</p>
			(b) District of Jalgaon	<p>(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(f) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(g) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (d), (e) and (f) of column (5)</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (f) of column (5).</p>
249	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aurangabad - 1	Aurangabad Maharashtra	<p>In the state of Maharashtra,</p> <p>(a) district of Aurangabad</p> <p>(b) all talukas of Aurangabad district excluding Aurangabad taluka</p>	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet ‘A’ or ‘B’ or ‘C’ or ‘D’ or ‘E’ or ‘F’ or ‘G’ or ‘H’ or ‘I’</p>

				<p>business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6).</p> <p>(c) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p>	<p>or ‘J’ or ‘K’ or ‘L’ or ‘M’ or ‘N’ or ‘O’ or ‘P’ or ‘Q’ or ‘R’;</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from “Salary” and who are employees of Central Government, State Government and Private Sector Companies;</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in item (d) and (e) of column (5)</p>
			<p>(c) Districts of Parbhani, Hingoli, Jalna and Nanded</p>	<p>(f) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(g) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(h) persons being</p>	<p>(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (f), (g) and (h) of column (5)</p> <p>(f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).</p>

				<p>companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).</p>	
250	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aurangabad -2	Aurangabad Maharashtra	<p>In the state of Maharashtra, (a) District of Aurangabad</p> <p>(b) Aurangabad taluka in the district of Aurangabad</p>	<p>(a) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6);</p> <p>(c) persons, being salaried employees excluding employees of Central Government, State Government and Private Sector Companies and posted or residing within the territorial area mentioned in item (a) of column (4);</p> <p>(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or</p>	<p>(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'S' or 'T' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z';</p> <p>(b) all cases of individuals being managing director or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (a) above;</p> <p>(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) whose principal source of income is from "Salary" and who are employees excluding employees of Central Government, State Government and Private Sector Companies;</p> <p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in item (d) and (e) of column (5)</p>

				profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	
			(c) Districts of Beed, Latur and Osmanabad	(f) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (h) persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (c) of column (4); (i) persons being individuals referred to in item (f) of column (6).	(e) All cases of persons referred to in corresponding entries in item (f), (g) and (h) of column (5) (f) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).

SCHEDULE - II

Sl. No.	Designation of Income-tax Authorities	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1	Ahmedabad, Gujarat	All cases falling within the territory of State of Gujarat, Districts of Ahmedabad, Gandhinagar, Mehsana, Patan, Banaskantha, Aravalli, Sabarkantha, Bhavnagar, Botad and Surendranagar, other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 1 to 8 of Schedule-I

2.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-1	Surat, Gujarat	All cases falling within the territory of State of Gujarat, Districts of Surat, Tapi, Navsari, Dang and Valsad, and Union Territories of Daman, Dadra and Nagar Haveli (Silvassa) other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 9 to 12 of Schedule-I
3.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-1	Vadodara, Gujarat	All cases falling within the territory of State of Gujarat, Districts of Vadodara, Kheda, Anand, Bharuch, Panchmahal, Mahisagar, Dahod, Narmada and Chhota Udaipur other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 13 to 16 of Schedule-I
4.	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-1	Rajkot, Gujarat	All cases falling within the territory of State of Gujarat, Districts of Rajkot, Kutch, Jamnagar, Junagadh, DevbhumiDwarka, Morbi, GirSomnath, Porbandar and Amreli and Union Territory of Diu other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 17 to 20 of Schedule-I
5	Principal Commissioner /Commissioner of Income-tax, Bangalore-1	Bangalore, Karnataka	All cases falling within the territory of State of Karnataka and Goa other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 21 to 34 of Schedule-I
6	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-1	Bhopal, Madhya pradesh	All cases falling within the territory of State of Madhya Pradesh and Chattisgarh other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 35 to 45 of Schedule-I
7	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar-1	Bhubaneswar, Odisha	All cases falling within the territory of State of Odisha other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 46 to 49 of Schedule-I
8	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chandigarh-1	Chandigarh	All cases falling within the territory of State of Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana and Union territory of Chandigarh other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 50 to 68 of Schedule-I
9	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-I	Chennai, Tamil Nadu	All cases falling within the territory of State of Tamil Nadu and Union territory of Puducherry other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 69 to 87 of Schedule-I
10	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-3	Delhi	All cases falling within the territory of Delhi other than the cases assigned to Principal Commissioners/Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 88 to 111 of Schedule-I
11	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-1	Guwahati, Assam	All cases falling within the territory of State of Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 112 to 116 of Schedule-I

12	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Hyderabad-1	Hyderabad, Telangana	All cases falling within the territory of State of Telangana other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 117 to 123 of Schedule-I
13	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Vijayawada	Vijayawada, Andhra Pradesh	All cases falling within the territory of State of Andhra Pradesh and District of Yanam of Union Territory of Puducherry other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 124 to 130 of Schedule-I
14	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jaipur-1	Jaipur, Rajasthan	All cases falling within the territory of State of Rajasthan other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 131 to 140 of Schedule-I
15	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kanpur-1	Kanpur, Uttar Pradesh	All cases falling within the territory of districts of Kanpur Nagar, Kanpur Dehat (Ramabainagar), Jalaun, Hamirpur, Banda, Chitrakoot, Mahoba, Mathura, Auraiya, Agra, Firozabad, Jhansi, Lalitpur, Etawah, Aligarh, Farrukhabad, Kannauj, Etah, Hathras, Mainpuri, Kanshi Ram Nagar (Kasganj), Muzaffarnagar, Shamli, Saharanpur, Meerut, Baghpat, Ghaziabad, Panchsheel Nagar (Hapur), Bulandshahar, Gautam Buddha Nagar of State of Uttar Pradesh and State of Uttarakhand other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 141 to 151 of Schedule-I
16	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kochi-1	Kochi, Kerala	All cases falling within the territory of State of Kerala other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 152 to 157 of Schedule-I
17	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kolkata-1	Kolkata, West Bengal	All cases falling within the territory of State of West Bengal and Sikkim and Union territory of Andaman and Nicobar Islands other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 157 to 181 of Schedule-I
18	Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Lucknow-1	Lucknow, Uttar Pradesh	All cases falling within the territory of districts of Lucknow, Unnao, Barabanki, Faizabad, Sultanpur, Amethi, Rae Bareilly, Pratapgarh, Jaunpur, Basti, Gonda, Bahraich, Balrampur, Shrawasti, Ambedkar Nagar, Siddharth Nagar, SantKabir Nagar, Allahabad, Mirzapur, Fatehpur, Sonbhadra, Kaushambi, Varanasi, Bhadohi (Sant Ravi Das Nagar), Ballia, Ghazipur, Chandauli, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Kushinagar, Maharajganj, Bareilly, Shahjahanpur, Pilibhit, Hardoi, Sitapur, LakhimpurKheri, Moradabad, Bijnore, Rampur, Badaun, Amroha(JyotibaPhule Nagar) and Sambhal of State of Uttar Pradesh other than the cases assigned to Principal Commissioners/Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 182 to 189 of Schedule-I.

19	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai-1	Mumbai, Maharashtra	All cases falling within the territory of Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation in State of Maharashtra other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 190 to 224 of Schedule-I
20	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nagpur-1	Nagpur, Maharashtra	All cases falling within the territory of districts of Nagpur, Bhandara, Gondia, Akola, Washim, Buldhana, Wardha, Yavatmal, Amravati, Chandrapur, Gadchiroli in the State of Maharashtra other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 225 to 227 of Schedule-I
21	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Patna-1	Patna, Bihar	All cases falling within the territory of State of Bihar and Jharkhand other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax mentioned in serial numbers 228 to 235 of Schedule-I
22	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-6	Pune, Maharashtra	All cases falling within the territory of Pune, Ahmednagar, Satara, Solapur, Districts other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax against serial numbers 236 to 241 of Schedule-I
23	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolhapur-2	Kolhapur, Maharashtra	All cases falling within the territory of Kolhapur, Sangli, Ratnagiri and Sindhudurg Districts other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax against serial numbers 242 and 243 of Schedule-I
24	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-3	Thane, Maharashtra	All cases falling within the territory of Thane District, Palghar District and Raigarh district (excluding Navi Mumbai Municipal Corporation) other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax against serial numbers 244 to 246 of Schedule-I
25	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nasik-2	Nasik, Maharashtra	All cases falling within the territory of districts of Nashik, Nandurbar, Jalgaon, Dhule, other than the cases assigned to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax against serial numbers 247 and 248 of Schedule-I
26	Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aurangabad-2	Aurangabad, Maharashtra	All cases falling within the territory of districts of Aurangabad, Beed, Hingoli, Jalna, Latur, Nanded, Osmanabad, Parbhani to Principal Commissioners/ Commissioners of Income-tax against serial numbers 249 and 250 of Schedule-I

[Notification No. 50 /2014/F. No. 187/38/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2753(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 733 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमणों से पहले किए गए अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों जिनके मुख्यालय स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों अथवा ऐसी आय अथवा आय के वर्गों अथवा ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्गों, जिनके सम्बंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों को क्षेत्राधिकार सौंपा गया है, के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुसूची

क्र.सं.	आयकर अधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, गुजरात	अहमदाबाद	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -1 (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -2 (iii) मुख्य आयुक्त या आयकर (टीडीएस) - अहमदाबाद (iv) मुख्य आयकर आयुक्त, राजकोट (v) मुख्य आयकर आयुक्त, सूरत (vi) मुख्य आयकर आयुक्त, वडोदरा
2.	मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1	अहमदाबाद	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -5 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -6
3.	मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-2	अहमदाबाद	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -3 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद -4 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद 7 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गांधीनगर
4.	मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), अहमदाबाद	अहमदाबाद	(i) आयकर आयुक्त (टीडीएस), अहमदाबाद (ii) आयकर आयुक्त (टीडीएस), वडोदरा
5.	मुख्य आयकर आयुक्त, राजकोट	राजकोट	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजकोट -3 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जामनगर
6.	मुख्य आयकर आयुक्त, सूरत	सूरत	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सूरत -3 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वलसाड
7.	मुख्य आयकर आयुक्त, वडोदरा	वडोदरा	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वडोदरा-1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वडोदरा -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वडोदरा -3 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वडोदरा-4
8.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, कर्नाटक और	बंगलौर	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर -1 (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर -2

	गोवा		(iii) मुख्य आयकर आयुक्त, पणजी (iv) मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), बंगलौर (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर -1
9.	मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर -1	बंगलौर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर -2 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर -3 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-4 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मैसूर
10.	मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलौर-2	बंगलौर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर-5 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर -6 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बंगलौर -7 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दावणगेरे (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुलबर्गा
11.	मुख्य आयकर आयुक्त, पणजी	पणजी	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पणजी (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बेलगाम (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हुबली (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मंगलौर
12.	मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), बंगलौर	बंगलौर	(i) आयकर आयुक्त (टीडीएस), बंगलौर (ii) आयकर आयुक्त (टीडीएस), पणजी
13.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, तमिलनाडु	चेन्नई	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई 1 (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-2 (iii) मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई -3 (iv) मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई -4 (v) मुख्य आयकर आयुक्त, कोयंबटूर (vi) मुख्य आयकर आयुक्त, मदुरै (vii) मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुचिरापल्ली (viii) मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), चेन्नई (ix) आयकर आयुक्त (एलटीयू), चेन्नई
14.	मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई -1	चेन्नई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -5 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -9
15.	मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-2	चेन्नई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-2 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -4 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-7
16.	मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई -3	चेन्नई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -3 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -8 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-10
17.	मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई -4	चेन्नई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई -6 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पुडुचेरी
18.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोयंबटूर	कोयंबटूर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोयंबटूर 1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोयंबटूर 2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोयंबटूर 3
19.	मुख्य आयकर आयुक्त, मदुरै	मदुरै	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मदुरै 1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मदुरै 2

	तेलंगाना		(ii) मुख्य आयकर आयुक्त, विजयवाड़ा (iii) मुख्य आयकर आयुक्त, विशाखापत्तनम (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद 1 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद -4 (vi) आयकर आयुक्त (टीडीएस), हैदराबाद.
34.	मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद	हैदराबाद	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद -2 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद -3 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद 5 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद -6 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हैदराबाद 7
35.	मुख्य आयकर आयुक्त, विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुंटूर (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, विजयवाड़ा (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, तिरुपति (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कुरनूल
36.	मुख्य आयकर आयुक्त, विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, विशाखापत्तनम -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, विशाखापत्तनम -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, राजामुंदरी (iv) आयकर आयुक्त (टीडीएस), विजयवाड़ा
37.	प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और सिक्किम	कोलकाता	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -1 (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-2 (iii) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -3 (iv) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -4 (v) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -5 (vi) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -6 (vii) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -7 (viii) मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोलकाता
38.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-1	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-10 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, आसनसोल
39.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -2	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-2 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता 9
40.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -3	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -3 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -16
41.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता -4	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -8
42.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-5	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -5 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -12 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -14

43.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-6	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता-11 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -15 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -18 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -19 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सिलीगुड़ी (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जलपाईगुड़ी
44.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-7	कोलकाता	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -17 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -13 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -20 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोलकाता -21 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दुर्गापुर (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बर्दवान
45.	मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता- टीडीएस	कोलकाता	(i) आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोलकाता. (ii) आयकर आयुक्त (टीडीएस), सिलीगुड़ी
46.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई	मुंबई	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -1 (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -2 (iii) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -3 (iv) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -4 (v) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -5 (vi) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -6 (vii) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -7 (viii) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई-8 (ix) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -9 (x) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई - 10 (xi) मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई - 11 (xii) मुख्य आयकर आयुक्त (टीडीएस), मुंबई (xiii) आयकर आयुक्त (एलटीयू)
47.	मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -1	मुंबई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 16
48.	मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -2	मुंबई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 3 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 4 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 5
49.	मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -3	मुंबई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 6 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई -7 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 8
50.	मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई -4	मुंबई	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई - 9 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुंबई-10

			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, औरंगाबाद -1 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, औरंगाबाद -2
63.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	भोपाल	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, इंदौर (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भोपाल 1 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भोपाल-2 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, ग्वालियर (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जबलपुर -1 (vii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जबलपुर -2 (viii) आयकर आयुक्त (टीडीएस), भोपाल
64.	मुख्य आयकर आयुक्त, रायपुर	रायपुर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रायपुर -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रायपुर -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बिलासपुर
65.	मुख्य आयकर आयुक्त, इंदौर	इंदौर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, इंदौर -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, इंदौर -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, उज्जैन
66.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, ओडिशा	भुवनेश्वर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भुवनेश्वर -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कटक (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, संबलपुर (iv) आयकर आयुक्त (टीडीएस), भुवनेश्वर
67.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनडब्ल्यूआर	चंडीगढ़	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना (iii) मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर (iv) मुख्य आयकर आयुक्त, शिमला (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ 1 (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चंडीगढ़ -2 (vii) आयकर आयुक्त (टीडीएस) -1, चंडीगढ़ (viii) आयकर आयुक्त (टीडीएस)-2, चंडीगढ़
68.	मुख्य आयकर आयुक्त, पंचकूला	पंचकूला	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पंचकूला (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, करनाल (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, फरीदाबाद (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुडगांव (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रोहतक (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हिसार
69.	मुख्य आयकर आयुक्त, लुधियाना	लुधियाना	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लुधियाना -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लुधियाना -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लुधियाना -3 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जालंधर -1 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जालंधर -2 (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटियाला
70.	मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर	अमृतसर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अमृतसर -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अमृतसर -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भटिंडा

			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जम्मू
71.	मुख्य आयकर आयुक्त, शिमला	शिमला	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, शिमला
72.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, एनईआर	गुवाहाटी	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुवाहाटी 1 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गुवाहाटी 2 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोरहाट (v) आयकर आयुक्त (टीडीएस), गुवाहाटी
73.	मुख्य आयकर आयुक्त, शिलांग	शिलांग	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, शिलांग (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, डिब्रूगढ़
74.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान	जयपुर	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, उदयपुर (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, जोधपुर (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर-1 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर -2 (V) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जयपुर -3 (Vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अलवर (vii) आयकर आयुक्त (टीडीएस), जयपुर
75.	मुख्य आयकर आयुक्त, उदयपुर	उदयपुर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, उदयपुर (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोटा (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अजमेर
76.	मुख्य आयकर आयुक्त, जोधपुर	जोधपुर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोधपुर 1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जोधपुर 2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बीकानेर
77.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और उत्तराखंड	कानपुर	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, गाजियाबाद (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून (iii) प्रधान आयकर आयुक्त, कानपुर -1 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कानपुर -2 (V) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, आगरा-1 (vi) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, आगरा -2 (vii) आयकर आयुक्त (टीडीएस), कानपुर
78.	मुख्य आयकर आयुक्त, गाजियाबाद	गाजियाबाद	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गाजियाबाद (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नोएडा (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मेरठ (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुजफ्फरनगर (V) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, अलीगढ़
79.	मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून	देहरादून	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, देहरादून (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हल्द्वानी
80.	प्रधान मुख्य आयकर, केरल	कोच्चि	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुअनंतपुरम (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोच्चि -1 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोच्चि -2 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, त्रिचूर (V) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोझीकोड (vi) आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोच्चि
81.	मुख्य आयकर आयुक्त,	तिरुअनंतपुरम	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, तिरुअनंतपुरम

	तिरुअनंतपुरम		(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, कोट्टायम
82.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तर प्रदेश (पूर्व)	लखनऊ	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, इलाहाबाद (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, बरेली (iii) प्रधान आयकर आयुक्त आयकर, लखनऊ -1 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, लखनऊ -2 (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, फैजाबाद (vi) आयकर आयुक्त (टीडीएस), लखनऊ
83.	मुख्य आयकर आयुक्त, इलाहाबाद	इलाहाबाद	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, इलाहाबाद (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, वाराणसी (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, गोरखपुर
84.	मुख्य आयकर आयुक्त, बरेली	बरेली	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, बरेली (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुरादाबाद
85.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर	नागपुर	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर -1 (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर -2 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, नागपुर -3 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त (टीडीएस), नागपुर
86.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार और झारखंड	पटना	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, रांची (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटना -1 (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, पटना-2 (iv) प्रधान आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर (v) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, भागलपुर (vi) आयकर आयुक्त (टीडीएस), पटना
87.	मुख्य आयकर आयुक्त, रांची	रांची	(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, रांची (ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, जमशेदपुर (iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, धनबाद (iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, हजारीबाग

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 51/2014 फा.सं.187/35/2014-(आईटीए.1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

नोट: - भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड-(ii) में दिनांक 31 जुलाई, 2001 को प्रकाशित मूल अधिसूचना सं. का.आ.733 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2014

(Income-Tax)

S.O. 2753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O.733(E), dated the 31st July, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st July, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax authorities specified in column (2) of the Schedule below, having headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3), shall exercise the powers and perform the functions in respect of such territorial areas or of such persons or classes of persons or such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases in respect of which the Income-tax Authorities specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule having jurisdiction vested in them.

SCHEDULE

Serial No.	Designation of the Income-tax Authorities	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Gujarat	Ahmedabad	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Ahmedabad -2 (iii) Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Ahmedabad (iv) Chief Commissioner of Income-tax, Rajkot (v) Chief Commissioner of Income-tax, Surat (vi) Chief Commissioner of Income-tax, Vadodara
2.	Chief Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1	Ahmedabad	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-5 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-6
3.	Chief Commissioner of Income-tax, Ahmedabad -2	Ahmedabad	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-3 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-4 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-7 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gandhinagar
4.	Chief Commissioner or Income-tax (TDS), Ahmedabad	Ahmedabad	(i) Commissioner of Income-tax (TDS), Ahmedabad (ii) Commissioner of Income-tax (TDS), Vadodara
5.	Chief Commissioner of Income-tax, Rajkot	Rajkot	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajkot-3 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jamnagar
6.	Chief Commissioner of Income-tax, Surat	Surat	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Surat-3 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Valsad
7.	Chief Commissioner of Income-tax, Vadodara	Vadodara	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-3 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vadodara-4
8.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Karnataka and Goa	Bangalore	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Bangalore-1 (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Bangalore-2 (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Panaji (iv) Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Bangalore (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-1
9.	Chief Commissioner of Income-tax, Bangalore-1	Bangalore	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-2 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-3 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-4 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mysore
10.	Chief Commissioner of Income-tax, Bangalore-2	Bangalore	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-5 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-6 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bangalore-7 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Davanagere (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gulbarga.
11.	Chief Commissioner of Income-tax, Panaji	Panaji	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Panaji (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Belgaum (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hubli (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mangalore
12.	Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Bangalore	Bangalore	(i) Commissioner of Income-tax (TDS), Bangalore (ii) Commissioner of Income-tax (TDS), Panaji
13.	Principal Chief Commissioner of Income-tax,	Chennai	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Chennai- 1 (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-2 (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-3

	Tamil Nadu		(iv) Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-4 (v) Chief Commissioner of Income-tax, Coimbatore (vi) Chief Commissioner of Income-tax, Madurai (vii) Chief Commissioner of Income-tax, Tiruchirappalli (viii) Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Chennai (ix) Commissioner of Income-tax(LTU), Chennai
14.	Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-1	Chennai	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Chennai-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-5 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-9
15.	Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-2	Chennai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-2 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-4 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-7
16.	Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-3	Chennai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-3 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-8 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-10
17.	Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-4	Chennai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chennai-6 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Puducherry
18.	Chief Commissioner of Income-tax, Coimbatore	Coimbatore	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Coimbatore-1 (ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Coimbatore-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Coimbatore-3
19.	Chief Commissioner of Income-tax, Madurai	Madurai	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Madurai-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Madurai-2
20.	Chief Commissioner of Income-tax, Tiruchirappalli	Tiruchirappalli	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Tiruchirappalli-1 (ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Tiruchirappalli-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Salem
21.	Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Chennai	Chennai	(i) Commissioner of Income-tax (TDS), Chennai (ii) Commissioner of Income-tax (TDS), Coimbatore
22.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Delhi	Delhi	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-1 (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-2 (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-3 (iv) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-4 (v) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-5 (vi) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-6 (vii) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-7 (viii) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-8 (ix) Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-9 (x) Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Delhi
23.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-1	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-10 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-11
24.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-2	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-2 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-12 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-13
25.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-3	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-3 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-14 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-15
26.	Chief Commissioner of	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-4 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-16

	Income-tax, Delhi-4		(iii) Commissioner of Income-tax (LTU), Delhi
27.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-5	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-5 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-17 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-18
28.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-6	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-6 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-19 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-20
29.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-7	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-7 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-21
30.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-8	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-8 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-22
31.	Chief Commissioner of Income-tax, Delhi-9	Delhi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-9 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-23 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Delhi-24
32.	Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Delhi	Delhi	(i) Commissioner of Income-tax (TDS)-1, Delhi (ii) Commissioner of Income-tax (TDS)-2, Delhi
33.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Andhra Pradesh and Telangana.	Hyderabad	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Hyderabad. (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Vijayawada. (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam. (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-1 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-4 (vi) Commissioner of Income-tax (TDS), Hyderabad.
34.	Chief Commissioner of Income-tax, Hyderabad.	Hyderabad	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-2 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-3 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-5 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-6 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hyderabad-7
35.	Chief Commissioner of Income-tax, Vijayawada.	Vijayawada	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guntur (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Vijayawada (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Tirupati (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kurnool
36.	Chief Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam	Visakhapatnam	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Visakhapatnam-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rajahmundry (iv) Commissioner of Income-tax (TDS), Vijayawada.
37.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, West Bengal and Sikkim.	Kolkata	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -1 (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -2 (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -3 (iv) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -4 (v) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -5 (vi) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -6 (vii) Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -7 (viii) Chief Commissioner of Income-tax, (TDS) Kolkata
38.	Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -1	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-10 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Asansol
39.	Chief Commissioner of Income-tax,	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-2 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-9

	Kolkata -2		
40.	Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-3	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-3 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-16
41.	Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-4	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-4 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-8
42.	Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-5	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-5 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-12 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-14
43.	Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -6	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-11 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-15 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-18 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-19 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Siliguri (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jalpaiguri
44.	Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata -7	Kolkata	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-13 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-17 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-20 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolkata-21 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Durgapur (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Burdwan
45.	Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Kolkata.	Kolkata	(i) Commissioner of Income-tax (TDS), Kolkata. (ii) Commissioner of Income-tax (TDS), Siliguri.
46.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai	Mumbai	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 1 (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 2 (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 3 (iv) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 4 (v) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 5 (vi) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 6 (vii) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 7 (viii) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 8 (ix) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 9 (x) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 10 (xi) Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 11 (xii) Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Mumbai (xiii) Commissioner of Income-tax (LTU)
47.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 1	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 16
48.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 2	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 3 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 4 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 5
49.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 3	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 6 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 7 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 8
50.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai - 4	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 9 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 10 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 11
51.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -5	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 12 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 13 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 14

52.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -6	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 15 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 27 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 28
53.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -7	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 17 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 18 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 19
54.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -8	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 20 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 21 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 22 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 23
55.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -9	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 24 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 25 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 26
56.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -10	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 29 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 30 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 31
57.	Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai -11	Mumbai	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 32 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 33 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 34 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Mumbai - 35
58.	Chief Commissioner of Income-tax (TDS), Mumbai	Mumbai	(i) Commissioner of Income-tax (TDS)-1, Mumbai (ii) Commissioner of Income-tax (TDS)-2, Mumbai
59.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Pune	Pune	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Pune (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Thane (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Nasik (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-1 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-2 (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-3 (vii) Commissioner of Income-tax (TDS), Pune
60.	Chief Commissioner of Income-tax, Pune	Pune	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-4 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-5 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Pune-6 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolhapur-1 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kolhapur-2
61.	Chief Commissioner of Income-tax, Thane	Thane	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thane-3
62.	Chief Commissioner of Income-tax, Nasik	Nasik	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nasik-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nasik-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aurangabad-1 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aurangabad-2
63.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh and Chhattisgarh	Bhopal	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Raipur (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Indore (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-1 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhopal-2 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gwalior (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jabalpur-1 (vii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jabalpur-2 (viii) Commissioner of Income-tax (TDS), Bhopal
64.	Chief Commissioner of Income-tax, Raipur	Raipur	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Raipur-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Raipur-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bilaspur
65.	Chief Commissioner of Income-tax, Indore	Indore	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Indore-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Indore-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ujjain

66.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Odisha	Bhubaneswar	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhubaneswar-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Cuttack (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Sambalpur (v) Commissioner of Income-tax (TDS), Bhubaneswar
67.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, NWR	Chandigarh	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Panchkula (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Ludhiana (iii) Chief Commissioner of Income-tax, Amritsar (iv) Chief Commissioner of Income-tax, Shimla (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chandigarh-1 (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Chandigarh-2 (vii) Commissioner of Income-tax (TDS)-1, Chandigarh. (viii) Commissioner of Income-tax (TDS)-2, Chandigarh.
68.	Chief Commissioner of Income-tax, Panchkula	Panchkula	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Panchkula. (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Karnal (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Faridabad. (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gurgaon. (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Rohtak. (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hisar
69.	Chief Commissioner of Income-tax, Ludhiana	Ludhiana	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ludhiana-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ludhiana-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ludhiana-3 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jalandhar-1 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jalandhar-2 (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Patiala.
70.	Chief Commissioner of Income-tax, Amritsar	Amritsar	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Amritsar-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Amritsar-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhatinda. (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jammu.
71.	Chief Commissioner of Income-tax, Shimla	Shimla	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Shimla.
72.	Principal Chief Commissioner of Income- Tax, NER	Guwahati	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Shillong (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-1 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Guwahati-2 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jorhat (v) Commissioner of Income-tax (TDS), Guwahati
73.	Chief Commissioner of Income-tax, Shillong	Shillong	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Shillong (ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Dibrugarh
74.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Rajasthan	Jaipur	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Udaipur (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Jodhpur (iii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jaipur-1 (iv) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jaipur-2 (v) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jaipur-3 (vi) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax-Alwar (vii) Commissioner of Income-tax (TDS), Jaipur
75.	Chief Commissioner of Income-tax, Udaipur	Udaipur	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Udaipur (ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kota (iii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Ajmer
76.	Chief Commissioner of Income-tax, Jodhpur	Jodhpur	(i) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jodhpur-1 (ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Jodhpur-2 (iii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Bikaner
77.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, UP (West) and	Kanpur	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Ghaziabad (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Dehradun (iii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kanpur-1 (iv) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Kanpur-2

	Uttarakhand		(v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Agra-1 (vi) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Agra-2 (vii) Commissioner of Income-tax (TDS), Kanpur
78.	Chief Commissioner of Income-tax, Ghaziabad	Ghaziabad	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ghaziabad (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Noida (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Meerut (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Muzaffarnagar (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Aligarh
79.	Chief Commissioner of Income-tax, Dehradun	Dehradun	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Dehradun (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Haldwani
80.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Kerala	Kochi	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Thiruvananthapuram (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kochi-1 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kochi-2 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thrissur (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kozhikode (vi) Commissioner of Income-tax (TDS), Kochi
81.	Chief Commissioner of Income-tax, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Thiruvananthapuram (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Kottayam
82.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, UP (East)	Lucknow	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Allahabad (ii) Chief Commissioner of Income-tax, Bareilly (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Lucknow-1 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Lucknow-2 (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Faizabad (vi) Commissioner of Income-tax (TDS), Lucknow
83.	Chief Commissioner of Income-tax, Allahabad.	Allahabad	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Allahabad (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Varanasi (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Gorakhpur
84.	Chief Commissioner of Income-tax, Bareilly.	Bareilly	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bareilly (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Moradabad
85.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Nagpur	Nagpur	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nagpur-1 (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nagpur-2 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Nagpur-3 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax (TDS), Nagpur
86.	Principal Chief Commissioner of Income-tax, Bihar and Jharkhand	Patna	(i) Chief Commissioner of Income-tax, Ranchi (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Patna-1 (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Patna-2 (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Muzaffarpur (v) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Bhagalpur (vi) Commissioner of Income-tax (TDS), Patna
87.	Chief Commissioner of Income-tax, Ranchi	Ranchi	(i) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ranchi (ii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Jamshedpur (iii) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Dhanbad (iv) Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Hazaribagh

This notification shall come into force with effect from 15th day of November, 2014.

[Notification No. 51/2014/F.No. 187/35/2014 (ITA. I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Note : Notification of Government of India, Number S.O. 733(E), 31st July, 2001, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii).

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2754 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 14 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 880(अ)का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा किए जाने के लिए छोड़ गए कार्यों को छोड़कर एतद्वारा -

(क) यह निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर-आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम (3) की तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, उक्त अनुसूची के कालम (4) की तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट इन प्रादेशिक क्षेत्रों में, कालम (5) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ऐसे मामले अथवा मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सभी कार्य करेंगे;

(ख) इस अधिसूचना में संदर्भित आयुक्तों को, संबंधित आयकर आयुक्तों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम (4) की तदनुसूची प्रविष्टियों से विनिर्दिष्ट इन प्रादेशिक क्षेत्रों में, कालम (5) में विनिर्दिष्ट मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में ऐसे अपर आयुक्त आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त, आयकर और कर वसूली अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, द्वारा शक्तियों के प्रयोग किए जाने और कार्यों का निष्पादन किए जाने के क्रम में लिखित में आदेश जारी किए जाने के लिए, प्राधिकृत करता है।

(ग) इस अधिसूचना के खण्ड (ख) में संदर्भित अपर आयुक्त, आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त, आयकर को, ऐसे मामले अथवा मामलों की श्रेणियों जिनके संबंध में, ऐसे अपर आयुक्त आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त आयकर, इस अधिसूचना के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों द्वारा प्राधिकृत हैं; के कर निर्धारण अधिकारियों, जो कि उक्त अपर आयुक्त आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त, आयकर के अधीनस्थ है, द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करने के क्रम में लिखित में आदेश देने के लिए, प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

क्र.सं. (1)	पदनाम (2)	मुख्यालय (3)	प्रादेशिक क्षेत्र (4)	मामले अथवा मामलों की श्रेणियां (5)
1.	आयकर आयुक्त (छूट) अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात राज्य, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 1से 20 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
2.	आयकर आयुक्त (छूट) बैंगलोर	बैंगलोर	कर्नाटक और गोवा राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 21से 34 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।

3.	आयकर आयुक्त (छूट) भोपाल	भोपाल	मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 35 से 45 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
4.	आयकर आयुक्त (छूट) चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 50 से 68 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
5.	आयकर आयुक्त (छूट) चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडू राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यनम और माहे जिले को छोड़कर)	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 69 से 87 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
6.	आयकर आयुक्त (छूट) दिल्ली-2	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 88 से 111 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
7.	आयकर आयुक्त (छूट) हैदराबाद	हैदराबाद	(i) तेलंगाना, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य (ii) संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी का यनम जिला	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले,

				कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 46 से 49 और 117 से 130 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
8.	आयकर आयुक्त (छूट) जयपुर	जयपुर	राजस्थान राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 131 से 140 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
9.	आयकर आयुक्त (छूट) कोची	कोची	(i) केरल राज्य (ii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला (iii) संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्य द्वीप और मिनीकाय द्वीप समूह	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 152 से 157 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
10.	आयकर आयुक्त (छूट) कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 158 से 181 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
11.	आयकर आयुक्त (छूट) लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और झारखण्ड राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23ककक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 141 से 151 और 182 से 189 पर उल्लिखित आयकर

				प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
12.	आयकर आयुक्त (छूट) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम और नवी मुम्बई नगर निगम का क्षेत्र	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 190 से 224 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
13.	आयकर आयुक्त (छूट) पटना	पटना	बिहार और झारखण्ड राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 228 से 235 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
14.	आयकर आयुक्त (छूट) पुणे	पुणे	मुम्बई और नवी मुम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 225 से 227 और 236 से 241 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 52/2014/फा.सं. 187/38/2014 (आईटीए.1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2014

(Income-Tax)

S.O. 2754 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O.880(E), dated the 14th September, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii), dated the 14th September, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby -

(a) directs that the Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule annexed hereto having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule shall exercise the powers and perform all the functions in respect of such cases or classes of cases as specified in column (5), in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule;

(b) authorises the Commissioners of Income-tax referred to in this notification to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax and Tax Recovery Officers, who are subordinate to them, in respect of cases or classes of cases specified in column (5) in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule in accordance with the orders issued by the respective Commissioners of Income-tax.

(c) authorises the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax referred to in clause (b) above, to issue orders in writing for the exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers, who are subordinate to the said Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax in respect of cases or classes of cases, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax are authorised by the Commissioners of Income-tax under clause (b) above.

SCHEDULE

S.No.	Designation	Headquarters	Territorial Area	Cases or classes of cases
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Ahmedabad	Ahmedabad	State of Gujarat, Union Territory of Daman and Diu, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 1 to 20 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
2.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Bangalore	Bangalore	States of Karnataka and Goa	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 21 to 34 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
3.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Bhopal	Bhopal	States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 35 to 45 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.

4.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Chandigarh	Chandigarh	States of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Union Territory of Chandigarh	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 50 to 68 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
5.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Chennai	Chennai	State of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry (excluding Yanam and Mahe district)	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 69 to 87 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
6.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Delhi-2	Delhi	National Capital Territory of Delhi	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 88 to 111 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
7.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Hyderabad	Hyderabad	(i) States of Telangana, Odisha and Andhra Pradesh (ii) Yanam district of the Union Territory of Puducherry	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at Serial numbers 46 to 49 and 117 to 130 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
8.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Jaipur	Jaipur	State of Rajasthan	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 131 to 140 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
9.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Kochi	Kochi	(i) State of Kerala, (ii) Mahe district of the Union Territory of Puducherry,	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11,

			(iii) Union Territory of Lakshadweep & Minicoy Islands	section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 152 to 157 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
10.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Kolkata	Kolkata	States of West Bengal, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sikkim and Union Territory of Andaman and Nicobar Islands	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 158 to 181 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
11.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Lucknow	Lucknow	States of Uttar Pradesh and Uttarakhand	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 141 to 151 and 182 to 189 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
12.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Mumbai	Mumbai	Area Covered by Municipal Corporation of Greater Mumbai and Navi Mumbai Municipal Corporation	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 190 to 224 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
13.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Patna	Patna	States of Bihar and Jharkhand	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or assessable by an Income-tax authority at serial numbers 228 to 235 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
14.	Commissioner of Income-tax (Exemption), Pune	Pune	State of Maharashtra excluding Mumbai and Navi Mumbai	All cases of persons in the territorial area specified in column (4) claiming exemption under clauses (21), (22), (22A), (22B), (23), (23A), (23AAA), (23B), (23C), (23F), (23FA), (24), (46) and (47) of section 10, section 11, section 12, section 13A and section 13B of the Income-tax Act, 1961 and assessed or

				assessable by an Income-tax authority at serial numbers 225 to 227 and 236 to 241 specified in the notification of Government of India bearing number S.O. 2752 dated the 22nd October, 2014.
--	--	--	--	---

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2014.

[Notification No. 52 /2014/F. No. 187 /38 /2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2755(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं.का.आ. 888 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, जिनके मुख्यालय नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आय या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों, जिनके सम्बंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त को क्षेत्राधिकार सौंपा गया है, के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य आयकर आयुक्त, (छूट)	दिल्ली	(1) आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद (2) आयकर आयुक्त (छूट), बंगलौर (3) आयकर आयुक्त (छूट), भोपाल (4) आयकर आयुक्त (छूट), चंडीगढ़ (5) आयकर आयुक्त (छूट), चेन्नई (6) आयकर आयुक्त (छूट), दिल्ली (7) आयकर आयुक्त (छूट), हैदराबाद (8) आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर (9) आयकर आयुक्त (छूट), कोच्चि (10) आयकर आयुक्त (छूट), कोलकाता (11) आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ (12) आयकर आयुक्त (छूट), मुम्बई (13) आयकर आयुक्त (छूट), पटना (14) आयकर आयुक्त (छूट), पुणे

यह अधिसूचना 15/11/2014 से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं 53/2014/फा.सं. 187/35 /2014(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक,

NOTIFICATIONNew Delhi, the 22nd October, 2014**(Income-tax)**

S.O. 2755(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes, number S.O. 888(E), dated the 17th September, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax authority specified in column (1) of the Schedule below, having headquarters at the place specified in column (2) of the said Schedule, shall exercise the powers and perform the functions in respect of such territorial areas or of such persons or classes of persons or of such incomes of classes of incomes or of such cases of classes of cases in respect of which the Commissioners of Income-tax specified in column (3) of the said Schedule having jurisdiction vested in them.

SCHEDULE

Designation of the Income-tax Authority	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
Chief Commissioner of Income-tax (Exemptions)	Delhi	1. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Ahmedabad 2. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Bangalore 3. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Bhopal 4. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Chandigarh 5. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Chennai 6. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Delhi 7. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Hyderabad 8. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur 9. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Kochi 10. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Kolkata 11. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Lucknow 12. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Mumbai 13. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Patna 14. Commissioner of Income-tax (Exemptions), Pune

This notification shall come into force with effect from 15th day of November, 2014.

[Notification No. 53/2014/F. No. 187/35/2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2756(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं.का.आ. 888 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों अथवा न किए गए कार्यों को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा यह निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी, जिनके मुख्यालय नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या ऐसी आय या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या

मामलों के वर्गों, जिनके सम्बंध में उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों को क्षेत्राधिकार सौंपा गया है, के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्रधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), दिल्ली	दिल्ली	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (दक्षिणी क्षेत्र) बंगलूरु (iii) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)-I, दिल्ली (iv) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)-II, दिल्ली (v) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान)-III, दिल्ली (vi) आयकर आयुक्त, (अन्तरण मूल्यांकन)-I, दिल्ली (vii) आयकर आयुक्त, (अन्तरण मूल्यांकन)-II, दिल्ली (viii) आयकर आयुक्त, (अन्तरण मूल्यांकन)-III, दिल्ली (ix) आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्यांकन), कोलकाता
2.	मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई।	मुम्बई	(i) आयकर आयुक्त, (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-I, मुम्बई (ii) आयकर आयुक्त, (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-II, मुम्बई। (iii) आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान) -III, मुम्बई (iv) आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान)-iv, मुम्बई (v) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन)- I, मुम्बई (vi) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन)- II, मुम्बई (vii) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन)-III, मुम्बई (viii) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन)- iv, मुम्बई (ix) आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्यांकन), अहमदाबाद (x) आयकर आयुक्त (अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्यांकन), पुणे
3.	मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), (दक्षिणी क्षेत्र), बंगलौर।	बंगलौर	(i) आयकर आयुक्त, (अंतरराष्ट्रीय कराधान), बंगलौर (ii) मुख्य आयकर आयुक्त, (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), चेन्नई (iii) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन)-I, बंगलौर (iv) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन)-II, बंगलौर (v) आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्यांकन), चेन्नई (vi) आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान एवं अंतरण मूल्यांकन), हैदराबाद

यह अधिसूचना 15-11-2014 से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 54/2014/फा.सं. 187/35/2014(आईटीए-1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2014

(Income-tax)

S.O. 2756(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of notification of the Government of India, Central Board of Direct Taxes, number S.O. 888(E), dated the 17th September, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II,

Section 3, sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Income-tax authorities specified in column (2) of the Schedule below, having headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, shall exercise the powers and perform the functions in respect of such territorial areas or of such persons or classes of persons or such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases in respect of which the Income-tax authorities specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule having jurisdiction vested in them.

SCHEDULE

Serial No.	Designation of the Income-tax Authorities	Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Principal Chief Commissioner of Income Tax (International Taxation)	Delhi	(i) Chief Commissioner of Income Tax (International Taxation),(West Zone), Mumbai (ii) Chief Commissioner of Income Tax (International Taxation),(South Zone), Bangalore (iii) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-1, Delhi (iv) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2, Delhi (v) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-3, Delhi (vi) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-1, Delhi (vii) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-2, Delhi (viii) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-3, Delhi (ix) Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Kolkata
2.	Chief Commissioner of Income Tax (International Taxation),(West Zone), Mumbai	Mumbai	(i) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-1, Mumbai (ii) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-2, Mumbai (iii) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-3, Mumbai (iv) Commissioner of Income Tax (International Taxation)-4, Mumbai (v) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-1, Mumbai (vi) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-2, Mumbai (vii) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-3, Mumbai (viii) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-4, Mumbai (ix) Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Ahmedabad (x) Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Pune
3.	Chief Commissioner of Income Tax (International Taxation),(South Zone), Bangalore	Bangalore	(i) Commissioner of Income Tax (International Taxation), Bangalore (ii) Commissioner of Income Tax (International Taxation), Chennai (iii) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-1, Bangalore (iv) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing)-2, Bangalore (v) Commissioner of Income Tax (Transfer Pricing), Chennai (vi) Commissioner of Income Tax (International Taxation and Transfer Pricing), Hyderabad

This notification shall come into force with effect from 15th day of November, 2014.

[Notification No. 54/2014/F. No. 187/ 35 /2014 (ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director